

अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ आदेश (संशोधन)
विधेयक, 1976 का

शुद्धिपत्र

- पृष्ठ 2, पंक्ति 17, - "(अडमान और निकोबर)द्वीप" के स्थान पर "(अडमान और निकोबर द्वीप) पढ़ें।
- पृष्ठ 6, पंक्ति 32, - "जम्बुवुल" के स्थान पर "जम्बुवुल" पढ़ें।
- पृष्ठ 6, पंक्ति 32, - "सिन्धीलु" के स्थान पर "सिंधीलु" पढ़ें।
- पृष्ठ 6, पंक्ति 36, - "गहरा" के स्थान पर "गहर" पढ़ें।
- पृष्ठ 6, पंक्ति 41, - "झोली" के स्थान पर "झालो" पढ़ें।
- " " " - "गाली" के स्थान पर "गालो" पढ़ें।
- पृष्ठ 7, पंक्ति 5, - "होर" के स्थान पर "हरी" पढ़ें।
- पृष्ठ 7, पंक्ति 20, - "चाम्भार" के स्थान पर "चाम्भार" पढ़ें।
- पृष्ठ 7, पंक्ति 38, - "आदे बर्षी" के स्थान पर "आद बर्षी" पढ़ें।
- पृष्ठ 7, पंक्ति 39, - "भंजारा" के स्थान पर "भंजडा" पढ़ें।
- पृष्ठ 8, पंक्ति 15, - "आदे" के स्थान पर "आद" पढ़ें।
- पृष्ठ 8, पंक्ति 39, - "सारेआड़े" के स्थान पर "सारेहडे" पढ़ें।
- पृष्ठ 9, पंक्ति 2, - "हलासर" के स्थान पर "हलसर" पढ़ें।
- पृष्ठ 9, पंक्ति 19, - "बोडा" के स्थान पर "बेड़" पढ़ें।
- पृष्ठ 9, पंक्ति 22, - "फालवेगी" के स्थान पर "लालवेगी" पढ़ें।
- पृष्ठ 9, पंक्ति 25, - "चम्भार" के स्थान पर "चम्भार" पढ़ें।
- पृष्ठ 9, पंक्ति 28, - "योची, तेलगु-योची" के स्थान पर "योची, गुची, तेलगु-योची" पढ़ें।
- पृष्ठ 10, पंक्ति 5, - "सुडुगाटुसिद्ध" के स्थान पर "सुडुगाटुसिद्ध" पढ़ें।
- पृष्ठ 10, पंक्ति 13, - "अलयन" के स्थान पर "मलयन" पढ़ें।
- पृष्ठ 10, पंक्ति 29, - "युची" के स्थान पर "युची" पढ़ें।
- पृष्ठ 10, पंक्ति 37, - "हुस्ता" के स्थान पर "हस्ता" पढ़ें।
- पृष्ठ 10, पंक्ति 42, - "वल्लवन" के स्थान पर "वल्लुवन" पढ़ें।
- पृष्ठ 11, पंक्ति 19, - "सूर्यरायनाली" के स्थान पर "रामनाली" पढ़ें।
- पृष्ठ 11, पंक्ति 19, - "दन्जनी" के स्थान पर "दंजनी" पढ़ें।
- पृष्ठ 12, पंक्ति 2, - "कनेरा या गिरधा" के स्थान पर "कनेरा, गिरधा" पढ़ें।
- पृष्ठ 12, पंक्ति 4, - "हरत्त" के स्थान पर "हरली" पढ़ें।
- पृष्ठ 12, पंक्ति 6, - "तेलुगु" के स्थान पर "तेलुगु" पढ़ें।
- पृष्ठ 12, पंक्ति 9, - "धगु" के स्थान पर "धेगु" पढ़ें।
- पृष्ठ 12, पंक्ति 29, - "गाडीया" के स्थान पर "नाडीया" पढ़ें।
- पृष्ठ 12, पंक्ति 30, - "होतर" के स्थान पर "होतेर" पढ़ें।
- पृष्ठ 12, पंक्ति 41, - "बांसफर" के स्थान पर "बांसफेर" पढ़ें।
- पृष्ठ 14, पंक्ति 26, 27, तथा 28, - "34. सरेड़ा
35. तिकलीगर के स्थान पर 35. सरेड़ा
36. सपैला, 36. तिकलीगर" पढ़ें।

- पृष्ठ 14, पंक्ति 33, - "बदी" के स्थान पर "बादी" पढ़ें ।
पृष्ठ 15, पंक्ति 28, - "आजला" के स्थान पर "आजला" पढ़ें ।
पृष्ठ 15, पंक्ति 44, - "कूतन" के स्थान पर "कूटन" पढ़ें ।
पृष्ठ 17, पंक्ति 23, - "भईयार" के स्थान पर "भुईयार" पढ़ें ।
पृष्ठ 17, पंक्ति 30, - "घरकार" के स्थान पर "घरकार" पढ़ें ।
पृष्ठ 17, पंक्ति 34, - "तुरोहिया" के स्थान पर "तुरेहा" पढ़ें ।
पृष्ठ 17, पंक्ति 47, - "रेदास" के स्थान पर "रूदास" पढ़ें ।
पृष्ठ 18, पंक्ति 32, - "कहुनायकन" के स्थान पर "कौदनायकन" पढ़ें ।
पृष्ठ 18, पंक्ति 35, - "चैववार" के स्थान पर "चेचुवार" पढ़ें ।
पृष्ठ 19, पंक्ति 6, - "भासा" के स्थान पर "भाण" पढ़ें ।
पृष्ठ 19, पंक्ति 11, - "येदक" के स्थान पर "मेडक" पढ़ें ।
पृष्ठ 19, पंक्ति 11, - "नलौंडा" के स्थान पर "नलगौंडा" पढ़ें ।
पृष्ठ 19, पंक्ति 12, - "येदक" के स्थान पर "येडक" पढ़ें ।
पृष्ठ 20, पंक्ति 3, - "बडा" के स्थान पर "बडो" पढ़ें ।
पृष्ठ 20, पंक्ति 36, - "पाक्ष" के स्थान पर "पाघर" पढ़ें ।
पृष्ठ 20, पंक्ति 39, - "कछ" के स्थान पर "कच्छ" पढ़ें ।
पृष्ठ 21, पंक्ति 4, - "वाघी" के स्थान पर "वाघेरी" पढ़ें ।
पृष्ठ 21, पंक्ति 23, - "भेवासी" के स्थान पर "घेवासी" पढ़ें ।
पृष्ठ 21, पंक्ति 30, - "हलपती" के स्थान पर "हलपोत" पढ़ें ।
पृष्ठ 21, पंक्ति 41, - "कम्भार" के स्थान पर "कम्भार" पढ़ें ।
पृष्ठ 22, पंक्ति 8, - "कुस्नवात" के स्थान पर "कुस्नान्" पढ़ें ।
पृष्ठ 22, पंक्ति 23, - "लौंडरोडिड्स" के स्थान पर "लौंडरोड" पढ़ें ।
पृष्ठ 23, पंक्ति पंक्ति 6, - "सलगुजा" के स्थान पर "सरगुजा" पढ़ें ।
पृष्ठ 24, पंक्ति 15, - "भार" के स्थान पर "भर" पढ़ें ।
पृष्ठ 24, पंक्ति 39, - "क्या नाग" के स्थान पर "क्या नागा" पढ़ें ।
पृष्ठ 26, पंक्ति 15, "ओरांक" के स्थान पर "ओरांव" पढ़ें ।
पृष्ठ 26, पंक्ति 24, - "घारया" के स्थान पर "थार्या" पढ़ें ।
पृष्ठ 26, पंक्ति 29, - "तडवा" के स्थान पर "तडवी" पढ़ें ।
पृष्ठ 26, पंक्ति 39, - "तागेलनाडु" के स्थान पर "तागेलनाडु" पढ़ें ।
पृष्ठ 27, पंक्ति 9-10, - "शेन्गेदटा" के स्थान पर "शेन्गेटा" पढ़ें ।
पृष्ठ 27, पंक्ति 17, - "शेन्गेदटा" के स्थान पर "शेन्गेटा" पढ़ें ।
पृष्ठ 27, पंक्ति 39, - "खेपी" के स्थान पर "खेपीग" पढ़ें ।
पृष्ठ 28, पंक्ति 7, - "नू" के स्थान पर "शू" पढ़ें ।

अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ आदेश
(संशोधन) विधेयक, 1976 का

शुद्धिपत्र सं० 2

- पृष्ठ 2, पंक्ति 19, "रेसे" के स्थान पर "रेसा" पढ़ें।
" पंक्ति 19, 20 और 21, "हे" के स्थान पर "है" पढ़ें।
पृष्ठ 6, पंक्ति 7, "4 ओरे आल" के स्थान पर "4. आरे आला" पढ़ें।
पृष्ठ 12, पंक्ति 41, "बांसफर" के स्थान पर "बांसफेड़" पढ़ें।
पृष्ठ 16, पंक्ति 21, "71. वन्नन" के स्थान पर "71. वन्नन (कन्याकुमारी जिले में और तिरुनेलवेलि जिले के शेन्कोट्टा तालुक में)" पढ़ें।
पृष्ठ 17, पंक्ति 28, "27. धनगर" के स्थान पर "27. धंगड़" पढ़ें।
पृष्ठ 20, पंक्ति 30, - "15. कोली" के स्थान पर "15. कोली (कच्छ जिले में)" पढ़ें।
पृष्ठ 21, पंक्ति 13, - "स्मिती" के स्थान पर "स्मीती" पढ़ें।
पृष्ठ 25, पंक्ति 15, - "7." के स्थान पर "6." पढ़ें।
पृष्ठ 37, पंक्ति 7, - "ीवा" के स्थान पर "रीवा" पढ़ें।
पृष्ठ 40, पंक्ति 3, - "26. यन्ने" के स्थान पर "26. मेहतर" पढ़ें।
पृष्ठ 42, पंक्ति 3 नीचे से, - "पा. हर" के स्थान पर "पाटीकर" पढ़ें।
पृष्ठ 46, पंक्ति 3, - "27. वंगर" के स्थान पर "27. वंगड़" पढ़ें।
पृष्ठ 46, पंक्ति 5 नीचे से, - "4. बेलिया" के स्थान पर "4. बेदिया" पढ़ें।
पृष्ठ 48, पंक्ति 11 नीचे से, - "पा" के स्थान पर "या" पढ़ें।
पृष्ठ 51, पंक्ति 4 नीचे से, - "संधाल" के स्थान पर "संधाल" पढ़ें।
पृष्ठ 51, पंक्ति 5 नीचे से, - "11. गो रें" के स्थान पर "11. गोंड" पढ़ें।
पृष्ठ 54, पंक्ति 19, - "आ ख" के स्थान पर "आरख" पढ़ें।
" पंक्ति 25, - "ओ T" के स्थान पर "ओजा" पढ़ें।
पृष्ठ 56, पंक्ति 7, - "तिरुनेलवेलि" के स्थान पर "तिरुनेलवेलि" पढ़ें।

1976 का विधेयक सं० 59

[शेड्यूल्ड कास्ट्स एण्ड शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर्डर्स (अमेंडमेंट) बिल, 1976 का हिन्दी अनुवाद]

अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) विधेयक, 1976

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में कतिपय जातियों और जनजातियों को सम्मिलित करने और उनसे उन्हें अपवर्जित करने के लिए, जहां तक कि ऐसे सम्मिलित या अपवर्जित किए जाने के कारण संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन करना आवश्यक हो जाता है वहां तक ऐसे पुनः समायोजन के लिए और उनसे संबंधित विषयों के लिए उपबंध करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के सत्ताईसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 है। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।
- 5 (2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

परिभाषाएं ।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

- (क) "जनगणना प्राधिकारी" से भारत का महारजिस्ट्रार और पदेन जनगणना आयुक्त अभिप्रेत है ;
- (ख) "आयोग" से संविधान के अनुच्छेद 324 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त निर्वाचन आयोग अभिप्रेत है ; 5
- (ग) "परिसीमन अधिनियम" से परिसीमन अधिनियम, 1972 अभिप्रेत है ; 1972 का
- (घ) "परिसीमन आयोग" से परिसीमन अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित परिसीमन आयोग अभिप्रेत है ;
- (ङ) "अन्तिम जनगणना" से भारत में 1971 में की गई जनगणना अभिप्रेत है ; 10
- (च) "अनुसूचित जातियां आदेश" से संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा किया गया संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 अभिप्रेत है ;
- (छ) "अनुसूचित जनजातियां आदेश" से संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा किए गए संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 तथा संविधान (अण्डमान और निकोबार) द्वीप अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1959 अभिप्रेत हैं ; 15
- (ज) "राज्य" से ऐसे राज्य अभिप्रेत हैं जो अनुसूचित जातियां आदेश और अनुसूचित जनजातियां आदेशों में सम्मिलित हैं और इसके अन्तर्गत अण्डमान और निकोबार द्वीप संघ राज्यक्षेत्र भी हैं। 20

अनुसूचित जातियों
आदेश का
संशोधन ।

3. अनुसूचित जातियां आदेश, प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से और विस्तार तक इसके द्वारा संशोधित किया जाता है ।

अनुसूचित जन-
जातियां आदेशों
का संशोधन ।

4. अनुसूचित जनजातियां आदेश, द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से, और विस्तार तक इसके द्वारा संशोधित किए जाते हैं। 25

अनुसूचित जातियों
और अनुसूचित
जनजातियों की
जनसंख्या का
अवधारण ।

5. (1) इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् यथाशीघ्र, प्रत्येक राज्य में, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या जैसी कि वह अन्तिम जनगणना के समय थी, जनगणना प्राधिकारी द्वारा अभिनिश्चित या प्रावकलित की जाएगी ।

(2) जहां धारा 3 या धारा 4 द्वारा किए गए संशोधनों के कारण,— 30

- (क) किसी राज्य में किसी परिक्षेत्र में, जो उक्त धाराओं में निर्दिष्ट आदेशों की अनुसूचियों के भागों में से किसी भाग में किसी जाति या जनजाति के संबंध में विनिर्दिष्ट है, इसलिए परिवर्तन किया जाता है ताकि ऐसी जाति या जनजाति के संबंध में बड़ा क्षेत्र विनिर्दिष्ट किया जा सके, वहां जनगणना प्राधिकारी अन्तिम जनगणना में और किसी पूर्वतन जनगणना में जिसमें वंशित क्षेत्र के संबंध में उस जाति या जनजाति की जनसंख्या के आंकड़े अभिनिश्चित किए गए थे, यथा अभिनिश्चित उस जाति या जनजाति की जनसंख्या के आंकड़े हिसाब में लेगा और वह ऐसे आंकड़ों में उस अनुपात में वृद्धि या कमी करके जिसमें उस राज्य की या, यथास्थिति, खंड, 40

5 जिले, तालुक, तहसील, पुलिस थाने, विकास खंड या अन्य प्रादेशिक खण्ड की साधारण जनसंख्या में जिसके संबंध में ऐसी जाति या जनजाति उक्त संशोधनों द्वारा विनिर्दिष्ट की गई है, पूर्वोक्त पूर्वतन जनगणना और अन्तिम जनगणना के बीच वृद्धि या कमी हुई है, उस जाति या जनजाति की जनसंख्या का जो 1 अप्रैल, 1971 को थी, अवधारण करेगा;

10 (ख) किसी जाति या जनजाति में, जो किसी राज्य या उसके भाग के संबंध में कोई अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों समझी गई है, इसलिए परिवर्तन किया जाता है ताकि ऐसी जाति या जनजाति को ही उस राज्य या उसके भाग के संबंध में किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया जा सके, वहां जनगणना प्राधिकारी अन्तिम जनगणना में यथा अभिनिश्चित ऐसी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के आंकड़े हिसाब में लेगा :

15 परन्तु जनगणना प्राधिकारी के लिए किसी अनुसूचित जाति या जनजाति की जनसंख्या का जो 1 अप्रैल, 1971 को थी, अवधारण करना उस दशा में आवश्यक नहीं होगा जिसमें उस जाति या जनजाति की जनसंख्या अन्तिम जनगणना में और पूर्वतन जनगणनाओं में से किसी जनगणना में अभिनिश्चित नहीं की गई थी और उस प्राधिकारी की राय में संख्या में कम है।

20 स्पष्टीकरण—जहां खंड (क) में निर्दिष्ट किसी वर्धित क्षेत्र के संबंध में किसी जाति या जनजाति की जनसंख्या के आंकड़े एक से अधिक पूर्वतन जनगणनाओं में अभिनिश्चित किए गए थे वहां जनगणना प्राधिकारी, उस खंड के प्रयोजनों के लिए, पूर्वतन जनगणना में यथा अभिनिश्चित ऐसी जाति या जनजाति की ऐसी जनसंख्या के आंकड़े हिसाब में लेगा जो समय की दृष्टि से अन्तिम जनगणना के आस-पास हैं।

(3) उपधारा (2) के अधीन अभिनिश्चित या अवधारित जनसंख्या के आंकड़े जनगणना प्राधिकारी द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचित किए जाएंगे।

30 (4) इस प्रकार अधिसूचित जनसंख्या के आंकड़े अन्तिम जनगणना के समय यथा अभिनिश्चित सुसंगत जनसंख्या के आंकड़े माने जाएंगे और पूर्व प्रकाशित आंकड़ों को अतिष्ठत करेंगे ; और इस प्रकार अधिसूचित आंकड़े अन्तिम होंगे और किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किए जाएंगे।

35 6. (1) धारा 5 के अधीन किसी राज्य के सम्बन्ध में जनसंख्या के आंकड़ों के अधिसूचित किए जाने के पश्चात् आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह—

(क) किसी ऐसे आदेश में जो संविधान के अनुच्छेद 81, 170, 330 और 332 के परिसीमन अधिनियम की धारा 8 के और इस अधिनियम के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए परिसीमन अधिनियम की धारा 8 के, यथास्थिति, खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन परिसीमन आयोग द्वारा किया गया है ; और

40 (ख) किसी ऐसे आदेश में जो उक्त अधिनियम की धारा 9 के अधीन उस आयोग द्वारा किया गया है,

निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन-क्षेत्रों का पुनः समायोजन।

परिसीमन आयोग द्वारा यथा अवधारित किसी निर्वाचन-क्षेत्र के विस्तार में परिवर्तन किए बिना ऐसे संशोधन करे जो उस राज्य की, यथा स्थिति, अनुसूचित जातियों को या अनुसूचित जनजातियों को परिसीमन अधिनियम की धारा 8 के, यथास्थिति,

खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन किसी ऐसे आदेश में, जो आयोग द्वारा इसके अधीन संशोधित किया जाए, यथार्थनिर्दिष्ट आरक्षित स्थान की संख्या के आधार पर समुचित प्रतिनिधित्व देने के प्रयोजन के लिए आवश्यक हों।

(2) परिसीमन अधिनियम की धारा 9 के अधीन किए गए किसी आदेश में कोई संशोधन करने में, आयोग, जहां तक आवश्यक हो, उस धारा की उपधारा (1) के खण्ड (ग) और खण्ड (घ) के उपबन्धों को ध्यान में रखेगा। 5

(3) आयोग—

(क) संशोधनों के लिए अपनी प्रस्थापनाओं को भारत के राजपत्र में, और सम्बद्ध राज्य के राजपत्र में, और ऐसी अन्य रीति से जो वह उचित समझता है, प्रकाशित करेगा; 10

(ख) वह तारीख विनिर्दिष्ट करेगा जिस को या जिसके पश्चात् वह उन प्रस्थापनाओं पर आगे विचार करेगा;

(ग) उन सभी आक्षेपों और सुझावों पर विचार करेगा जो उसे इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख के पूर्व प्राप्त हो गए हैं; और

(घ) तत्पश्चात् आदेश में आवश्यक संशोधन करेगा। 15

आयोग की प्रक्रिया
और शक्तियां।

7. (1) इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में, आयोग अपनी प्रक्रिया स्वयं अवधारित करेगा और उसे निम्नलिखित विषयों की बाबत वाद का विचारण करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी, अर्थात्:—

1908 का 5

(क) साक्षियों को समन करना और हाजिर कराना; 20

(ख) किसी दस्तावेज के पेश किए जाने की अपेक्षा करना; और

(ग) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख की अध्यपेक्षा करना।

(2) आयोग को किसी व्यक्ति से ऐसी बातों और विषयों के बारे में कोई जानकारी जो आयोग की राय में, आयोग के विचाराधीन किसी विषय के लिए उपयोगी या उससे सुसंगत है, देने की अपेक्षा करने की शक्ति होगी। 25

(3) आयोग को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 345 और 346 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा। 1974 का 2

स्पष्टीकरण—साक्षियों को हाजिर कराने के प्रयोजन के लिए, आयोग की अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं भारत के राज्यक्षेत्र की सीमाएं होंगी। 30

संशोधनों का
प्रकाशन और
उनके प्रवर्तन की
तारीख।

8. (1) आयोग परिसीमन अधिनियम की धारा 8 और धारा 9 के अधीन परिसीमन आयोग द्वारा किए गए आदेशों में से प्रत्येक आदेश में अपने द्वारा किए गए संशोधनों को भारत के राजपत्र में और सम्बद्ध राज्यों के राजपत्रों में प्रकाशित कराएगा।

(2) भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने पर, प्रत्येक ऐसे संशोधन को विधि का बल होगा और वह किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। 35

(3) भारत के राजपत्र में ऐसे प्रकाशन के पश्चात् यथार्थात्, ऐसा प्रत्येक संशोधन लोक सभा और सम्बद्ध राज्यों की विधान सभाओं के समक्ष रखा जाएगा।

(4) उपधारा (5) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए लोक सभा या किसी राज्य की विधान सभा में किन्हीं प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व का ऐसा पुनः-समायोजन, जो परिसीमन आयोग के ऐसे किसी आदेश में आयोग द्वारा किए गए किन्हीं संशोधनों के कारण आवश्यक हो गया है और इस प्रकार संशोधित ऐसे आदेश में उपबन्धित है, यथास्थिति, लोक सभा या विधान सभा के ऐसे प्रत्येक निर्वाचन के सम्बन्ध में लागू होगा जो ऐसे संशोधनों के उपधारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र में प्रकाशन के पश्चात् किया जाए और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और परिसीमन अधिनियम की धारा 8 और 9 के अधीन परिसीमन आयोग द्वारा किए गए मूल आदेशों में अन्तर्विष्ट प्रतिनिधित्व सम्बन्धी उपबन्धों को अतिष्ठित करते हुए इस प्रकार लागू होगा।

(5) पूर्वगाभी उपधाराओं की कोई भी बात लोक सभा या किसी राज्य की विधान सभा में उस प्रतिनिधित्व पर प्रभाव नहीं डालेगी जो इस अधिनियम के अधीन आयोग द्वारा किए गए संशोधनों के उपधारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को अस्तित्व में है।

9. (1) आयोग, भारत के राजपत्र में और सम्बद्ध राज्य के राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, समय-समय पर,—

(क) परिसीमन अधिनियम की धारा 9 के अधीन परिसीमन आयोग द्वारा किए गए और इस अधिनियम के अधीन संशोधित आदेशों में से किसी आदेश में किसी मुद्रण सम्बन्धी भूल को या किसी ऐसी गलती को जो अनवधानता से हुई भूल या लोप के कारण हुई हो, ठीक कर सकता है ; और

(ख) जहां उक्त आदेशों में से किसी आदेश में वर्णित किसी जिले या किसी प्रादेशिक खण्ड की सीमाओं में या नाम में परिवर्तन किया जाता है, वहां आदेशों की अद्यतन बनाने के लिए ऐसे संशोधन कर सकता है जो उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों।

(2) इस धारा के अधीन प्रत्येक अधिसूचना, उसके जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, लोक सभा और सम्बद्ध राज्य की विधान सभा के समक्ष रखी जाएगी।

10. इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अवधारण के लिए जनगणना प्राधिकारी द्वारा, या निर्वाचन-क्षेत्रों के पुनःसमायोजन के लिए आयोग द्वारा, की गई सभी बातें और कार्यवाहियां, जहां तक कि वे इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुरूप हैं, इन उपबन्धों के अधीन ऐसे की गई समझी जाएंगी मानो ऐसे उपबन्ध, ऐसी बातें या कार्यवाही किए जाने के समय प्रवृत्त थे।

प्रथम अनुसूची

(धारा 3 देखिए)

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 में,—

(क) पैरा 2 में, "17" अंकों के स्थान पर, "19" अंक रखे जाएंगे ;

(ख) पैरा 4 के स्थान पर निम्नलिखित रखें, अर्थात् :—

"4. इस आदेश में किसी राज्य अथवा उसके किसी जिले या अन्य प्रादेशिक खण्ड के प्रति निर्देश का अर्थ यह लगाया जाएगा कि वह 1 मई, 1976 को यथागठित राज्य, जिले या अन्य प्रादेशिक खण्ड के प्रति निर्देश है।";

निर्वाचन आयोग की कतिपय अन्य शक्तियां ।

अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व किए गए कार्यों का विधिमान्यकरण ।

(ग) अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित रखें, अर्थात् :—

“अनुसूची

भाग 1—ग्राम्य प्रदेश

1. आदि ग्राम्य	31. मदासि कुरुव, मादरि कुरुव	
2. आदि द्रविड	32. मादिग	5
3. अनामुक	33. मादिग दासु, मष्टीन	
4. आरे आल	34. महार	
5. अरुन्दतिय	35. माल	
6. अर्व माल	36. माल दासरि	
7. बारिकी	37. माल दासु	10
8. बावुरी	38. माल हन्ने	
9. बेड जगम, बुडग जंगम	39. माल जंगम	
10. बिड्ल	40. मालमस्ति	
11. बैगारा	41. माल साले, नेतकानि	
12. चचटि	42. माल सन्धासी	15
13. चलवादि	43. मांग	
14. चमार, मोची, मुची	44. मांग गारोडी	
15. चम्भार	45. मन्ने	
16. चांडाल	46. मस्ति	
17. डकल, डोकलवार	47. मार्तंगि	
18. दण्डासि	48. मेहतर	20
19. डोर	49. मिताअथ्यल्वार	
20. डोम, डोम्बार, पैडी, पानो	50. मुण्डल	
21. एल्लमलवार, येत्तमालवाण्डलु	51. पाकी, मोती, थोटि	
22. घासी, हट्टी, रेल्लि चचन्डि	52. पम्बड, पम्बण्ड	25
23. गोडगिल्ली.	53. पमिडी	
24. गोडारी	54. पंचम, परथ्य	
25. गोसंगी	55. ल्लि	
26. होलेय	56. सामगार	
27. होलेय दासरि	57. सम्बन	30
28. जगलि	58. सप्रु	
29. जम्नुवुलु	59. सिन्धील्लु चिन्दील्लु	
30. कालुपुलवाण्डलु		

भाग 2—ग्राम्य

1. बांस फोर	9. कैबर्त, जालिया	
2. भुईनाली, माली	10. लालबेगी	35
3. वृत्तियाल बनिया, बनिया	11. महारा	
4. धुपी, धोबी	12. मेहतर, भंगी	
5. डुगला डोली	13. मुची, ऋषि	
6. हीर	14. नामशूद्र	
7. जलकेवट	15. पटनी	40
8. झोली, माली, झाली—माली	16. सूत्रधार	

भाग 3—बिहार

- | | | | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|
| 1. | बांतर | 11. | दुसाध, धारी, धरही |
| 2. | बाउरी | 12. | धासी |
| 3. | भोगता | 13. | हलालखोर |
| 4. | भुईया | 14. | हरि, मेहतर, भंगी |
| 5. | भूमिज (उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर खण्डों तथा सथाल परमना जिले को छोड़कर) | 15. | कंजर |
| 6. | चमार, मोची | 16. | कुरारियार |
| 7. | चौपाल | 17. | लालबेगी |
| 8. | दवगर | 18. | मुसहर |
| 9. | धोबी | 19. | नट |
| 10. | डोम, धनगड़ | 20. | पान, सवासी |
| | | 21. | पासी |
| | | 22. | रजवार |
| | | 23. | तुरी |

15

भाग 4—गुजरात

- | | | | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|
| 1. | अगेर | 12. | हल्लीर |
| 2. | बाकड़, बण्ट | 13. | हलसार, हसलार, हुलस्वार, हलस्वार |
| 3. | बावा-डेढे, डेढे-साधु | 14. | होलार, वल्हार |
| 4. | भाम्बी, भाम्भी, असादर, असोदी, चमाडिया, चमार, चाम्मार, चामगार, हरलय्या, हरली खालपा, मचिगार, मोचीगार, मादर, मादिग, मोची, नालिया, तेलगु मोची, कामटी मोची, राणीगार, रोहिदास, रोहित, सामगार | 15. | होलेय, होलेर |
| 5. | भंगी, मेहतर, ओलगना रूखी, मलकाना, हलालखोर, लालबेगी, बाल्मीकि, कोरार, झाडमल्ली, | 16. | लिगाडेर |
| 6. | चलवादि, चन्नय्य | 17. | महार, तराल, धेगु मेगू |
| 7. | चेन्ना दासर, होलेयदासर | 18. | महायावंशी, धेड़, धेढ, वणकर, मारु वणकर, अन्नयज |
| 8. | डंगशिया | 19. | मांग, मातंग मिनिमादिग |
| 9. | ढोर, कक्कया, कंकय्या | 20. | मांग-गारुडी |
| 10. | गरमातंग | 21. | मेघवल, मेघवाल, मेघवार |
| 11. | गरोडां, गरो | 22. | मुक्री |
| | | 23. | नाडिया, हाडी |
| | | 24. | पासी |
| | | 25. | सेनवा, शे नवा, चेनवा, सेडमा, रावत |
| | | 26. | शिमलिया |
| | | 27. | थोरी |
| | | 28. | तीरगार, तीरबन्द |
| | | 29. | तुरी |
| | | 30. | तुरी, बरोत, डेढ बरोत |

भाग 5—हरियाणा

- | | | | |
|----|-----------------------|-----|---------------------------------------------------|
| 1. | आदि धर्मी | 7. | बाजीगर |
| 2. | बाल्मीकि चूड़ा, भंगी | 8. | भंजारा |
| 3. | बंगाली | 9. | चमार, जटिया चमार, रेहगड़, रैगड़, रामदासी, रविदासी |
| 4. | बराड़, बुराड़, बेराड़ | 10. | चनाल |
| 5. | बटवाल | 11. | डागी |
| 6. | बौरिया, बावरिया, | | |

12. दडै	25. नट	
13. हेहा, हैया, हेआ	26. ओड	
14. धानक	27. पासी	
15. डोगरी, डांगरी, सिग्गी	28. पेरना	
16. डूमना, महाशा, डूम	29. फेररा	5
17. गगड़ा	30. सनहाई	
18. गंठीला, गण्डील, गोन्डोला	31. सनहाल	
19. कबीरपंथी, जुलाहा	32. सांसी, भेड़कूट, मनेश	
20. खटीक	33. संसोई	
21. कोरी, कोली	34. सपेला	10
22. मरीजा, मरेचा	35. सरदेड़ा	
23. मजहबी	36. सिकलीगर	
24. मेघ	37. सिरकीबन्द	

भाग 6-हिमाचल प्रदेश

1. आदि धर्मी	28. हाली	15
2. बांढी, नागलू	29. हेसी	
3. बाल्मीकि, भंगी, चूहड़ा, चूड़ा, चूहड़े	30. जोगी	
4. बान्धेला	31. जुलाहा, जुलाहे, कबीरपंथी, कीर	
5. बंगाली	32. कमोह, दगोली	
6. बंजारा	33. करोक	20
7. बांसी	34. खटीक	
8. बरड़	35. कोरी, कोली,	
9. बराड़, बुराड़, बेराड़	36. लोहार	
10. बटवाल	37. मरीजा, मरेचा	
11. बौरिया, बावरिया	38. मजहबी	25
12. बाजीगर	39. मेघ	
13. भंजड़ा, भंजड़े	40. नट	
14. चमार, जटिया चमार, रेहगड़, रैगड़, रामदासी, रविदासी, रामदासिया, मोची	41. ओड	
15. चनाल	42. पासी	
16. छिम्बे, धोबी	43. पेरना	30
17. डागी	44. फेररा, फेररा	
18. दडै	45. रेहाड़, रेहाड़ा	
19. दरआई, दरयाई	46. सनहाई	
20. दाउले, दावले	47. सनहाल	
21. धाकी, तूरी	48. सांसी, भेड़कूट, मनेश	35
22. धानक	49. संसोई	
23. धावगरी, धुआई	50. सपेला	
24. धोगरी, धांगरी, सिग्गी	51. सरड़े, सरदेड़ा, सराड़े, सिरयाड़े, सरिआड़े	
25. डूम, डूमना, डुमना, डुमने, महाशा	52. सिकलीगर	40
26. गगड़ा	53. सिपी	
27. गंधीभा, गण्डील, गोण्डोला	54. सिरकीबन्द	
	55. तेली	
	56. ठठियार, ठठेरा,	

भाग 7- कर्नाटक

1. आदि आन्ध्र
2. आदि द्रविड़
3. आदि कर्नाटक
- 5 4. अदीय (कुर्ग जिले में)
5. आगेर
6. आजिला
7. अनामुक
8. आरे माल
- 10 9. अरुथथियार
10. अरुमाल
11. बैरा
12. बाकड़, बंट
13. बकुडा
- 15 14. बालगाई
15. बण्डो
16. बंजारा, लम्बाणी
17. बथडा
18. बोडा जंगम, बुडग जंगम
- 20 19. बेल्लरा
20. भंगी, मेहतर, ओलगाना, रूखी, मलकाना, हलालखोर, कालवेगी, बाल्मीकि, कोरार, झाडमाली ।
- 25 21. भंभी, भंभी, असादरू, आसोदी, चमडिया, चमार, चम्मार, चाम-गार, हरलय्या, हरली, खलपा, मचिगार, मोचिगार, मादार, मादिग, मोची, तेलगु-मोची कामटि-मोची, राणीगार, रोहिदास, रोहित, सामगार
- 30 22. भोवी
23. बिदला
24. ब्यागरा
25. चक्किलियान
- 35 26. चलवादी, चल्वादी, चन्नैया
27. चांडाल
28. चेन्नादासर, होलेयदासर
29. दक्कल, दक्कलवार
30. दक्कलिया
- 40 31. डोर, कक्कय्या, कक्कय्या
32. डोम, डोम्बर, पैडी, पानो
33. एल्लमलवार; येल्लमलवाण्डलु
34. गंटी चोर
35. गारोडा, गरो
- 45 36. गोड्डा
37. गौसंगी
38. हल्लीर
39. हलासर, हसलार, हुलस्वार, हुलस्वार
40. हंदी जोगी
41. हस्ला
42. होलार, वलहार
43. होलाय, होलेर, होलेय
44. होलेयदासरी
45. जगली
46. जम्बुवुलु
47. कडैयन
48. कल्लादि
49. कैम्पमारी
50. कोलुपुलवाण्डलु
51. कूसा
52. कोरच
53. कोरम
54. कोटेगार, मैत्री
55. कुडुम्बन
56. कुरवान्
57. लिगाडेर
58. मचला
59. मदारी
60. मादिग
61. महार, तराल, धेगु मेगु
62. माहयावंशी, धेड, वणकर, मारु-बणकर
63. मैला
64. माल
65. मालदासरी
66. माल हुन्नई
67. मालजंगम
68. मालमस्ती
69. मालसाले, नेतकानि
70. माल सन्यासी
71. मांग, मातंग, मिनिमादिग
72. मांग गारुडी, मांगगारोडो
73. मन्ने
74. मशतो
75. माविलन
76. मेघवाल, मेघवार
77. मोगेर
78. मुक्ती
79. मुंडाला
80. नाडिया, हाडी
81. नलकेडय
82. नलकेयव
83. नायाडि

84. पालि	93. सम्बन
85. पल्लन्	94. सपरी
86. पम्बाडा	95. सिल्लेकियथस
87. पंचम	96. सिधोलू, चिदोलू
88. पन्नियाडि	97. सुडुगाटुसिद्ध
89. परइयान, परय्या	98. थोटि
90. परवन	99. तीरगार, तीरबन्द
91. राणीयार	100. वल्लुवन
92. सामगार	

भाग 8—केरल

10

1. आदि आन्ध्र	33. कुंडुम्बन
2. आदि इविड	34. कुरवन, सिद्धनार
3. आदि कर्नाटक	35. मैला
4. आजिला	36. अलयन (पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर)
5. अरुन्थथियार	37. मण्णन
6. अय्यनवर	38. माविलन
7. बैरा	39. मोगेर
8. बकुडा	40. मुण्डाला
9. बंडी	41. नलकेयव
10. बथडा	42. नलकाडय
11. बेल्लारा	43. नायाडी
12. भरतर	44. पदन्न
13. बोयन [राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 (1956 का 37) की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा यथा विनिर्दिष्ट मलाबार जिले में समाविष्ट क्षेत्रों को छोड़कर]	45. पल्लन
14. चक्किलियान	46. पल्लुवन
15. चमार, युञ्जी	47. पाम्बाडा
16. चांडाल	48. पाणन
17. चेस्सन	49. पंचम
18. डोम्बन	50. परैयन, परयन, सांबवर
19. गवार	51. परवन
20. गोडामली	52. पतियन
21. गोड्डा	53. पेरुमण्णन
22. गोसंगी	54. पुलयन, चेरमर
23. हुस्ला	55. पुलय वेटुवन
24. ह्योलेय	56. पुतिरई वण्णन
25. कडैयन	57. राणीयार
26. कक्कलन	58. सामगार
27. कल्लाडी	59. सम्बन
28. कणक्कन, पदन्न	60. सेम्मान
29. करिम्पालन	61. तण्डान
30. कवर	62. थोटि
31. कूसा	63. वल्लोत
32. कूटन, कूडन	64. वल्लुवन
	65. वण्णन
	66. वेलन
	67. वेटन
	68. वेट्टुवन

भाग 9—मध्य प्रदेश

- | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 1. शौबलिया | 29. कातिया, पथरिया |
| | 2. बागरी, बागड़ी | 30. खटीक |
| | 3. बहना, बाहना | 31. कोली, कोरी |
| 5 | 4. बलाही, बलाई | 32. कोतवाल (भिड, धार, देवास,
गुना, ग्वालियर, इन्दौर,
झाबुआ, खरगोन, मन्दसौर,
मुरैना, राजगढ़, रतलाम,
शाजापुर, शिवपुरी, उज्जैन
और विदिशा जिलों में) |
| | 5. बांछडा | 33. खंगार, कनेरा, भिरघा |
| | 6. वरहूर, बसोड | 34. कुचबंधिया |
| | 7. बरगुन्डा | 35. कुम्हार (छतरपुर, दतिया,
पन्ना, रीवा, सतना, शहडोल,
सीधी और टीकमगढ़ जिलों
में) |
| 10 | 8. बसौर, बुरुड, बांसौर, बांसोडी,
बांसफोड, बसार | 36. महार, मेहरा, मेहर |
| | 9. बेड़िया | 37. मांग, मांग गारोडी, मांग गारुडी,
दनखी मांग, मांग महाशी,
मदारी, गारुडी, राधे मांग |
| | 10. बेलदार, सुनकर | 38. मेघवाल |
| | 11. भंगी, मेहतर, बालमीक, लालबेगी,
धरकार | 39. मोघिया |
| 15 | 12. भानुमती | 40. मुसखान |
| | 13. चडार | 41. नट, कालबेलिया, सपेरा,
नवदिगार, कुबुतर |
| | 14. चमार, चमारी, बेरवा, भांबी
जाटव, मोची, रंगड़, नोना,
रोहिदास, सूर्यरामनामी,
सतनामी, सूर्यवंशी, सूर्यरामनामी,
अहिरवार, चमार मंगन, रैदास | 42. पारधी (भिड, धार, देवास,
गुना, ग्वालियर, इन्दौर,
झाबुआ, खरगोन, मन्दसौर,
मुरैना, राजगढ़, रतलाम,
शाजापुर, शिवपुरी, उज्जैन
और विदिशा जिलों में) |
| 20 | 15. चिदार | 43. पासी |
| | 16. चिकवा, चिकवी | 44. रुज्जर |
| | 17. चितार | 45. सांसी, सांसिया |
| 25 | 18. दहाइत, दहायत, दहात | 46. सिलावट |
| | 19. देवर | 47. झमराज |
| | 20. धानुक | |
| | 21. धेड, धेड़ | |
| | 22. धोबी (भोपाल, रायसेन और
सिहोर जिलों में) | |
| 30 | 23. डोहोर | |
| | 24. डोम, डुमार, डोमे, डोभर,
डोरिस | |
| | 25. गांडा, गांडी | |
| 35 | 26. घासी, घसिया | |
| | 27. होलिया | |
| | 28. कंजर | |

भाग 10—महाराष्ट्र

- | | | |
|----|----------------|---------------------------------|
| | 1. अमेर | 6. बाकड़, बंट |
| 40 | 2. अनामुक | 7. बलाही, बलाई |
| | 3. अरे माल | 8. बसौर, बुरुड, बांसौर, बांसोडी |
| | 4. अर्बभाल | 9. बेड जंगम, बुडग जंगम |
| | 5. बहना, बाहना | 10. बेडर |

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11. भंबी, भंभी, असादरू, असोदी,
चमाडिया, चमार, चमारी,
चंधार, चामगार, हरलय्या,
हरल्ल, खलपा, मचीगार,
मोचीगार, मादर, मादिग,
मोची, तेलुगु मोची, कामटी
मोची, राणीगार, रोहिदास,
नोना, रामनामी, रोहित,
समगर, सामगार, सतनामी,
सूर्यवंशी, सूर्यरामनामी | 29. कातिया, पथरिया
30. खंगार, कनेरा या मिरधा
31. खटीक, चिकवा, चिकवी
32. कोलुपुलवाण्डलू
33. कोरी 5
34. लिगाडेर
35. मादशी
36. मादिग
37. महार, मेहर, तराल, धगु
मेगु 10
38. माहयावंशी, घेड, वणकर,
मारूवणकर
39. माल
40. मालदासरी
41. माल हल्लै 15
42. माल जंगम
43. माल मस्ति
44. मालसाले, नैतकानि
45. माल सन्यासी
46. मांग, मातंग, मिनिमादिग, दखनी 20
मांग, मांग-महाशी, मदारी,
गारुडी, राधे मांग
47. मांग गारुडी, मांग गारुडी
48. मन्ने
49. मशती 25
50. मेघवाल, मेघवार
51. मिता अय्यलवार
52. मुक्की
53. माडीया, हाडी
54. पासी 30
55. सांसी
56. शेनवा, चैनवा, सेडमा, रावत
57. सिधौलू, चिदोलू
58. तीरगार, तीरबन्द
59. तुरी 35 |
| 12. भंगी, मेहतर, ओलगना,
रुखी, मलकाना, हलालखोर,
लालबेगी, बाल्मीकि, कोरार,
झाडमाली | |
| 13. बिदला | |
| 14. ब्यागरा | |
| 15. चलवादि, चन्नेया | |
| 16. चेन्नादासर, होलाय दासर,
होलेय दासरी | |
| 17. डक्कल, डोक्कलवार | |
| 18. डोर, कक्कय्या, कन्कय्या,
डोहोर | |
| 19. डोम, डुमार | |
| 20. एल्लमलवार, येल्लम्मलवाण्डलू | |
| 21. गांडा, गांडी | |
| 22. गरोडा, गरो | |
| 23. घासी, घसिया | |
| 24. हल्लीर | |
| 25. हलसार, हसलार, हुस्वार,
हलस्वार | |
| 26. होलर, वलहार | |
| 27. होलाय, होलर, होलेय, हौलिया | |
| 28. कैंकडो (अकोला, अमरावती,
भंभारा, बुलडाना, नागपुर, वर्धा
और यवतमाल जिलों में और
राजुरा तहसील को छोड़कर
चन्द्रपुर जिले में) | |

भाग 11—मणिपुर

- | | |
|-----------------|-------------|
| 1. धुपी, धोबी | 5. पाटनी |
| 2. लोई | 6. सूत्रधार |
| 3. मुची, रविदास | 7. यैथिबि |
| 4. नामशूइ | |

भाग 12—मेघालय

- | | |
|------------------|--------------------------|
| 1. बांसकर | 3. कुत्तियालबनिया, बनिया |
| 2. भुईमाली, भाली | 4. धुपी, धोबी |

- | | | | |
|-----|-----------------------|-----|-------------|
| 5. | डुगला, ढोली | 11. | महरा |
| 6. | हीरा | 12. | मेहतर, भंगी |
| 7. | जलकेवट | 13. | मुचो, ऋषि |
| 8. | झालो, भालो, झालो-भालो | 14. | नाभशूद्र |
| 5 | 9. कैवर्त, जालिया | 15. | पाटनी |
| 10. | लालबेगी | 16. | सूतधार |

भाग 13--उड़ीसा

- | | | | |
|-----|--------------------------|-----|-------------------------------|
| 1. | आदि आन्ध्र | 40. | ईरीका |
| 2. | अमान्त, अभात | 41. | जगली |
| 10 | 3. ओधेलिया | 42. | कंडरा, कंडारा |
| 4. | बडैक | 43. | कारुआ |
| 5. | बाघेटी, बाघुटी | 44. | कटिआ |
| 6. | बाजीकर | 45. | केला |
| 7. | बारी | 46. | खडाल |
| 15 | 8. बारीकी | 47. | कोडालो, खोडालो |
| 9. | बासोर, बुरुड | 48. | कोरी |
| 10. | बाउरी | 49. | कुम्भारी |
| 11. | बाउटी | 50. | कुहंगा |
| 12. | बावुरी | 51. | लवाण |
| 20 | 13. बैडिया, बेजिया | 52. | लाहेरी |
| 14. | बेलदार | 53. | मदारी |
| 15. | भाट | 54. | मादिग |
| 16. | भोई | 55. | महूरिया |
| 17. | चचटी | 56. | भाला, झाला, भालो, झाला |
| 25 | 18. चकली | 57. | भांग |
| 19. | चभार, मोचो, मुचो, सतनामी | 58. | भांगण |
| 20. | चांडाल | 59. | मेहरा, महार |
| 21. | चन्डाई भारू | 60. | मेहतर, भंगी |
| 22. | चेरुआ, छेबिआ | 61. | मेवार |
| 30 | 23. दंडासी | 62. | मुंडपोट्टा |
| 24. | देवर | 63. | मुसहर |
| 25. | धनवार | 64. | नगारची |
| 26. | धोबा, धोबी | 65. | नाभशूद्र |
| 27. | डोम, डोम्बो, डुरीया डोम | 66. | पैडो |
| 35 | 28. दोसधा | 67. | पैण्डा |
| 29. | गंडा | 68. | पामीडी |
| 30. | घंटरघड़ा, घंटरा | 69. | पाण, पाणो |
| 31. | घासी, घसिया | 70. | पंचम |
| 32. | घोगिया | 71. | पाणिका |
| 40 | 33. घुसुरिया | 72. | पंका |
| 34. | गोडागली | 73. | पाणतन्ति |
| 35. | गोडारी | 74. | पाप |
| 36. | गोडरा | 75. | पासी |
| 37. | गोखा | 76. | पटिआल, पाटीकर, पाजतन्ति, पटुआ |
| 45 | 38. गोराईत, कोराईत | 77. | रजना |
| 39. | हाड्डी, हाडी, हरी | | |

78. रेल्ली	86. सियाल	
79. सबाखिआ	87. टमाडिया	
80. सभासी	88. टमुडिया	
81. सनेई	89. तानला	
82. सपरी	90. तियार, तियोर	5
83. सांतिया, सांतिया	91. तुरी	
84. सिधरिआ	92. उजीआ	
85. सिद्धरिया	93. बालमीकि, वाल्मीकि	

भाग 14—पंजाब

1. आदि धर्मी	18. गंडोला, गण्डील गोण्डोला	
2. वाल्मीकि, चूड़ा, भंगी	19. कबीरपंथी, जुलाहा	10
3. बंगाली	20. खटीक	
4. बरड़, बुरड़, बेरड़	21. कोरी, कोली	
5. बटवाल	22. भरीजा, सरेचा	
6. बौरिया, बावरिया	23. सजहबी	15
7. बाजीगर	24. मेघ	
8. भंजड़ा	25. नट	
9. चमार, जटिया चमार, रेहगड़, रैगड़, रामदासी, रविदासी	26. ओड	
10. चनाल	27. पासी	
11. डागी	28. पेरना	20
12. दड़	29. फेरेरा	
13. डेहा, डैया, डेआ	30. सनहाई	
14. धानक	31. सनहाल	
15. ढोगरी, ढांगरी, सिग्गी	32. सांसी, भेड़कुट, मनेश	
16. डूमना, महाशा, डूम	33. संसोई]	25
17. गगड़ा	34. सरैड़ा	
	35. सिकलीगर	
	36. सपैला,	
	37. सिरकीबन्द	

भाग 15—राजस्थान

1. आदि धर्मी		30
2. अहेरी		
3. बदी		
4. बागरी, बागड़ी		
5. बैरवा, बेरवा		
6. बाजगर	14. भंगी, चूड़ा, मेहतर, श्रीलगाना, रुखी, मलकाना, हलालखोर, लालवेगी, बालमीकि, वाल्मीकि, कोरार, झाडमाली	
7. बलाई	15. विदाकिया	35
8. बांसफोर, बांसफोड़,	16. बोला	
9. बावरी	17. चमार, भंभी, बंभी, भंबी, जटिया, जाटव, जाटवा, मोची, रैदास, रोहिदास, रेगड़, रैगड़, रामदासिया, असादरू, असोदी, चमाडिया चम्भार, चामगार, हरलथ्या, हराली, बालपा, भचिगार, मोचीगार,	40
10. बर्गी, वर्गी, बिर्गी		
11. बावरिया		
12. बेडिया, बेरिया		
13. भांड		

- भाबर, मादिग, तेलगु मोची,
काभटी मोची, राणीगार,
रोहित, सामगार
18. चांडाल
5 19. दबगर
20. धानक, धानुक
21. धानकिया
22. धोबी
23. ढोली
10 24. डोम, डूम
25. गांडिया
26. गरांचा, गांचा
27. गरो, गरुड, गुर्डा, गोडा
28. गवारिया
15 29. गोधी
30. जीनगार
31. कालबेलिया, सपेरा
32. कामडे, कामड़िया
33. कंजर, कुंजर
20 34. कपाड़िया सांसी
35. खंगार
36. खटीक
37. कोली, कोरो
38. कूचबन्द, कुचबन्द
39. कोरिया
40. मदारी, बाजीगर
41. महार, तराल, धेगुमेगु
42. माह्यावंशी, डेड़, डेड़ा, वणकर,
मारु वणकर
43. मजहबी
44. मांग, मातंग, मिनिमादिश
45. मांग गारोड़ी, मांग गरुडी
46. मेघ, मेघवाल, मेघवल, मेंघवार
47. मेहर
48. नट, नुट
49. पासी
50. रावल
51. सालवी
52. सांसी
53. सांतिया, सतिया
54. सरभंगी
55. सरगड़ा
56. सिंगीवाला
57. थोरी, नायक
58. तीरगार, तीरबन्द
59. तुरी

भाग 16--तमिलनाडु

- 25 1. आदि आन्ध्र
2. आदि द्रविड
3. आदि कर्नाटक
4. अजिला
5. अस्तितियार
- 30 6. अय्यनवर (कन्याकुमारी जिले में और तिरुनेलवेली जिले के शेन्कोट्टा तालुक में)
7. बैरा
8. बकुड़ा
35 9. बण्डी
10. बेल्लरा
11. भरतर (कन्याकुमारी जिले में और तिरुनेलवेली जिले के शेन्कोट्टा तालुक में)
- 40 12. चक्किलियन्
13. चलवादि
14. चमार, मुची
15. चाण्डाल
16. चेरुमान
45 17. देवेन्द्रकुलयन
18. डोम, डोम्बारा, पैड़ी, पानो
19. डोम्बन
20. गोडागली
21. गोड्डा
22. गोसंगी
23. होलेय
24. जगगली
25. जम्बुवुलु
26. कडइयन
27. कक्कलन (कन्याकुमारी जिले में और तिरुनेलवेली जिले के शेन्कोट्टा तालुक में)
28. कल्लादि
29. कनक्कन, पाडना (नीलगिरि जिले में)
30. करिम्पालन
31. कावरा (कन्याकुमारी जिले में और तिरुनेलवेली जिले के शेन्कोट्टा तालुक में)
32. कोलियन
33. कूसा
34. कूतन, कूडन (कन्याकुमारी जिले में और तिरुनेलवेली जिले के शेन्कोट्टा तालुक में)

35. कुडुम्बन	57. परवन (कन्याकुमारी जिले में और तिरुनेलवेली जिले के शेन्कोट्टा तालुक में)	
36. कुरवन. सिद्धनार	58. पथियन (कन्याकुमारी जिले में और तिरुनेलवेली जिले के शेन्कोट्टा तालुक में)	5
37. मदारी	59. पुलयन, चेरभार	
38. मादिग	60. पुदिरै वन्नन	
39. मैला	61. राणीथार	
40. माल	62. सामगार	10
41. मन्नन (कन्याकुमारी जिले में और तिरुनेलवेली जिले के शेन्कोट्टा तालुक में)	63. सम्बन	
42. माविलान	64. सपरी	
43. मोगर	65. सेम्पन	
44. मुण्डाला	66. तण्डन (कन्याकुमारी जिले में और तिरुनेलवेली जिले के शेन्कोट्टा तालुक में)	15
45. नलकेयव	67. थोटि	
46. नायाडी	68. तिरुवल्लुवर	
47. पडन्नन (कन्याकुमारी जिले में और तिरुनेलवेली जिले के शेन्कोट्टा तालुक में)	69. वेल्लन	
48. पगाडै	70. वल्लुवन	20
49. पल्लन	71. वन्नन	
50. पल्लुवन	72. वात्तिरियन	
51. पमवाडा	73. वेलन	
52. पानन (कन्याकुमारी जिले में और तिरुनेलवेली जिले के शेन्कोट्टा तालुक में)	74. वेटन (कन्याकुमारी जिले में और तिरुनेलवेली जिले के शेन्कोट्टा तालुक में)	25
53. पंचम	75. वेदियान	
54. पन्नाडी	76. वेट्टुवन (कन्याकुमारी जिले में और तिरुनेलवेली जिले के शेन्कोट्टा तालुक में)	30
55. पन्नियांडी		
56. परैयन, परयन, साम्बवर		

भाग 17--त्रिपुरा

1. बागड़ी	17. कनुध	
2. भुईमाली	18. केवट	
3. भुनर	19. खावित	
4. चमार, मुची	20. खारिया	35
5. डण्डासी	21. कोच	
6. धेनुअर	22. कोयर	
7. धोबा	23. कोल	
8. डूम	24. कोरा	
9. घासी	25. कोटाल	40
10. गौर	26. महिष्यदास	
11. गुर	27. माली	
12. जालिया कैबर्त	28. मेहतर	
13. कहार	29. मुसहर	
14. कालिन्दी	30. नामशूद्र	45
15. कान	31. पाटनी	
16. कण्डा	32. सबर	

भाग 18—उत्तर प्रदेश

1. अग्ररिया	34. धरामी	
2. बधिक	35. धसिया	
3. बादी	36. गोंड	
4. बहेलिया	37. ग्वाल	5
5. बैगा	38. हबूड़ा	
6. बैसवार	39. हरी	
7. बजनिया	40. हेला	
8. बाजगी	41. कलाबाज	
9. बलहार	42. कंजर	10
10. बलाई	43. कपड़िया	
11. वाल्मीकि	44. करवल	
12. बंगाली	45. खैराहा	
13. वनमानुष	46. खरवार (वनवांसी को छोड़कर)	
14. वांसफोड़	47. खटीक	15
15. बरवार	48. खोरोट	
16. बसोड़	49. कोल	
17. बावरिया	50. कोरी	
18. बेलदार	51. कोरवा	
19. बैरिया	52. लालबेगी	20
20. भंतू	53. मझवार	
21. भुईया	54. मजहबी	
22. भईयार	55. मुसहर	
23. बोरिया	56. नट	
24. चमार, धुसिया, झुसिया, जाटव	57. पंखा	25
25. चेरो	58. परहिया	
26. दबगर	59. पासी, तरमाली	
27. धनगर	60. पाटरी	
28. धानुक	61. रावत	
29. धारकार	62. सहारया	30
30. धोबी	63. सिनौढ़िया	
31. डोम	64. सांसिया	
32. डोमर	65. शिल्पकार	
33. दुसाध	66. तुरहिया	

भाग 19—पश्चिमी बंगाल

1. बागड़ी, दुले	12. चौपाल	
2. बहेलिया	13. दबगर	
3. बायती	14. दामाई (नेपाली)	
4. बंतर	15. धोबा, धोबी	
5. बौरी	16. दोयाई	40
6. बेलदार	17. डोम, धंगड़	
7. भोगता	18. दोसाध, दुसाध, धारी, धारही	
8. भुईमाली	19. घासी	
9. भुइया	20. गोनरही	
10. बिन्द	21. हलालखोर	45
11. चमार, चर्मकार, मोची, मुची, रविदास, रैदास, ऋषि	22. हरी, मेहतर, मेहतीर, भंगी	
	23. जालिया, कैबत	

- | | | | |
|-----|--------------------|-----|------------------------|
| 24. | झालो मालो, मालो | 43. | माल |
| 25. | कादर | 44. | मल्लाह |
| 26. | कामी (नेपाली) | 45. | मुसहर |
| 27. | कांदरा | 46. | नामशूद्र |
| 5 | 28. कंजर | 47. | नट |
| | 29. कावरा | 48. | नूनिया |
| | 30. करेंगा, कोरंगा | 49. | पलिया |
| | 31. कौर | 50. | पान, सवासी |
| | 32. केवट, केयोट | 51. | पासी |
| 10 | 33. खैरा | 52. | पाउनी |
| | 34. खटीक | 53. | पोद, पोन्द्रा |
| | 35. कोच | 54. | राजवंशी |
| | 36. कोनाई | 55. | राजवार |
| | 37. कोनवार | 56. | शङकी (नेपाली) |
| 15 | 38. कोटाल | 57. | सुनरी (साहा को छोड़कर) |
| | 39. कुरारियर | 58. | तियर |
| | 40. लालबेगी | 59. | तूरी ।” । |
| | 41. लोहार | | |
| | 42. महार | | |

20

द्वितीय अनुसूची

(धारा 4 देखिए)

अध्याय 1

संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश, 1950 में,—

(क) पैरा 3 के स्थान पर निम्नलिखित रखें, अर्थात् :—

25

“3. इस आदेश में किसी राज्य अथवा किसी जिले या अन्य प्रादेशिक खण्ड के प्रति निर्देश का अर्थ यह लगाया जाएगा कि वह 1 मई, 1976 को यथा गठित राज्य, जिले या अन्य प्रादेशिक खण्ड के प्रति निर्देश है ।” ;

(ख) अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित रखें, अर्थात् :—

30

“अनुसूची

भाग 1—आन्ध्र प्रदेश

- | | | | |
|----|--------------------------------|-----|------------------------------|
| 1. | अन्ध | 11. | कट्टानायकन |
| 2. | बगटा | 12. | कोलम, मन्नेरवलू |
| 3. | भील | 13. | कोंडा दोरा |
| 35 | 4. चेंचु, चेंचवार | 14. | कोंड कापु |
| | 5. गडुवा | 15. | कोंडारेड्डि |
| | 6. गोंड, नायकपोड, राजगोंड | 16. | कोंड, कोडि, कोधू, देस्य |
| | 7. गौड़, (अभिकरण भूखण्डों में) | | कोंड, डोंगरिया कोंध, कट्टिया |
| | 8. हिल रेड्डि | | कोंड, टिकरिया कोंड, येनिटी |
| 40 | 9. जातपु | | कोंड |
| | 10. कम्भर | | |

- | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 17. कोटिया, बेंथोओरिया, बर्तिका,
धुलिया, डुलिया, होल्बा,
पैको पुटिया;
सन्रोण सिधोपैको | 23. नायक (अभिकरण भूखण्डों में) | |
| 18. कोया गोड. राजा, राश
कोया, लिंगधारी कोया
(साधारण) कुट्टू कोया, भासा
कोया, राज कोया | 24. परधाण | |
| 19. कुलिया | 25. पोर्जा, पेरंणीपेर्जा | |
| 20. माली (आदिलाबाद, हैदराबाद,
करीम नगर, खम्माम, महबूब-
नगर, मेदक, नलमोंडा,
निजामाबाद और वारंगल जिलों
को छोड़कर) | 26. रेड्डि धोरा | |
| 21. मन्न दौरा, | 27. रोणा, रेणा | 5 |
| 22. मखा दौरा, नूका दौरा | 28. सवार, कापू सवार, मलिया
सवार, खुट्टा सवार | 0 |
| | 29. सुगाली, लम्बाडी | |
| | 30. धोट्टि, (आदिलाबाद, हैदरा-
बाद, करीमनगर, खम्माम,
महबूबनगर, मेदक, नलमोंडा,
निजामाबाद और वारंगल
जिलों में) | 10 |
| | 31. बाल्मीकि (अभिकरण भूखण्डों में) | |
| | 32. येनाडी | 15 |
| | 33. येरुकुला | |

भाग 2--आसाम

1. स्वशासी जिलों में:--

- | | | |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|----|
| 1. चाकमा | (xviii) खोल्ह | |
| 2. डिमासा कछारी | (xix) किपूगेन | |
| 3. गारो | (xx) कुकी | 20 |
| 4. हाजंग | (xxi) लेथांग | |
| 5. ह्यार | (xii) ल्हाधम | |
| 6. खासी, जयन्तिया, सिन्तैंग,
प्लार, वार, भोई, लिंगनागम | (xxiii) ल्हाजेम | |
| 7. निम्नलिखित के सहित कोई कूकी
जनजातियां :-- | (xxiv) ल्हाबुन | |
| (i) बियाते, बियेते | (xxv) लुफैंग | 25 |
| (ii) चांगसान | (xxvi) मांजेल | |
| (iii) चंगलोई | (xxvii) मिसाऊ | |
| (iv) दौंगले | (xxviii) रिआंग | |
| (v) गमल्हो | (xxix) सैहैम | |
| (vi) गांगटे | (xxx) सेलूनाम | 30 |
| (vii) गुहते | (xxxii) सिंगसन | |
| (viii) हान्नेंग | (xxxiii) सितल्हो | |
| (ix) हौकिप या हौपित | (xxxiv) सुक्ते | |
| (x) हौलाई | (xxxv) थाडो | |
| (xi) हेंगना | (xxxvi) थांग्यू | 35 |
| (xii) हंसुंध | (xxxvii) उइद् | |
| (xiii) हांग्खवाल, रंखल | (xxxviii) व्हाइफे | |
| (xiv) जंम्बे | | |
| (xv) खवौचूंग | 8. लाखेर | |
| (xvi) खवौलंग, खोतालंग | 9. (ताई बोलने वाली) मान | |
| (xvii) खेलमा | 10. कोई मिजो (लुशाई) जन जातियां 4) | |
| | 11. मिकिर | |
| | 12. कोई नामा जनजातियां | |
| | 13. पावी | |
| | 14. सिन्तैंग । | |

2. स्वशासी जिलों को छोड़कर आसाम राज्य में :—

- | | |
|---------------------|-------------------|
| 1. कछार में बर्मन | 5. कछारी, सोन्वाल |
| 2. बड़ा, बड़ो कछारी | 6. लालुंग |
| 3. ड्योरी | 7. मेच |
| 4. झांजाई | 8. मिरी |
| | 9. राभा |

भाग 3—बिहार

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1. असुर | 15. करमाली |
| 2. बेगा | 16. खरिया |
| 3. बनजारा | 17. खरवार |
| 4. बठुडी | 18. खोंड |
| 10 5. बेदिया | 19. किसान |
| 6. भूमिज (उत्तरी छोटानागपुर
और दक्षिण छोटानागपुर खण्डों
[और संथाल परगना जिले में]) | 20. कोरा |
| 7. बिझिया | 21. कोरवा |
| 15 8. विरहोर | 22. लोहार, लोहरा |
| 9. विरजिया | 23. साहली |
| 10. चैरो | 24. माल पहरिया |
| 11. चिक बराइक | 25. मुन्डा |
| 12. गोंड | 26. उरांव |
| 20 13. गौराहत | 27. परहया |
| 14. हो | 28. संथाल |
| | 29. सोरिया पहाडिया |
| | 30. सावर |

भाग 4—गुजरात

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. बर्डी | 11. गभित, गस्ता, गविट, भची,
पदवी |
| 2. बावचा, बामचा | 12. गौंड, राजगोड |
| 25 3. भरवाढ़ (अलेच्छ, गीर, बराढ़ा
के जंगलों के नैसों में) | 13. कथोडी, कटकारी, ढोर, कथोडी,
ढोर कटकारी, सोन कथोडी,
सोन कटकारी |
| 4. भील, भील गरासिया,
धोली भील, डुंगरी भील,
डुंगरी गरासिया, मेवासी | 14. कोकणा, कोकणी, कुक्णा |
| 30 5. भील, रावल भील, तडवी
भील, भगालिया, भिलाला,
पावड़ा, बसावा, बसावे । | 15. कोली |
| 6. चारण (अलेच्छ, बराढ़ा और
गीर के जंगलों के नैसों
में) | 16. कोली ढोर, टोकरे कोली,
कोल्चा, कोल्घा |
| 35 7. चौधरी (सूरत और बलसाद
जिलों में) | 17. कुन्बी, (डांगस जिले में) |
| 8. चौधरा | 18. नायकाडा, नायेका, चोलीवाला
नायक, कपाडिया नायक,
मोटा नायक, नाना-नायक |
| 9. धनक, तडवी, तैतारिया, बलवी | 19. पाघर |
| 40 10. धोडिया, | 20. पराधी (कच्छ जिले में) |
| 11. दुबला, तलाविया, हलपति | 21. पधी, अदविचिन्चेर, फ्रानसे
पधी (अभरेली, भावनगर,
जामनगर, जूनागढ़, कछ,
राजकोट और सुरेन्द्रनगर
जिलो को छोड़कर) |

- | | | |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 22. पटेलिया | 26. सिद्दी (अमरेली, भावनगर,
जामनगर, जूनागढ़, राजकोट
और सुरेन्द्रनगर जिलों में) | |
| 23. पोमला | 27. वाघी (कच्छ जिले में) | |
| 24. रबरी (अलेच्छ, बरादा और
गीर, के जंगलों के नेशों में) | 28. वारली | 5 |
| 25. राथवा | 29. विटोलिया, कोटवालिया,
बरोडिया | |

भाग 5—हिमाचल प्रदेश

- | | | | |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----|
| 1966 का 31 | 1. भोट, बोढ़ | की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट
राज्यक्षेत्रों को छोड़कर) | 10 |
| | 2. गद्दी [पंजाब पुनर्गठन अधिनियम,
1966 की धारा 5 की उपधारा
(1) में विनिर्दिष्ट, लाहौल
और स्पिती जिले से भिन्न
राज्यक्षेत्रों को छोड़कर] | | |
| 1966 का 31 | 3. गुज्जर (पंजाब पुनर्गठन अधि-
नियम, 1966 की धारा 5 | 4. जाद, लाम्बा, खम्पा | |
| | | 5. कनौरा, किन्नारा | |
| | | 6. लाहौला | |
| | | 7. पंगवाला | |
| | | 8. स्वांगला | 15 |

भाग 6—कर्नाटक

- | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. अदियन | 18. कनियान, कन्यान (मैसूर जिले
के कोलेगल तालुक में) | |
| 2. बर्डा | 19. काथोडी, काटकारी, डोर कथोडी,
डोर काटकारी, सोन कथोडी,
सोन काटकारी | 2 |
| 3. बवचा, बम्चा | 20. काट्टनायकन् | |
| 4. भील, भील गरासिया, धोली
भील, डुंगरी भील, डुंगरी
गरासिया, भेवासी भील, रावल
भील, तड़वी भील, भगालिया,
भिलाला, परवा, बासव,
वासवे | 21. कोंकण, कोंकणी, कुक्णा | |
| 5. चेचू, चेंचवार | 22. कोली घोर, टोकरा कोली,
कोल्वा, कोल्घा | 25 |
| 6. चोधारा | 23. कोंडा कापूस | |
| 7. दुबला, तालाविया, हूलपर्ता | 24. कोरग | |
| 8. गामिट, गगटा, गाविट, भावचि,
पदवी, वालवी | 25. कोटा | |
| 9. गोंड, नायकपोड, राजगोंड | 26. कोया, भिने कोया, राजकोया | |
| 10. गोब्डालू | 27. कुडिया, मैलकुडी | 30 |
| 11. हक्कीपिक्की | 28. कुरुब | |
| 12. हासालारु | 29. कुरुमान | |
| 13. इरुलर | 30. महा मालासार | |
| 14. इरुलिगा | 31. मलाई कुडी | |
| 15. जेनु कुरुबा | 32. मालासार | 35 |
| 16. काडू कुरुबा | 33. मालायेकान्डी | |
| 17. कम्मारा (दक्षिणी कनारा
जिला और मैसूर जिले के
कोलेगल तालुक में) | 34. मालेरु | |
| | 35. सराठा | |
| | 36. सराटी | |
| | 37. मेडा | 40 |
| | 38. नायकडा, नायक, चौलीवाला,
नायका, कपाडिया नायक,
मोटा नायक, नाना नायक | |

39. पल्लियाण	45. सोलीगार	
40. पानियान	46. टोडा	
41. पार्धी अडविदिन्चेर, पनसे पार्धी	47. वरली	
42. पटेलिया	48. विटोलिया, कोतवालिया,	
43. राथावा	बारोडिया	5
44. शोलगा	49. थेरावा	

भाग 7--केरल

1. आडियन्	17. कुरुमन्	
2. अरंडन्	18. कुरुमबास	
3. अरावालन्	19. महामालासार	10
4. हिल पुलया	20. मलय अर्षन	
5. इरुलर्, इरुलन्	21. मलय पंडारम्	
6. कादर	22. मलवेडन	
7. कमारा [राज्य पुनर्गठन अधि- नियम, 1956 (1956 का 37) से धारा 5 की उपधारा (2) में यथा विनिर्दिष्ट मालाबार जिले के क्षेत्रों में]	23. मलकुर्वन	
8. कणिकारन्, काणिकर्	24. मालासार	15
9. काट्टुनायकन्	25. मलायन (पहाड़ी क्षेत्रों में)	
10. कोच्चूवेलन	26. मलयरयर्	
11. कोनडा कापूस	27. मतान्	
12. कोण्डरेडिड्स	28. माराटि (कन्नोर जिले के होसडुण और कासरगोड तालुक में)	20
13. कोरम	29. मुतुवान, मुदुगर, मुदुवन	
14. कोटा	30. पल्लियान	
15. कुडीया, मेलाकुडी	31. पल्लियान	
16. कूरच्चिचान्	32. पल्लियार	
	33. पाणियन्	25
	34. उल्लाडन	
	35. उरालि	

भाग 8--मध्य प्रदेश

1. अगरिया	14. धनवार	
2. आन्ध	15. गडबा, गडबा	
3. बैगा	16. गौंड, अरख, आरख, अगरिया;	30
4. भैना	असुर, बड़ी मारिया, बड़ा	
5. भारिया, भूमिया, भुईआर भूमिया, भूमिया, भारिया, पालिहा, पांडो	मारिया, भटोला, भीमा, भुता, कोइलाभुता, कोइलाभुती, भार, बिसोनहान, मारिया, छोटा	
6. भतरा	मारिया, दंडामी मारिया, धुर,	35
7. भील, भिलाला, बरेला, पट- लिया	धुरवा, धोबा, धुलिया, डोरला, गायकी, गट्टा, गट्टी, गैटा,	
8. भील मीना	गौंड, गोवारी, हिल मारिया,	
9. भंजिया	कंडरा, कलंगा, खटोला, कोइ-	
10. बिआर, बीआर	तर, कोया, खिरवार, खिरवारा,	40
11. बिझवार	कुचा मारिया, कुचाकी मारिया,	
12. बिरहुल, बिरहोड़	भाडिया, भारिया, माना, मन्ने-	
13. दमोर, दामरिया	वार, भोप्या, भोगिया, माध्या,	

- मुडिया, मुरिया, नभारची,
नागवंशी, ओझा, राज, सोन्धारी,
झरेका, थाटिया, थोटया, वाडे-
माडिया, वडेमाडिया, दराइ,
- 5
17. हलवा, हलवी
18. कमार
19. काकू
20. फवर, कंबर, कौर, चेरवा,
10 राठिया तनवर, छत्री
21. कौर (भोपाल, रायसेन और
सिहोर जिलों में)
22. खैरवार, कोंदर
23. खरिया
15 24. कोंध, खोंड, कांध
25. कोल
26. कोलम
27. कोरकू, बोपची, मवासी, जिहल,
नाहुल, बाँधी, बाँडेया
20 28. कोरवा, कोडाकू
29. मांझी
30. मझवार
31. मवासी
32. बीना (विदिशा जिले के सिरोंज
25 सब-डिवीजन में)
33. मुंडा
34. नगोसिया, नगासिया
35. उरांव, धानका, धनगड
36. पनिका (छतरपुर, दतिया,
30 पन्ना, रीवा, सतना शहडोल,
सोधी और टीकमगढ़ जिलों
में)
37. पाव
38. परधान, पथारी, सरौती
35 39. पारधी (भोपाल, रायसेन तथा
सिहोर जिलों में)
40. पारधी, बहेलिया, बहेलिया,
चिता पारधी लंगोली पारधी,
फांश पारधी, शिपारी,
टाकनकर टाकिया [(1)
बस्तर, छिदवाड़ा, मंडला
रायगढ़, सिवनी और सलगुजा
जिलों में (2) बालाघाट जिले
की बेहर तहसील में (3) बैतूल
जिले के बैतूल और भैंसदेही
तहसीलों में (4) विलासपुर
जिले की विलासपुर और
कटहोरा तहसीलों में (5) दुर्ग
जिले की दुर्ग और संजरी
तहसीलों में (6) राजनन्द गांव
जिले के चौकी मानपुर और
महाला राजस्व निरीक्षकों के
क्षेत्रों में (7) जबलपुर जिले
के मुखारा, पाटन और सिहोर
तहसीलों में (8) होशंगाबाद
जिले की होशंगाबाद और सुहाम-
पुर तहसीलों और नरसिंहपुर
जिले में (9) खंडवा जिले की
हरसुद तहसील में (10) राय-
पुर जिले की बिद्रा नवगढ़,
धमतरी और महासमुन्द तह-
सीलों में)
41. परजा
42. सहारिया, सहरिया, सेहरिया,
सहरिया, सोसिया, सौर
43. साग्रोता, सौता
44. सौर
45. सावर, सवरा
46. सौर

भाग 9—महाराष्ट्र

1. आंध
2. बैगा
40 3. बडी
4. बावचा, दाभन्दा
5. भैना
6. भारिअ, पाणिया, भुईहार-
भूसिया, पाण्डों
45 7. भतरा
8. भील, भील गरसिया, धोली
भील, डुंगरी भील डुंगली गर-
सिया, मेवासी, भील, रावल
भील, तडवी भील, भगालिया,
भिलाला, पावरा, बसावा, बसावे
9. भूजिया.
10. बिझवार
11. बिहल विरडोड

- | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 12. चौधरा (अकोला, अमरावती, भंडारा, बुल्ढाना चन्द्रपुर, नागपुर, वर्धा, यवतमाल, औरंगाबाद, भीर, नान्देड, उस्मानाबाद और परभानी जिलों को छोड़कर) | 25. कोकणा, कोकणी, कुकणा | |
| 13. धाणका, तडवी, तैतारिया, बलवी | 26. कोल | |
| 14. धनवार | 27. कोलम, मन्नेवरलू | |
| 15. धोडिया | 28. कोली ढोर, टोकरे कोली, कोलचा, कोलधा | 5 |
| 16. दुबला, तालकिया, हलपति | 29. कोली महादेव, डोंगर कोली | |
| 17. गामिट, गामटा, गाविट, मावचि पडवि | 30. कोली महार | |
| 18. गोंड, राजगोंड, अरख, आरख, अमारिया, असुर, बड़ी मारिया, बड़ा मारिया, भटोला, भीक्षा, भुता, कोइलाभुता, कोइलाभुती, भार, बिसोनिहान मारिया, छोटा मारिया, दंडामीरू मारिया, धुष्ट, धरवा, धोबा, धुलिया, डोरला, गायकी, गट्टा, गट्टी, गैटा, गोंड गोवारी, हिल मारिया, कंडरा, कलंगा, खटोला, कोइतर, कोया, खिरवार, खिरवारा, कुचा मारिया, कुचाकी मारिया, मढिया मारिया, माना, मन्नेवार, मोधया, मोगिया, मौघया, माडिया, लारिया, नगारची, नायकपाड, नागवंशी, ओझा, राज, सोन्धारी, झरेका, थाटिया थोटया, वाडे-मारिया, वाडेमारिया | 31. कौंध, खौंड, कांध | |
| 19. हलबा, हलबी | 32. कारकू, बापची, मौवासी, निहाल, नाहुल, वोधी, वौधया | 10 |
| 20. कमार | 33. कोया, भिल्ले कोया, राजकोया | |
| 21. काथोडि, काटकारी, ढोर काथोडि, ढोर काटकारी, सोन काथोडि, सोन काटकारी | 34. नगेचिया, नगासिया | |
| 22. कवर, कंवर, कौर, चेरवा, राठिया, तनवर, छवी | 35. नायकडा, नायक, नायका, चोलीवाला, नायक, कपाडिया नायक, सोटा नायक, नाना नायक | 15 |
| 23. खैरवरा | 36. ओरांव, धनगड | |
| 24. खडिया | 37. परधान, पथारी, सरौती | |
| | 38. पारधी, अडविचिचेर, फंस पारधी, लंगोली पारधी, बहेलिया, बहेल्लिया चित पारधी, शिकारी, टनकनकर, टकिया | 20 |
| | 39. परजा | |
| | 40. पटलिया | |
| | 41. पोमला | 25 |
| | 42. राधवा | |
| | 43. सावर, सावरा | |
| | 44. ठाकुर, ठाकर, का-ठाकुर, का-मठाकर, मा-ठाकुर, मा-ठाकर | |
| | 45. थोटि (औरंगाबाद, भीर, नान्देड, उस्मानाबाद, और परभानी जिलों और चन्द्रपुर जिले की राजुरा तहसील में) | 30 |
| | 46. वारली | |
| | 47. विटोलिया, कोतवालिया, बरो-डिया | 35 |

भाग 10--सणिपुर

- | | |
|-----------|--------------|
| 1. आयमोल | 8. कान्बुई |
| 2. एनाल | 9. ऊच्छा नाग |
| 3. अंगामी | 10. खोइराओ |
| 4. चिरू | 11. कोयरंग |
| 5. चौथे | 12. कोम |
| 6. गंगते | 13. लैसगैंग |
| 7. हमार | 14. माओ |

- | | | | |
|-----|-----------------------------|-----|---------|
| 15. | मराम् | 22. | राल्टे |
| 16. | मैरिंग | 23. | सेमा |
| 17. | कोई मिजो (लुसाई) जन जातियां | 24. | सिम्टे |
| 5 | 18. मोन्सैग | 25. | सूहटे |
| | 19. मायोन | 26. | तेंगखुल |
| | 20. पाइटे | 27. | थाडो |
| | 21. पुरुम | 28. | व्हाइफै |
| | | 29. | जाओ |

भाग 11—मेघालय

- | | | | |
|----|------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|
| 10 | 1. चाक्कमा | (XiX) | किपगेन |
| | 2. डिमासा, कछारी | (XX) | कूकी |
| | 3. गारो | (XXi) | लेंथांग |
| | 4. हाजंग | (XXii) | ल्हांगम |
| | 5. हमार | (XXiii) | ल्हाजंग |
| 15 | 7. खासी, जैन्तिया, सिन्तोंग, प्जार, वार, भोई, लिगाम | (XXiv) | ल्होबुन |
| | 7. कोई कुकी जन जातियां जिनके अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं :- | (XXV) | लुफेंग |
| | | (XXVi) | मांजेल |
| | | (XXvii) | मिसाऊ |
| | | (XXviii) | रियांग |
| 20 | (i) बियाते, बियेते | (XXix) | सैरहेम |
| | (ii) चंगसान | (XXX) | सेल्नाम |
| | (iii) चंगलोई | (XXXi) | सिंगसन |
| | (iv) दौगेल | (XXXii) | सितल्हो |
| | (v) गमल्हो | (XXXiii) | सुकते |
| 25 | (vi) गंगते | (XXXiv) | थादो |
| | (vii) गुइते | (XXXV) | थांगन्यू |
| | (viii) हैन्तंग | (XXXvi) | उइबू |
| | (ix) होंकिप, हैपित | (XXvii) | व्हाइफै |
| | (x) होलाई | 8. | लाखेर |
| 30 | (xi) हेंगता | 9. | मान (ताई बोलने वाली) |
| | (xii) होनसुध | 10. | कोई मीजो (लुसाई) जन जातियां |
| | (xiii) ह्वाग्खोवाल, रंखोल | 19. | मिकिर |
| | (xiv) जंग्बे | 12. | कोई नागा जन जातियां |
| | (xv) ख्वीचंग | 13. | पावी |
| 35 | (xvi) ख्वोल्लंग, खोतालंग | 14. | सितेंग |
| | (xvii) खेल्सा | | |
| | (xviii) खोलु | | |

भाग 12—उड़ीसा

- | | | | |
|----|---------------------|-----|--------------|
| 40 | 1. बागडा | 8. | भूमिज |
| | 2. बैगा | 9. | भूजीआ |
| | 3. बणजारा, वणजारी | 10. | बिजाल |
| | 4. बाथुडी | 11. | बिझिआ, बिझोआ |
| | 5. भौत्तडा, धोत्तडा | 12. | बीरहोर |
| | 6. भुइया, भूआ | 13. | बोंडोपोरजा |
| 45 | 7. भूमिआ | 14. | चेन्चू |

15. दाल	39. कौरा	
16. देसुआ भूमिज	40. कुटीआ	
17. धारुआ	41. कोया	
18. दिदयी	42. कुली	
19. गादबा	43. लोधा	5
20. गाडिया	44. मादिआ	
21. धारा	45. माहालि	
22. गोंड, गोंडो	46. मांकिडी	
23. हो	47. मांकिरडिआ	
24. होलवा	48. माटिआ	10
25. जातपु	49. मिर्धा	
26. जुआंग	50. मुंडा, मुंडालोहरा, मुंडा-महाली	
27. कंध गोड	51. मुंडारी	
28. कावार	52. श्रीमनात्या	
29. खडीआ, खडीयां	53. ओरांक	15
30. खरवार	54. पेरंगा	
31. खोंड, कोंड, कन्ध, नांगुली कन्धा, शीथा कन्धा	55. परोजा	
32. किसान	56. पेंटिआ	
33. कोल	57. राजुआर	
34. कोल्हा लोहार, कोल-लोहार	58. सांताल	20
35. कोल्हा	59. सवोरा, सवर, सौरा, सहरा	
36. कोली, मल्हार	60. शवर, लोधा	
37. कोन्डावोरा	61. साउन्ती	
38. कोरा	62. थासआ	

भाग 13—राजस्थान

25

1. भील, भील गरासिया, धोली भील, डुंगरी भील, डुंगरी गरासिया, मेवासी भील, रावल भील, तडवो भील, भगालिया, भलाला, पावरा वसवा, वसावे	6. काथोड़ी, कातकरी, डोर काथोड़ी, डौर कातकरी, सोन काथोड़ी, सोन कातकरी	
2. भील मीना	7. कोकना, कोकनी, कुकणा	
3. डामोर, डामरिया	8. कोली, डोर, टोकरे कोली कोलचा कोलधा	30
4. धाणका, तड़वी, तेतारिया, वलवी	9. मीना	
5. गरासिया (राजपूत गरासिया से भिन्न)	10. नायकडा, नायक, चोलिवाला नायक, कपाडिया नायक, मोटा नायक, नाना नायक	35
	11. पटेलिया	
	12. सेहारिया, सेहरिया, सहा- रिया	

भाग 14—तामिलनाडू

1. अडियन	6. कम्मारा (कन्याकुमारी जिला और तिरुनेलवेलि जिले के शिकोटा तालुक को छोड़कर)	40
2. अरनाडन		
3. एरवल्लन		
4. इरुलर		
5. काडर	7. कनिकरण, कनिकर (कन्याकुमारी जिले में और तिरुनेलवेलि जिले	

- के शेन्कोटा तालुक में)
8. कनियन, कन्यन
 9. काट्टुनायकन
 10. कोचुवेलन
 - 5 11. कोन्डा कपूस
 12. कोन्डारेड्ड
 13. कोरामा
 14. कोटा (कन्याकुमारी जिले में और तिरुनेलवेलि जिले के शेन्कोट्टा तालुक को छोड़कर)
 - 10 15. कुडिया, मेला कुडी
 16. कुरिच्छन
 17. कुरुमान्स (नीलगिरि जिले में)
 18. कुरुमान्स
 - 15 19. महा मल्लेसर
 20. मल्ले अरैयन
 21. मालै पंडाराम
 22. मल्लै बैडन
 23. मलक्कुरवन
 24. मल्लेसर
 25. मल्याली (पुडुकोट्टाई, उत्तर आरकोट, दक्षिण आरकोट, सेलम और तिरुचिरापल्ली जिलों में)
 26. मलयेकंडी
 27. मान्नन
 28. मुडुगर, मुडुवन
 29. मडुवन
 30. पाल्लयन
 31. पलियन
 32. पल्लयर
 33. पनियन
 34. शोलागा
 35. टोडा (कन्याकुमारी जिले में और तिरुनेलवेलि जिले के शेन्कोट्टा तालुक को छोड़कर)
 36. उरली

20

भाग 15—त्रिपुरा

1. भील
2. भुटिया
3. चैमाल
4. चाकमा
- 25 5. मारु
6. हलाम
7. जमातिया
8. खासिया
9. कुकी जिनके अन्तर्गत निम्नलिखित उप जनजातियां भी हैं :—
- 30 (i) बाल्टे
- (ii) बेललहुत
- (iii) छाल्य
- 35 (iv) फुन
- (v) हेजांग
- (vi) जंगतेई
- (vii) खरेंग
- (viii) खेफ्रो
- (ix) कुन्तेई
- (x) लाइफंग
- (xi) लेनतेई
- (xii) मिञेल
- (xiii) नमते
- (xiv) पाइतु, पाइते
- (xv) रंगचन
- (xvi) रंखोल
- (xvii) थंग्लुईया
10. लेप्चा
11. लुसाई
12. माग
13. मुन्डा, कौड़
14. नोग्राटिया
15. ओरांग
16. रियांग
17. सन्थाल
18. त्रिपुरा, त्रिपुरी, टिप्पेरा
19. उचाई

4)

भाग 16—पश्चिमी बंगाल

1. असुर
2. बैगा
3. बेदिया, विदिया
4. भूभिज
- 45 5. भूटिया, शेरपा, टोटो, दुकपा,
- कगाते, तिब्बती, योलमो
6. बीरहड़
7. विजिया
8. चाकमा

9. चैरो	24. लोहारा, लोहरा	
10. चिके बारैक	25. भध	
11. गारो	26. माहली	
12. गौड	27. महली	
13. गोइत	28. भाल पहाड़िया	5
14. हाजंग	29. मेच	
15. हो	30. नू	
16. करमाली	31. मुंडा	
17. खाड़वार	32. नागसिया	
18. खौंड	33. ओराव	10
19. किसान	34. पाढ़िया	
20. कोड़ा	35. राभा	
21. कोरवा	36. सन्थाल	
22. लेप्चा	37. सौरिया पहाड़िया	
23. लीधा, खेड़िया, खाड़िया	38. सावर ।" ।	15

अध्याय 2

संविधान (अन्डमान और निकोबर द्वीप) अनुसूचित जनजातियाँ आदेश, 1959 में,—

(क) पैरा 2 में "जो उन परिक्षेत्रों में निवासी हैं जो उस अनुसूची में उनके सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट हैं" शब्दों के स्थान पर "उस संघ राज्य-क्षेत्र में निवासी हैं" शब्द रखे जाएंगे; 20

(ख) अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित रखे अर्थात् :—

"अनुसूची"		2. जरावा	
1. अन्डमान निवासी, चारियर, चारी, कोरा, टाबो, बो येरे, कोडे, वीय, बालाबा, बोजीगियाब, जवाई, कोल		3. निकोबर निवासी	
		4. आंगे	25
		5. सेंटीनेली	
		6. शोस पेन ।" ।	

उद्देश्यों और कारणों का कथन

अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ आदेशों के अधीन कुछ समुदाय सम्बद्ध राज्य के कुछ क्षेत्रों में ही, न कि सम्पूर्ण राज्य के सम्बन्ध में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किए गए हैं। इससे इन समुदायों के सदस्यों को उन क्षेत्रों में कठिनाई हो रही है जहाँ वे इस प्रकार विनिर्दिष्ट नहीं किए गए हैं। वर्तमान विधेयक साधारणतः इन क्षेत्र निर्बन्धनों को दूर करता है। किन्तु उन मामलों में जहाँ ऐसे निर्बन्धनों को बनाए रखने के लिए अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ आदेश (संशोधन) विधेयक, 1967 से सम्बन्धित संयुक्त समिति द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से सिफारिश की गई थी, वहाँ कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। समिति ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में से कुछ समुदायों के अपवर्जन की भी सिफारिश की थी। ये अपवर्जन इस समय नहीं किए गए हैं और ऐसे समुदाय वर्तमान क्षेत्र निर्बन्धनों सहित ऐसी सूचियों में रहने दिए गए हैं। किन्तु ऐसे समुदायों का, जिनके सम्बन्ध में संयुक्त समिति ने इस आधार पर अपवर्जन की सिफारिश की थी कि वे अमुक राज्य में नहीं पाए जाते हैं, उस दशा में अपवर्जन कर दिया गया है जिसमें उन समुदायों के सम्बन्ध में 1961 और 1971 की जनगणनाओं में कोई विवरण नहीं था।

2. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में प्रस्तावित संशोधनों से इन जातियों और जनजातियों की जनसंख्या में वृद्धि हो सकती है और उसके परिणामस्वरूप लोक सभा और कुछ राज्य विधान सभाओं में आरक्षित स्थानों की संख्या में भी वृद्धि हो सकती है। इसलिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के पुनःप्राक्कलन के लिए जनगणना प्राधिकारी को और आरक्षित निर्वाचन-क्षेत्रों के पुनः आबंटन के लिए निर्वाचन आयोग को सशक्त करने के लिए इस विधेयक में उपबन्ध किए गए हैं।

नई दिल्ली,

12 मई, 1976]

के० ब्रह्मानन्द रेड्डी

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 5 प्रत्येक राज्य में, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के पुनःप्राक्कलन के लिए जनगणना प्राधिकारी को सशक्त करता है। विधेयक के खण्ड 6 में निर्वाचन आयोग द्वारा आरक्षित निर्वाचन-क्षेत्रों के पुनःसमायोजन के लिए उपबन्ध किया गया है। जनसंख्या के पुनःप्राक्कलन और आरक्षित निर्वाचन-क्षेत्रों के पुनःसमायोजन के कारण भारत की संचित निधि में से व्यय होगा। यह अनुमान लगाया जाता है कि वर्ष 1976-77 के दौरान लगभग पांच लाख रुपए (अनावर्ती) व्यय होगा। कोई भी आवर्ती व्यय नहीं होगा।

उपाबन्ध

संविधान (अनुसूचित जातियाँ) आदेश, 1950 से उद्धरण

सां० आ० 19

भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने सम्पूक्त राज्यों के राज्यपालों और राजप्रमुखों से परामर्श करने के पश्चात् अपने प्रसाद से निम्नलिखित आदेश किया है, अर्थात्—

1. यह आदेश संविधान (अनुसूचित जातियाँ) आदेश, 1950 कहा जा सकेगा।

2. इस आदेश के उपबन्धों के अधीन यह है कि वे जातियाँ, मूलवंश या जनजातियाँ या जातियों या जनजातियों के भाग या उनमें के यूथ, जो कि इस आदेश की अनुसूची के भाग 1 से लेकर भाग 17 तक में विनिर्दिष्ट हैं उन राज्यों के संबन्ध में, जिनसे वे भाग क्रमशः सम्बद्ध हैं, वहाँ तक, जहाँ तक कि उनके उन सदस्यों का सम्बन्ध है जो उन परिक्षेत्रों में निवासी हैं जो उस अनुसूची के उन भागों में उनके सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट हैं, अनुसूचित जातियाँ समझे जाएंगे।

* * * *

4. अनुसूची के भाग 4, 4क, 7क और 10 में के सिवाय इस आदेश में किसी राज्य या उसके जिले या अन्य प्रादेशिक खंड के प्रति किसी निर्देश का अर्थ यह लगाया जाएगा कि वह नवम्बर, 1956 के प्रथम दिन से गठित उस राज्य, जिले या अन्य प्रादेशिक खंड के प्रति निर्देश है; अनुसूची के भाग 4 और 7क में किसी राज्य या उसके जिले या अन्य प्रादेशिक खंड के प्रति निर्देश का अर्थ यह लगाया जाएगा कि वह मई, 1960 के प्रथम दिन से गठित उस राज्य, जिले या अन्य प्रादेशिक खंड के प्रति निर्देश है; अनुसूची के भाग 4क और 10 में किसी राज्य या उस जिले या अन्य प्रादेशिक खण्ड के प्रति निर्देश का अर्थ यह लगाया जाएगा कि वह नवम्बर, 1966 के प्रथम दिन से गठित उस राज्य, जिले या अन्य प्रादेशिक खण्ड के प्रति निर्देश है; भाग 14 में किसी राज्य या उसके जिले या अन्य प्रादेशिक खण्ड के प्रति निर्देश का अर्थ यह लगाया जाएगा कि वह हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 की धारा 2 के खण्ड (ख) के अधीन नियत दिन से गठित राज्य, जिले या अन्य प्रादेशिक खण्ड के प्रति निर्देश है; और भाग 15, 16 और 17 में किसी राज्य के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुर्नगठन) अधिनियम, 1971 की धारा 2 के खण्ड (ख) के अधीन नियत दिन से गठित राज्य के प्रति निर्देश है।

अनुसूची

भाग 1—आंध्र प्रदेश

1. समस्त राज्य में—

1. चलवादि

3. मादिग

2. चमार, मोची या मुच्चि

4. माल

2. हैदराबाद, महबूबनगर, आदिलाबाद, निजामाबाद, मेदक, करीम नगर, वारंगल, खम्माम और नलगोंडा जिलों के सिवाय समस्त राज्य में—

1. आदि आंध्र

3. अरुन्दतिय

2. आदि द्रविड़

4. बारिकी

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| 5. बावुरी | 17. मालदास |
| 6. चचटि | 18. मादिगदासु और मष्टीन |
| 7. चांडाल | 19. मातंगि |
| 8. दण्डासि | 20. मुण्डल |
| 9. डोम, डोम्बारा, पडी या पनो | 21. मोकि या मोटि |
| 10. घासी हड्डी या रल्लि चचण्डि | 22. पम्बड या पम्बण्ड |
| 11. गोडगिल्ली | 23. पमिडि |
| 12. गोडारी | 24. पंचम या परय्य |
| 13. गोसंगी | 25. रेल्लि |
| 14. जणलि | 26. सम्बन |
| 15. जम्बुवुलु | 27. सप्रु |
| 16. मदासि कुरुव या सादरि कुरुव | 28. थोटि |

3. हैदराबाद, सहब्रवनगर, आदिलाबाद, निजामाबाद, मेदक, करीम नगर, वारंगल, खम्माम और नलगोंडा जिलों में—

- | | |
|------------------------------------|-------------------------|
| 1. अनामुक | 15. मालादासरी |
| 2. आरे (माल) | 16. माल हन्ने |
| 3. अर्धमाल | 17. मालजगम |
| 4. वेड (बुड्ग) जंगमु | 18. मालमस्ति |
| 5. बिडल | 19. मालसाले (नेट्कानि) |
| 6. बैगारा | 20. माल सत्यासि |
| 7. चम्भार | 21. मंग |
| 8. डक्कल (डोक्कलवार) | 22. मंगगारोडि |
| 9. डोर | 23. मन्न |
| 10. एल्लमल्वार् (येल्लमाल वाण्डलु) | 24. मस्ति |
| 11. होलिय | 25. मेहतर |
| 12. होलिय दासरि | 26. मितामय्यल्वार् |
| 13. कोलुपुलवाण्डलु | 27. सासगार |
| 14. महार | 28. सिधोल्लु (चिदोल्लु) |

भाग 2—आसाम

समस्त राज्य में—

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. बांसफर | 9. कैवर्त या जालिया |
| 2. भईमाली या माली | 10. लालबेगी |
| 3. वृत्तियाल बनिया या बनिया | 11. माहर |
| 4. धुपी या धोबी | 12. मेहतर या भंगी |
| 5. डुगला या ढोली | 13. मोची या ऋषि |
| 6. हिरा | 14. नामशूद्र |
| 7. जालकैवट | 15. पटनी |
| 8. झाली, माली या झालीमाली | 16. सूत्रधार |

भाग 3—बिहार

1. समस्त राज्य में—

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. बांतर | 5. चौपाल |
| 2. बाउरी | 6. दबगर |
| 3. भोगता | 7. धोबी |
| 4. चमार या मोची | 8. डोम या धनगद |

- | | |
|------------------------------|-------------------|
| 9. दुसाद (धारी या धरही सहित) | 16. मुसहर |
| 10. चासी | 17. नट |
| 11. हलालखोर | 18. पान या स्वासी |
| 12. हाड़ी मेहतर या भंगी | 19. पासी |
| 13. कंजर | 20. रजवार |
| 14. कुरारियार | 21. तूरी |
| 15. लालबेगी | |

2. पटना और तिरहुत डिवीजनों और मुंगेर, भागलपुर, पालामऊ और पूणिया जिलों में भूमिज

3. पटना, शाहाबाद, गया और पालामऊ जिलों में —
भूइया

भाग 4—गुजरात

1. राजकोट डिवीजन और कच्छ जिलों के सिवाय समस्त राज्य में—

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. अगेर | 8. गरोडा या गरो |
| 2. बाकड या बंट | 9. हल्लीर |
| 3. भांबी, भांभी, असादरू, असोदी,
चमाडिया, चमार, चांभार
चमगार, हरलथ्या, हरली,
खालपा, मचिगार, मोचिगार मादर,
मादिग, तेलगु, मोची,
कामाटी मोची, राणीगार, रोहिदास
रोहित या समगार | 10. हलसार, हसलार, हुलस्वार, हलस्वार
11. होलार, या वल्हार
12. होलेय या होलेर
13. लिगाडेर
14. माहर, तराल या धेगु मेगु
15. माहयावंशी, धेड़, वणकर या मरु-वणकर
16. मांग, मातंग या मिणि मादिग
17. मांगाडडी |
| 4. भंगी, मेहतर, ओलगना, रुखि,
मलकाना, हलालखोर, लालबेगी
बाल्मीकी कोरार या झाडमल्ली | 18. मेघवाल या मेंघवाल
19. मुक्की
20. नडियाया हाडी
21. पासी |
| 5. चलवादि या चन्नथ्य | 22. सेनवा, चैनवा सेडमा या रावत |
| 6. चेन्न-दासर या होलेय दासर | 23. तिगार या तिब्रंडा |
| 7. ढोर, कक्कथ्या या कंकथ्या | 24. तुरी |

2. डांग जिले और सूरत जिले के अम्ब रगांव तालुका में —
मोची

3. राजकोट डिवीजन में —

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| 1. बावा (डेढ़) या डेढ़-साधु | 9. मेघवाल |
| 2. भंगी या रुखि | 10. सेनवा |
| 3. चमाडिया | 11. शिमलिया |
| 4. चमार, नलिया या रोहित | 12. थोरी |
| 5. डंगशिया | 13. तुरी |
| 6. गरोडा | 14. तुरी-बरोत या डेढ़ बरोत |
| 7. गरमातंग | 15. वणकर, डेढ़ या अन्त्यज |
| 8. हाबी | |

4. कच्छ जिले में --

- | | |
|----------|--------------|
| 1. भंगी | 4. मेघवाल |
| 2. चमार | 5. तुरी |
| 3. गरोडा | 6. तुरी-बरोत |

भाग 4क--हरियाणा

1. समस्त राज्य में--

- | | |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1. आदि धर्मी | 17. खटीक |
| 2. बंगाली | 18. कोरी या कोली |
| 3. बरड़, बुरड़ या बेरड़ | 19. मरोजा या मरेचा |
| 4. बटवाल | 20. मजहबी |
| 5. बोरिया या बावरिया | 21. मेघ |
| 6. बाजीगर | 22. नट |
| 7. बाल्मीकि, चूहड़ा, या भंगी | 23. ओड़ |
| 8. भंजड़ा | 24. पासी |
| 9. चमार, जटिया चमार, रहगड़, रैगड़, रामदासी या रविदासी | 25. पेरना |
| 10. चनाल | 26. फरेरा |
| 11. डागी | 27. सनहाय |
| 12. धानक | 28. सनहाल |
| 13. डूमना, महाशय या डूम | 29. सांसी, भंडकूट या मनेश |
| 14. गगड़ा | 30. सपेला |
| 15. गंडील या गंडील गोन्दोला | 31. सरेड़ा |
| 16. कबीर पंथी या जुलाहा | 32. सिकलीगर |
| | 33. सिरकीबंद |

2. महेन्द्रगढ़ और जीन्द जिलों के सिवाय समस्त राज्य में--

- | | |
|-------------------------------------|----------|
| 1. दड़ै | 3. संसोई |
| 2. डोगरी डंगरी या सिग्गी | |
| 3. महेन्द्रगढ़ और जीन्द जिलों में-- | |
| डेहा, डैया या डेआ | |

भाग 5--केरल

1. समस्त राज्य में--

- | | |
|---------------------|----------------------|
| 1. चक्किलियन | 4. पल्लन् |
| 2. क्ररवन् सिद्धनार | 5. पयन परयन (सांबवर) |
| 3. नायाडी | 6. बल्लुवन् |

2. मलाबार जिले के कासरगोड़ ताल्लुक के सिवाय समस्त राज्य में--

- | | |
|---------------------|---------|
| 1. कणक्कन् या पदन्न | 2. पाणन |
|---------------------|---------|

3. (कासरगोड़ ताल्लुक के सिवाय) मलाबार जिले को छोड़ कर समस्त राज्य में--

परवन्

4. मलाबार जिले के सिवाय समस्त राज्य में--

- | | |
|-----------|------------|
| 1. अय्यनव | 3. ब्रायन् |
| 2. भरत | 4. बुञ्जन् |

- | | |
|---------------------|-------------|
| 5. कांकालन् | 14. तण्डान् |
| 6. कवर | 15. उल्लादर |
| 7. कूटन (कूडन्) | 16. ऋरालि |
| 8. मण्णान् | 17. बल्लोन् |
| 9. पद-नन् | 18. वण्णान् |
| 10. पल्लुव | 19. वेलन् |
| 11. पतियन् | 20. वेटन् |
| 12. पेरु मण्णान | 21. वेटु वन |
| 13. पुलयन् या चेरमर | |

5. मलाबार जिले में—

- | | |
|--------------------|------------------|
| 1. आदि आंध्र | 18. कालाडी |
| 2. आदि द्राविड | 19. करिम्पालन् |
| 3. आदि कर्णाटक | 20. कूसा |
| 4. अजीला | 21. कुडुम्बन् |
| 5. अ न्दतीयर | 22. मैल |
| 6. बैरा | 23. मबीलन् |
| 7. बकुडा | 24. मोजर |
| 8. बानडी | 25. मुनडाला |
| 9. बेल्लारा | 26. नलकेयव |
| 10. चामर या मुच्ची | 27. पामबाड़ा |
| 11. चाण्डाल | 28. पंचम |
| 12. चेरुमन् | 29. पुतीरई वण्णा |
| 13. गोडामली | 30. रानीयार |
| 14. गोडा | 31. सामागरा |
| 15. गोसंगी | 32. सामबान |
| 16. होलेय | 33. सेम्मान |
| 17. काडाइयन् | 34. तोट्टी |

6. (कासरगोड ताल्लुक के सिवाम) मलाबार जिले में—

- | | |
|---------|--------------|
| 1. गवर | 3. पलय वेटवन |
| 2. मलयन | |

7. मलाबार जिले के कासरगोड ताल्लुक में—

- | | |
|-----------|--------------|
| 1. बताड़ा | 3. नालकाडाया |
| 2. हस्ला | |

भाग 6—मध्य प्रदेश

1. भिंड, गिर्द, मुरेना, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, शाजापुर, उज्जैन, रतलाम, मन्दासौर, भेलसा, इन्दौर, देवास, धार, झाबुआ और निमाड़ (मध्य भारत) जिलों में—

- | | |
|--------------------|-----------------------------------------------|
| 1. बागरी या बागड़ी | 9. चमार, बेरवा, भांवी, जाटव,
मोची या रैगड़ |
| 2. बालाई | 10. चिदार |
| 3. बांछड़ा | 11. धानुक |
| 4. बरहर या बसोड | 12. ढेड़ |
| 5. बरगुन्डा | 13. डोम |
| 6. बेड़िया | 14. कँजर |
| 7. भंगी या मेहतर | 15. खटीक |
| 8. भानुमती | |

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 16. कौली या कौरी | 21. नट कालवेलिया या सपैरा |
| 17. कोतवाल | 22. पारधी |
| 18. माहर | 23. पासी |
| 19. मांग या मांग गारोडी | 24. सासी |
| 20. मेघवाल | 25. क्षमराल |

2. छिदवाड़ा, सिवनी, बेतूल, जबलपुर, सागर, दमोह, मांडला, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, निमाड़, बालाघाट, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, सरगुजा, और रायगढ़ जिलों में—

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1. बहना या बाहना | 6. गांडा या गांडी |
| 2. बलाही या बलाई | 7. खटीक, चिंकवा या चिंकवी |
| 3. बसोर, बरुड बांसी या बांसोडी | 8. मांग, दनखी-मांग, मांग-माहशी मांग-गारुडी, मदारी, गारुडी, या राधेमांग |
| 4. चमार, चमारी, मोची, नोना, रोहिदास, रामनामी, सतनामी, सूर्यवंशी या सूर्यरामनामी | 9. मेहतर या भंगी |
| 5. डोम या डुमार | 10. सांसी |

3. बिलासपुर जिले में—
श्रीधेलिया

4. सागर और दमोह जिलों में—
चडार

5. दमोह जिले में—
दहाइत, दहायत या दहात

6. बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर, बस्तर, सरगुजा और रायगढ़ जिलों में—
देवर

7. सागर जिले में—
धानुक

8. बालाघाट जिले में—
1. डोहोर
2. होलिया

3. माडगी

9. बालाघाट, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर, सरगुजा, बस्तर और रायगढ़ जिलों में—
घासी या घासिया

10. बालाघाट, बेतूल, बिलासपुर, दुर्ग, निमाड़, रायपुर, बस्तर, सरगुजा और रायगढ़ जिलों में; होशंगाबाद जिले की होशंगाबाद और सिवनी-मालवा तहसीलों में, छिदवाड़ा जिले में, और सागर जिले में—

कातिया या पथरिया

11. सागर और दमोह जिलों में और होशंगाबाद जिले की होशंगाबाद और सिवनी-मालवा तहसीलों में—

खंगार, कनेरा या मिरघा

12. छिदवाड़ा, सिवनी, बेतूल, जबलपुर, नरसिंहपुर, सागर, दमोह, मांडला, निमाड़, बालाघाट, रायपुर, दुर्ग, बस्तर, सरगुजा और रायगढ़ जिलों में, और हरदा और सुहागपुर तहसीलों के सिवाय होशंगाबाद जिले में—

कोरी

13. छिदवाड़ा, सिवनी, बेतूल, जबलपुर, नरसिंहपुर, सागर, दमोह, सांडला, निमाड़, बालाघाट, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, सरगुजा और रायगढ़ जिलों में, और हरदा और सुहागपुर तहसीलों के सिवाय होशंगाबाद जिले में—
माहर या मेहर

14. होशंगाबाद जिले की सुहागपुर तहसील में—

रुजन्नार

15. दतिया, टीकमगढ़ छतरपुर, पन्ना, सतना, सीधी और शहडोल जिलों में—

- | | |
|------------------------------------------------|--------------------------|
| 1. बसोर या बांसफोड़ | 8. घासिया |
| 2. बेलदार या सुनकर | 9. कुचब्रंधिया |
| 3. चमार, अहिरवार, चमार-
मंगन, मोची या रैदास | 10. कुम्हार |
| 4. धरकार, बाल्मीक या लालबेगी | 11. मेहतर, भंगी या धानुक |
| 5. डेड़ | 12. मोबिया |
| 6. डोम | 13. मुसखान |
| 7. डोमर या डोरीस | 14. पासी |
| | 15. सांसिया या बेड़िया |

16. रायसन और सीहोर में—

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| 1. बलाई | 11. कंजर |
| 2. बांसफोड़ या बसोर | 12. खटीक |
| 3. बसार | 13. कोली या कातिया |
| 4. बेड़िया | 14. मांग |
| 5. बेलदार | 15. मेहर |
| 6. चमार, जाटव या मोची | 16. मेहतर या भंगी |
| 7. चितार | 17. पासी |
| 8. धानुक | 18. सांसिया |
| 9. धोबी | 19. सिलावट |
| 10. डोम | |

भाग 7—तमिल नाडु

समस्त राज्य में—

- | | |
|--------------------|-------------------------|
| 1. चक्किलियान | 4. पल्लन् |
| 2. कुरवन, सिद्धनार | 5. परैयन, परयन (सांबवर) |
| 3. नायाडी | 6. वल्लुवन |

2. कन्या कुमारी जिले और तिरुनेववेली जिले के शेन्कोट्टा तालुक के सिवाय समस्त राज्य में—

- | | |
|----------------|---------------------------------|
| 1. आदि आंध्र | 10. चेलवाडी |
| 2. आदि द्राविड | 11. चमार या मूची |
| 3. आदि करनाटक | 12. चाण्डाल |
| 4. अजीला | 13. चेळुमान |
| 5. अरुन्तादियर | 14. देवेन्द्रकुलदन |
| 6. बैरा | 15. डोम, डोमबारा, पैदी, या पैनी |
| 7. बकुड | 16. गोडागली |
| 8. बंडी | 17. गोड्डा |
| 9. बेल्लारा | 18. गोसंगी |

- | | |
|---------------|----------------|
| 19. होलैय | 33. मुन्डालां |
| 20. जगगाली | 34. नलकेयव |
| 21. जम्बूबुलू | 35. पगाडै |
| 22. कडैयन | 36. पमवाडा |
| 23. कल्लाडी | 37. पंचामा |
| 24. कारिमपालन | 38. पन्नियांडी |
| 25. कूसा | 39. पुदिरैवन्न |
| 26. कुदमबन | 40. रानेयर |
| 27. मदारी | 41. समागारा |
| 28. मडिगा | 42. सामबन |
| 29. मैला | 43. सपारी |
| 30. माला | 44. सेप्पन |
| 31. माविलान | 45. तोट्टी |
| 32. मोगर | 46. ति वल्लुवर |

3. नीलगिरी जिले में—

कनककन या पडन्ना

4. कोमबत्तूर और सेलेम जिलों में—

1. पन्नाडी

2. वातिरियन

5. कन्याकुमारी और तिरुनेलवेली जिले में शेन्कोट्टा तालूक में—

- | | |
|---------------|---------------------|
| 1. अय्यानवेर | 12. पदियन |
| 2. भरतर | 13. पेहमन्न |
| 3. डोम्बन | 14. पुलयन या चेरमार |
| 4. काक्कालन | 15. तंडन |
| 5. काबरा | 16. उल्लडन |
| 6. कटन (कूडन) | 17. उरली |
| 7. मन्नन | 18. वल्लोन |
| 8. पडन्नन | 19. वन्नन |
| 9. पल्लुवन | 20. वेलन |
| 10. पानम | 21. वठन |
| 11. परवन | 22. वेट्टुवन |

6. तंजोर जिले में --

1. कोलियन

2. वेट्टियान

भाग 7क--महाराष्ट्र

1. बुलडाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल, बर्धा, नागपुर, भंडारा, चांदा, औरंगाबाद, परभानी, नानदेड, भीर, उसमानाबाद और राजुरा जिलों के सिवाय समस्त राज्य में --

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1. अगोर | 4. भंगी, मेहतर, ओलगना, रुखी, मलकाना, हलालखोर, लालबेगी बालमीकि, कशोरार या झाडमल्ली |
| 2. बाकड या बंट | 5. चलवादि या चनइया |
| 3. भावो, भांभी, असादरू, असादी, चमाडिया, चमार, चांभार, चमगार, हरलय्या हराली, खापला मचिगार, मोचिगार, मादर, मादिग, मोची, तेलगु-मोची, कामाटी-मोची, रानीगार, रोहिदास, रोहित या समगार | 6. चन्न दासर या होलैय दासर |
| | 7. ढोर, कक्काया, या कंकैय्या |
| | 8. गरोडा या गरो |
| | 9. हल्लोर |

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| 10. हलसार, हसलार, हुलस्वार या हलस्वार | 17. मांग-गारुडी |
| 11. होलार या बलहर | 18. मेघवाल या मेघवर |
| 12. होलेय य होलेर | 19. मुक्ती |
| 13. लिंग डेर | 20. नाडीया या हाडी |
| 14. माहर, तराल या धेगु मेगु | 21. पासी |
| 15. महयावंशी, डेड, वणकर या मरु वणकर | 22. शेनवर, चैनवर, सेडम-या रावत |
| 16. मांग, म तंगु या दिणिमादिग | 23. तिरगर या तिरवंडा |
| | 24. तुरी |

2. बुलढाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल; वर्धा, नागपुर, भंडारा और चांदा जिलों में—

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1. बहना या बाहना | 9. कइकडी |
| 2. बलाही या बलाई | 10. कातिया या पथारिय |
| 3. बसोर, बुरुड, बांसौर या बांसोडी | 11. खटीक, चिकवा या चिकवी |
| 4. चमार, चमारी, मोची, नोना रोहिदास, रामनामी, सतनामी, सूर्यवंशी य सूर्यरामनामी | 12. माडगी |
| 5. डोम या डमार | 13. महार या मेहर |
| 6. डोहोर | 14. मांग, दंखनी-मांग, माण-माहशी, मांग-गारुडी, मदारी गारुडी या राधे मांग |
| 7. गांडा या गांडी | 15. मेहतर या भंगी |
| 8. घासी य घासिय | 16. सासी |

3. अकोला, अमरावती और बुलढाना जिलों में—
बेडर

4. भंडारा जिले में—

- | | |
|--------|----------|
| 1. जडर | 2. होलेय |
|--------|----------|

5. भंडारा और बुलढाना जिलों में—
खंगार, कनेरा या भिरधा

6. अमरावती, भंडारा और बुलढाना जिलों में—
कोरी

7. औरंगाबाद, परभानी, नानदेड, राजुरा, भीर और उसमानाबाद जिलों में—

- | | |
|----------------------------------|------------------------|
| 1. अनामक | 12. होलेय |
| 2. आर्य (माला) | 13. होलेय दासरि |
| 3. अवमाला | 14. कोलुपुलवाण्डलु |
| 4. बेड (बुड्ग) जंग्म | 15. मादिग |
| 5. बिडल | 16. माहर |
| 6. बैगारा | 17. माल |
| 7. जलवादि | 18. मालदासरी |
| 8. चाम्भार | 19. माल हन्नै |
| 9. डक्कल (डोक्कलवार) | 20. मालजंग्म |
| 10. डोर | 21. मालमस्ति |
| 11. एल्लमलवार (येल्लमाल बाण्डलू) | 22. मालसाले (नेट्कानि) |
| | 23. माल सन्धासि |

- | | |
|---------------|-------------------------|
| 24. मंग | 29. मिता अथ्यल्वार |
| 25. मंगगारोडि | 30. मोची |
| 26. मन्ने | 31. सामगार |
| 27. मस्ति | 32. सिधोल्लु (चिदोल्लू) |
| 28. मेहतर | |

भाग 8—कनटिक

1. कुर्ग, बेलगांव, बीजापुर, धारवाड़, केनरा, दक्षिण केनरा, गुलबर्गा, रायचूर और बीदर जिलों तथा मैसूर जिले के कोल्लेगाल चालूक के सिवाय समस्त राज्य में—

- | | |
|---------------------|-------------------|
| 1. आदि आंध्र | 9. केप्पारी |
| 2. आदि द्रविड़ | 10. कोरच |
| 3. आदि कनटिक | 11. कोरम |
| 4. बंजारा या लंबाणी | 12. मचला |
| 5. भोवी | 13. मोची |
| 6. दक्कलिगा | 14. सिल्लेकिया |
| 7. गंटी चोर | 15. सुडुगाटुसिद्ध |
| 8. हंदी जोगि | |

2. बेलगांव, बीजापुर, धारवाड़ और केनरा जिलों में—

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1. आगोर | 10. हलसार, हुसलार, हुलस्वार या हलस्वार |
| 2. बाकड या बंट | 11. होलार या बलहार |
| 3. भंभी, भंभी, आसदारु, आसोदी, चमडिया, चमार, चंभार, चमगार, हरलथ्या, हरली, खलपा, मच्चिगार, मोचिगार, मादार, मादिग, मोचि, तेलगु-मोचि, कामाटि-मोची, राणीगार, रोहिदास, रोहित या सामगार | 12. होलेय या होलेर |
| 4. भंगी, मेहतर, श्रीलमाना रुखा, मलमाना हलालखोर, लालबेगी, बाल्मीकि, कोरार या झाडमाली | 13. लिगाडेर |
| 5. चलवादी या वन्नैया | 14. माहर, तराल या धेगु मेगु |
| 6. चनादासर या होलयादासर | 15. माहयावंशी, धेड़, वणकर या मारुवणकर |
| 7. ढोर, कक्कथ्या, या कन्कथ्या | 16. मांग, मातंग, या मिनिमादिग |
| 8. गारोडा या गरो | 17. मांग-गारुडी |
| 9. हल्लीर | 18. मेघवार या मेघवार |
| | 19. मुक्की |
| | 20. नदिया या हाडी |
| | 21. पासी |
| | 22. शेन्वा, चेन्वा, सेदमा या रावत |
| | 23. तीरगर या तीर्बन्दा |
| | 24. तुरी |

3. केनरा जिलों में—

कोटेगार या मेली ।

4. गुलबर्गा, बीदर और रायचूर जिलों में—

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| 1. अनामुक | 7. चलवादी |
| 2. आर्य (माला) | 8. चम्भार |
| 3. अर्वाभाला | 9. दक्कल (दोक्कलवार) |
| 4. ब्रेड (बुडगा) जंगम | 10. ढोर |
| 5. बिदला | 11. एल्लमलवार (येल्लमालबाण्डल) |
| 6. ब्यागरा | 12. होलेय |

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| 13. होलिय दापरी | 23. माल सख्यामी |
| 14. कोलुपुलबंडलु | 24. मांग |
| 15. मादिग | 25. मांगगा ढोडो |
| 16. माहर | 26. मले |
| 17. माल | 27. माशती |
| 18. मालदासरो | 28. मेहतर |
| 19. माल हन्नाई | 29. मिया अथलवार |
| 20. मालजंगम | 30. भीची |
| 21. मालमस्ते | 31. समगार |
| 22. मालसाले (नेतकाने) | 32. सिधोल्लु (चिदोल्लु) |

5. दक्षिणी केनरा जिले और मैसूर जिले में कोल्लिगल तालुक में—

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1. आदि आंध्र | 27. कुडुम्बन |
| 2. आदि द्रविड | 28. कुरवान |
| 3. आदिकर्नाटक | 29. मदारी |
| 4. आजिला | 30. मादिग |
| 5. अरथथियार | 31. मैला |
| 6. बैरा | 32. माला |
| 7. बकुडा | 33. माविलन |
| 8. बादि | 34. मोमेर |
| 9. बेल्लरा | 35. मुन्डाला |
| 10. चक्किलियान | 36. नलकेयव |
| 11. चलवादि | 37. नायाडि |
| 12. चमार या मुचि | 38. पगडाई |
| 13. चांडाल | 39. पल्लनद्व |
| 14. चेरुमान | 40. पम्बाडा |
| 15. देवेन्द्रकुलथन | 41. पचम |
| 16. डोम, डोम्बर, पैडी या पानी | 42. पत्तियांडि |
| 17. गोडागली | 43. परड्याम |
| 18. गोड्डा | 44. पुथिराई वन्नन |
| 19. गोसंगि | 45. रानेयार |
| 20. होलिय | 46. समगर |
| 21. जगलो | 47. सम्बल |
| 22. जम्बुवेवुमु | 48. सपरो |
| 23. कदिइयाना | 49. सम्मन |
| 24. कल्लादि | 50. थोयी |
| 25. करोमपालन | 51. तिरवल्लुवार |
| 26. कूसा | 52. वल्लुवान । |

6. मैसूर जिले के कोल्लिगल तालुक में :—

- | | |
|------------|----------------|
| 1. पन्नाडो | 2. वाथिरियान । |
|------------|----------------|

7. दक्षिणी कनारा जिले में—

- | | |
|----------|-------------|
| 1. बथडा | 3. नालकाड्य |
| 2. हस्ला | 4. परवन । |

8. कुर्ग जिले में—

- | | |
|---------------|----------------|
| 1. आदि द्रविड | 2. आदि कर्नाटक |
|---------------|----------------|

- | | |
|-----------|-------------|
| 3. आदीय | 8. मुन्डाला |
| 4. बालगाई | 9. पाले |
| 5. होलिय | 10. पंचम |
| 6. मादिण | 11. परया |
| 7. मुचि | 12. समगर । |

भाग 9—उड़ीसा

1. समस्त राज्य में—

- | | |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| 1. आदि आंध्र | 40. ईरीका |
| 2. अमान्त या अमात | 41. जागली |
| 3. औधलिमा | 42. कंडरा या कंडारा |
| 4. बडैक | 43. कारुआ |
| 5. बाघेवी या बाघुटी | 44. कटीआ |
| 6. बाजीकर | 45. केला |
| 7. बारी | 46. खदाल |
| 8. बारीकी | 47. कोदाल या खोदाल |
| 9. बासोर या बुरुड | 48. कोरी |
| 10. बाऊरी | 49. कुम्भारी |
| 11. बावुटी | 50. कुरग |
| 12. आवुरी | 51. लबाण |
| 13. बेडिया या बेजिया | 52. जाहेरी |
| 14. बेलदार | 53. मदारी |
| 15. भाट | 54. मादिभा |
| 16. भोई | 55. महुरिआ |
| 17. चाचटी | 56. माला, झाल्ला, मालो या झाल |
| 18. चकली | 57. मांग |
| 19. चमार, मोची, मुची या सतनामी | 58. मांगण |
| 20. चांडाल | 59. मेहरा या साहर |
| 21. चेरुआ या छेलोआ | 60. मेहतर या भंगी |
| 22. चन्दाई मारु | 61. मेवार |
| 23. दंडामी | 62. मुंडपोट्टा |
| 24. देवर | 63. सुाहार |
| 25. धनवार | 64. नगारची |
| 26. धोबा या धोबी | 65. नामशूद्र |
| 27. डोम, डोम्बो या दुरीया डोम | 66. पाइडी |
| 28. दोसदा | 67. पाइण्डा |
| 29. गंडाई | 68. पामीडो |
| 30. घंटरघडा या घंटरा | 69. पाण या पाणो |
| 31. घासि या घासिया | 70. पंचम |
| 32. घोघिआ | 71. पाणिका |
| 33. घुसुरिया | 72. पंका |
| 34. गोहामाली | 73. पाणतन्ति |
| 35. गोडारी | 74. पाप |
| 36. गोडरा | 75. पासी |
| 37. गोखा | 76. पाटिआल, पाीकर, पाततन्ति
या पटुआ |
| 38. गोरार्इत् या कोरार्इत् | 77. रजना |
| 39. हाड्डी, हाडी या हारो | |

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 78. रेल्ली | 86. सिआल |
| 79. सबाखिआ | 87. टमाडिया |
| 80. समासी | 88. टमडिया |
| 81. सनेई | 89. तांला |
| 82. सापरी | 90. तियार या तिमोर |
| 83. सैतिया (सांतिया) | 91. तुरी |
| 84. सिधरिआ | 92. उजीआ |
| 85. सिदूरिया | 93. बालमीकी या बाल्मीकि । |
2. संबलपुर जिले में—
कुली ।

भाग 10—पंजाब

1. समस्त राज्य में—
- | | |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1. आदि धर्मी | 17. खटीक |
| 2. बंगाली | 18. कोरी या कोली |
| 3. बरड़, बुरड़ या बेरड़ | 19. मरीजा या मरेचा |
| 4. बटवाल | 20. मजहबी |
| 5. बौरिया या बावरिया | 21. मेघ |
| 6. बाजीगर | 22. नट |
| 7. बाल्मीकी, चूहड़ा या भंगी | 23. ओड |
| 8. भंजड़ा | 24. पासी |
| 9. चमार, जटिया चमार, रेहणड़,
राथगढ़, रामदासी या रविदासी | 25. पेरना |
| 10. चनाल | 26. फरेरा |
| 11. डागी | 27. सनहाई |
| 12. धानक | 28. सनहाल |
| 13. डूमना, महाशय या डम | 29. सांसी, भेड़कुट या मनेश |
| 14. गगड़ा | 30. सपेला |
| 15. गंडीला या गन्डील गोनदोला | 31. सरैड़ा |
| 16. कबीरपंथी या जुलाहा | 32. सिकलीगर |
| | 33. सिरकीबन्द |
2. पटियाला, भटिंडा, कपूरथला और संगरूर के जिलों के सिवाय समस्त राज्य में—
- | | |
|----------------------------|----------|
| 1. दड़ै | 3. संसोई |
| 2. ढोगरी, ढांगरी या सिग्गी | |
3. पटियाला, भटिण्डा, कपूरथला और संगरूर जिलों में—
डैहा, दैया या ढेआ ।

भाग 11—राजस्थान

1. अजमेर जिला, सिरोही जिले के आबू रोड ताल्लुक और झालावाड़ जिले के सुनेल टप्पा के सिवाय समस्त राज्य में :—
- | | |
|-------------------|------------------------|
| 1. आदि धर्मी | 7. बलई |
| 2. अहेरी | 8. बांसफोड़ |
| 3. बदी | 9. बर्गी, बर्गी, बिरगी |
| 4. बागरी | 10. बावरिया |
| 5. बैरवा या बेरवा | 11. बेडिया या बेरिया |
| 6. बाजगर | 12. भांड |

- | | |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 13. भंगी | 34. खीक |
| 14. बिडाकिया | 35. कोली या कोरी |
| 15. बोला | 36. कूचबन्द |
| 16. चमार, भांभी, जाटव, जटिया,
मोची, रैदास, रैगड़ या रामदासिया | 37. कोरिया |
| 17. चांडाल | 38. कुंजर |
| 18. चूड़ा | 39. मदारी या बाजीगर |
| 19. दाबगर | 40. मजहबी |
| 20. धानकिया | 41. मेघ या मेघवाल |
| 21. ढेड़ | 42. मेहर |
| 22. डोम | 43. मेहतर |
| 23. गांडिया | 44. नट |
| 24. गरांचा मेहतर या घांचा | 45. पासी |
| 25. गरो, गरुड़ या गुर्डा | 46. रावल |
| 26. गवारिया | 47. सालवी |
| 27. गोधी | 48. सांसी |
| 28. जीनगर | 49. सांतिया |
| 29. कालबेलिया | 50. सरभंगी |
| 30. कामड़ या कामड़िया | 51. सरगडा |
| 31. कंजर | 52. सांगीवाला |
| 32. कापड़िया सांसी | 53. थोरी या नायक |
| 33. खंगार | 54. तीरगर |
| | 55. बाल्मीकी |

2. अजमेर जिले में—

- | | |
|-----------------------------------------|----------------|
| 1. अहेरी | 20. कबीरपंथी |
| 2. बागरी | 21. काल बेलिया |
| 3. बलाई | 22. खंगार |
| 4. बांभी | 23. खटीक |
| 5. बांसफोड़ | 24. कोली |
| 6. बावरी | 25. कोरिया |
| 7. बागी | 26. कूचबन्द |
| 8. बाजीगर | 27. माहर |
| 9. भंगी | 28. मेघवाल |
| 10. बिडाकिया | 29. नट |
| 11. चमार, जाटव, जटिया, मोची
या रैगड़ | 30. पासी |
| 12. दबागर | 31. रावल |
| 13. धानक | 32. सरभंगी |
| 14. ढेड़ | 33. सरगार |
| 15. धोबी | 34. सांतिया |
| 16. ढोली | 35. थोरी |
| 17. डोम | 36. तीरग |
| 18. गरोडा | 37. कंजर |
| 19. गांचा | 38. सांसी |

3. सिरोही जिले के आबूरोड तालूक में—

- | | |
|---------|-----------------|
| 1. अगेर | 2. बाकड या बन्ट |
|---------|-----------------|

3. भांबी, भांभी, असादर, असोदी, चमाडिया, चमार, चाम्भार, चामगर, हरलध्या, हराली, खालपा, मचिगर, मोचिगर, भादर, मादिग, तेलगु-मोची, कामटी मोची, राणीगर, रोहिदास, रोहित या समगर
 4. भंगी, मेहतर, ओलगना, रुखि, मलकाना, हलालखोर, लालबेगी, बाल्मीकी, कोरार या झाडमल्ली
 5. चेलवादि, चन्नेय्या
 6. चेलदासर या होलेय दासर
 7. डोर, कक्कैय्या, कन्कैय्या
 8. गरोडा या गरो
 9. हल्लीर
 10. हलसार, हलसार, हुलस्वार या हलस्वार
 11. होलार या बल्हार
 12. होलेय या होलेर
 13. लिगाडेर
 14. माहर, तराल या धेगू मेगू
 15. माहयावेशी, हेड, वणकर या मखणकर
 16. मांग, मांतग या मिणिमादिग
 17. मांग गारुडी
 18. मेघवाल या मेघवार
 19. मुक्ती
 20. नाडिआ या हाडी
 21. पासी
 22. शेनवा, चैनया, सेडमा या रावत
 23. तिरगर या तीरबन्डा
 24. तुरी ।
4. झालावाड़ जिले के सुनेल टप्पा में—

1. बागरी या बागड़ी
2. बलाई
3. बनचड़ा
4. बरहार या बसोड़
5. बरगुंडा
6. बेडिया
7. भंगी या मेहतर
8. भानुमती
9. चमार, बैरवा, भांबी, जाटव, मोची या रैगड़
10. चीडर
11. धानुक
12. हेड़
13. डोम
14. कंजर
15. खटीक
16. कोली या कोरी
17. कोतवाल
18. माहर
19. मांग या मांग-गारोड़ी
20. मेघवाल
21. नट, कालबेलिया या सपेरा
22. पारधी
23. पासी
24. सांसी
25. झमरल

भाग 12—उत्तर प्रदेश

1. समस्त राज्य में—

1. अग्ररिया
2. बादी
3. बधिक
4. बहेलिया
5. बैगा
6. बैसवार
7. बजनिया
8. बाजगी
9. बलाहर
10. बलाई
11. बाल्मीकि
12. बंगाली
13. बनमानुस
14. बांसफोड़
15. बरबार
16. बसोड़
17. बावरिया
18. बेलदार
19. बेरिया
20. भांतू
21. भुईया
22. भुइयार
23. बोरिया
24. चमार, धूसिया, झूसिया या जाटव

- | | |
|-------------|--------------------------------|
| 25. चेरू | 45. खरोट |
| 26. दाबगर | 46. खरदार (बेनबांसी को छोड़कर) |
| 27. धंगर | 47. खटीक |
| 28. धानुक | 48. कोल |
| 29. धरकार | 49. कोरवा |
| 30. धोबी | 50. लालबेगी |
| 32. डोम | 51. मझवार |
| 32. डोमर | 52. मजहबी |
| 33. दुसाध | 53. मुसहर |
| 34. घरामी | 54. नट |
| 35. घसिया | 55. पंखा |
| 36. ग्वाल | 56. परहिया |
| 37. हाबूडा | 57. पासी या तरमाली |
| 38. हरी | 58. पटारी |
| 39. हेला | 59. रावत |
| 40. कलाबाज | 60. सहारया |
| 41. कंजर | 61. सनोहिया |
| 42. कपड़िया | 62. सांसिया |
| 43. करवल | 63. शिल्पकार |
| 44. खैराहा | 64. तुरहिया । |

2. आगरा, मेरठ और रहेलखंड डिवीजन को छोड़कर समस्त राज्य दें --
कोरी ।

3. बन्देलखंड डिवीजन और कैमूर पहाड़ी के दक्षिण वाले मिर्जापुर जिले के
के प्रभाग में--
गोंड

भाग 13--पश्चिमी बंगाल

1. समस्त राज्य में--

- | | |
|---------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. बावरी | 6. घासी |
| 2. चमार, चर्मकार, मोची, मुची,
रविदास, रुईदास या रिशी | 7. लालबेगी |
| 3. धोवा या धोबी | 8. मुसाहर |
| 4. डोम या धंगड़ | 9. पान या सवासी |
| 5. धरी या धारही के सहित दोसाध
या दुसाध | 10. पासी |
| | 11. राजवार |
| | 12. तूरी |

2. पुरुलिया जिले और बिहार के पूर्निया जिले में के अन्तरित राज्यक्षेत्रों में के
सिवाय समस्त राज्य में--

- | | |
|------------------|----------------------|
| 1. बागदी या दुले | 9. दामाई (नेपाली) |
| 2. बेहेलिया | 10. दोयाई |
| 3. बायती | 11. मोनरही |
| 4. बेलिया | 12. हाड़ी |
| 5. बेदार | 13. जालिया कर्बत |
| 6. भुईमाली | 14. झाकोभालो या मालो |
| 7. भुईया | 15. कादर |
| 8. बिन्द | 16. कामी (नेपाली) |

- | | |
|--------------------|--------------------------|
| 17. कांदरा | 30. माल |
| 18. काओरा | 31. मल्लाह |
| 19. करेगा या कोरगा | 32. मेहतर |
| 20. काओर | 33. नामशुद |
| 21. केवट या केयोट | 34. नूनिया |
| 22. खैरा | 35. पलिया |
| 23. खटीक | 36. पाटनी |
| 24. कोच | 37. पोद या पौन्द्रा |
| 25. कोनाई | 38. राजवंशी |
| 26. कोनवार | 39. शड़की (नेपाली) |
| 27. कोटाल | 40. साहा को छोड़कर सूनरी |
| 28. लोहार | 41. तियर। |
| 29. माहर | |

3. पुरुलिया जिले में और बिहार के पूनिया जिले में से अन्तरित राज्यक्षेत्रों में—

- | | |
|------------|-----------------------|
| 1. बंतर | 6. हरी, मेहतर या भंगी |
| 2. भोगता | 7. कंजर |
| 3. चौपाल | 8. कुरारियर |
| 4. दबगर | 9. नट। |
| 5. हलालखोर | |

4. बिहार के पूनिया जिले में से अन्तरित राज्यक्षेत्रों में—
भूमिज।

भाग 14—हिमाचल प्रदेश

1. पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 5 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्रों के सिवाय सारे संघ राज्यक्षेत्र में—

- | | |
|----------------------------------------------------|------------------------------|
| 1. आदिधर्मी | 20. दराई या दरयाई |
| 2. बाढी नागलू | 21. दाउले |
| 3. बान्धेला | 22. ढाकी या तूरी |
| 4. बाल्मीकी, चूड़ा या भंगी | 23. धाम्रोगरी या धुआई |
| 5. बंगाली | 24. डूम या डूमना |
| 6. बंजारा | 25. डूमने (भंजड़े) |
| 7. बांसी | 26. हाली |
| 8. बरड़ | 27. हैसी |
| 9. बरार | 28. जोगी |
| 10. बटवाल | 29. जुलाहे |
| 11. बावरिया | 30. कबीर पंथी, जुलाहा या कीर |
| 12. बाजीगर | 31. कम्बोह या डगोली |
| 13. भंजड़ा | 32. करोक |
| 14. चमार, मोची, रामदासी, रवि-
दासी या रामदासिया | 33. खटीक |
| 15. चनाल | 34. कोली |
| 16. छिम्बे (धोबी) | 35. लोहार |
| 17. चूहड़े | 36. मजहबी |
| 18. डागी | 37. मेघ |
| 19. दाओले | 38. नट |
| | 39. ओड |

- | | |
|-------------|------------------------------|
| 40. पासी | 46. सरड़े सराड़े या सिरयाड़े |
| 41. फरेड़ा | 47. सरेहड़े |
| 42. रेहाड़ | 48. सिकलीगर |
| 43. रेहाड़ा | 49. सिपी |
| 44. सांसी | 50. सिकरीबन्द |
| 45. सपेला | 51. तेली |
| | 52. ठठियार या ठठेरा । |

2. पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 5 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्रों में—

- | | |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1. आदिधर्मी | 18. कवीरपंथी या जुलाहा |
| 2. बंगाली | 19. खटीक |
| 3. बरड़, बुरड़ या बेरड़ | 20. कोरी या कोली |
| 4. बटवाल | 21. मरीजा या मरेचा |
| 5. बौरिया या बावरिया | 22. मजहबी |
| 6. बाजीगर | 23. मेघ |
| 7. बाल्मीकि चूहड़ा या भंगी | 24. नट |
| 8. भंजड़े | 25. ओड़ |
| 9. चमार जटिया चमार, रेहगढ़, रायगढ़, रामदासी या रविदासी | 26. पासी |
| 10. चनाल | 27. परेना |
| 11. डागी | 28. फरेरा |
| 12. दड़ै | 29. सनहाई |
| 13. धातक | 30. सनहाल |
| 14. ढोगरी, ढागरी या सिंगी | 31. संसोई |
| 15. डूमना, महाशय या डूम | 32. सांही भेड़कूट या मनेश |
| 16. गगड़ा | 33. सपेला |
| 17. गंढीला या गन्ढील गोन्ढोला | 34. सरैड़ा |
| | 35. सिकलीगर |
| | 36. सिकरीबंद |

भाग 15—मणिपुर

समस्त राज्य में—

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1. धूपी पा धोबी | 5. पातनी |
| 2. लोई | 6. सुवधार |
| 3. मुची या रविदास | 7. यैथिबी |
| 4. नामशुद्र | |

भाग 16 मेघालय

समस्त राज्य में—

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 1. बांसफर | 6. हीरा |
| 2. भूईमाली या माली | 7. जालकियत |
| 3. वृत्तियाल-बनिया या बनिया | 8. झालो, मालो या झालों-मालों |
| 4. धूपी या धोबी | 9. कैबर्त या जालिया |
| 5. डुगला या ढोली | 10. लालबेगी |

- | | |
|-------------------|----------------|
| 11. महारा | 14. नामशूद्र |
| 12. मेहतर या भंगी | 15. पातनी |
| 13. मोची या ऋषि | 16. पुत्रधार । |

भाग 17--त्रिपुरा

समस्त राज्य में —

- | | |
|-------------------|---------------|
| 1. बागड़ी | 20. कंडा |
| 2. बैटी | 21. कनुघ |
| 3. भूईमाली | 22. केवट |
| 4. भुनर | 23. खादिल |
| 5. चमार या मुची | 24. खरिया |
| 6. डन्डासी | 25. खेमचा |
| 7. धनुआ | 26. कोछ |
| 8. धोबी | 27. कोयर |
| 9. दुअई | 28. कोल |
| 10. डोम | 29. कोरा |
| 11. घासी | 30. कोटाल |
| 12. गौड़ | 31. महिष्यदास |
| 13. गुनार | 32. माली |
| 14. गुर | 33. मेहतर |
| 15. गरंग | 34. मूसाहार |
| 16. जालिया कैबर्त | 35. नामशूद्र |
| 17. कहार | 36. पातनी |
| 18. कालिन्दी | 37. सबर । |
| 19. कान | |

संविधान (अनुसूचित जन जातियां) आदेश 1950 से उद्धरण

सां० आ० 22

भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के खंड (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति ने सम्पृक्त राज्यों के राज्यपालों और राजप्रमुखों से परामर्श करने के पश्चात् अपने प्रसाद से निम्नलिखित आदेश किया है, अर्थात्:—

* * * *

3. अनुसूची के भाग 4 और भाग 7क को सिवाय इस आदेश के राज्य के या उसके जिले या अन्य प्रादेशिक खण्ड के प्रति किसी निर्देश का अर्थ यह लगाया जाएगा कि वह नवम्बर, 1956 के प्रथम दिन से गठित उस राज्य, जिले या अन्य प्रादेशिक खण्ड के प्रति निर्देश है, और अनुसूची के भाग 4 और भाग 7क में किसी राज्य या उसके जिले या अन्य प्रादेशिक खंड के प्रति किसी निर्देश का अर्थ यह लगाया जाएगा कि वह मई, 1960 के प्रथम दिन से गठित उस राज्य, जिले या अन्य खण्ड के प्रति निर्देश है; भाग 13 में किसी राज्य या उसके जिले या अन्य प्रादेशिक खण्ड के प्रति किसी निर्देश का अर्थ यह लगाया जाएगा कि वह हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 की धारा 2 के खण्ड (ख) के अधीन नियत दिन से गठित राज्य, जिले या अन्य प्रादेशिक खण्ड के प्रति निर्देश है और भाग 14 से 16 तक में राज्य के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 की धारा 2 के खण्ड (ख) के अधीन नियत दिन से गठित राज्य के प्रति निर्देश है ।

अनुसूची

भाग—1 आन्ध्र प्रदेश

1. सम्प्रदाय राज्य में—

1. चेंचु या चेंचुवार

2. कोया या गोड अपने उपवर्ग राजा या राश कोया, लिगधारी कोया (साधारण) कोट्टू कोया, भणि कोया और राजकोया के सहित ।

2. हैदराबाद, महबूबनगर, आदिलाबाद, निजामाबाद, मेडक, करीमनगर, वारंगल, खम्माम और नलगौडा जिलों के सियाव सम्प्रदाय राज्य में—

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1. बगटा | 11. कुलिया |
| 2. गडुबा | 12. माली |
| 3. जातुप | 13. मन्न दौरा |
| 4. कम्मर | 14. मखा दौरा या नूकादौरा |
| 5. कोट्टनायकन | 15. पार्जा (पेरंगी पार्जा) |
| 6. कौडा दौरा | 16. रेड्डीदौरा |
| 7. कौंड कपु | 17. रोण, रेण |
| 8. कौंडा रेड्डी | 18. सवार-कापु सवार, मेल्ययसवार कुट्टू सवार |
| 9. कौंड (कौंडि और कौंधु) देस्य कौंड, डोन्ग्रिया कौंड, कट्टियाकौंड टिकिया कौंड और यनेटी, कौंड | 19. सुगाली (लंबाड़ी) |
| 10. कोटिया बेंतों, ओरिया, बतिका धूलिया या डुलिया होल्बा, पैको, पटिया, सन्नोण, सिधोपैको | 20. यनाड़ी |
| | 21. युरुकुल । |

3. हैदराबाद, महबूबनगर, आदिलाबाद, निजामाबाद, मेडक, करीमनगर, वारंगल, खम्माम और नलगौडा जिलों में—

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| 1. अन्ध | 4. हिल रेड्डी |
| 2. भील | 5. (मन्ने वलू सहित) कोलम |
| 3. (नैकपाड़ एवं राजगोड के सहित) गौंड | 6. परधान |
| | 7. थोटी । |

4. अभिकरण भूखंडों में—

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. गौडू (गौंड) | 3. बाल्मीकि । |
| 2. नायक | |

भाग 2—आसाम

1. स्वायत्त शासी जिलों में—

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1. चाक्मा | 7. निम्नलिखित के सहित कोई कूकी जन जातियां |
| 2. जिमासा (कछारी) | (i) बियाते या बियेते |
| 3. गारो | (ii) चांगसान |
| 4. हाजंग | (iii) चंगलोई |
| 5. हमार | (iv) दौंगेल |
| 6. (खासी, सिन्तेंग या प्जारवार, भोई या लिगनागम सहित) खासी और जैन्तिया | (v) गमल्हौ |
| | (vi) गांगटे |

- | | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| (Vii) गुहते | (XXVi) मांजेल |
| (Viii) हात्रेंग | (XXVii) मिसाऊ |
| (ix) हौकिप या हौपित | (XXViii) रिआंग |
| (X) हौलाई | (XXix) सैहैम |
| (Xi) हेंगना | (XXX) सैलनाम |
| (Xii) हंसंध | (XXXi) सिन्गसन |
| (Xiii) हांगखोवाल या रंगखल | (XXXii) सितल्हौ |
| (Xiv) जंग्बे | (XXXiii) सुवते |
| (Xv) खवीचूंग | (XVXiV) थाडो |
| (Xvi) खवील्लंग या खोता-
लंग | (XXXV) थाञ्ज्यू |
| (Xvii) खेलमा | (XXXvi) उइदू |
| (Xviii) खोल्ह | (XXXvii) व्हाइफ़े |
| (Xix) किपमेन | 8. लाखेर |
| (XX) कुकी | 9. (ताई बोलनेवाली) मान |
| (XXi) लेंथांग | 10. कोई मिजो जन (लूशाई
जातियां) |
| (XXii) ल्हाघम | 11. भिकिरि |
| (XXiii) ल्हाजेम | 12. कोई नागा जन जातियां |
| (XXiv) ल्हौवुन | 13. पावी |
| (Xv) लुफेंग | 14. सितेंग । |

3. स्वायत्त शासी जिलों को छोड़कर आसाम राज्य में—

- | | |
|-----------------------|-----------|
| 1. कछार में बर्मन | 6. लालुंग |
| 2. बडो, बडो कछारी | 7. मेच |
| 3. डयोरी | 8. भिरी |
| 4. होजाई | 9. राभा । |
| 5. सोन्वाल सहित कछारी | |

भाग 3—बिहार

1. समस्त राज्य में—

- | | |
|---------------|--------------------|
| 1. असुर | 16. खरवार |
| 2. बेगा | 17. खोंड |
| 3. बनजारा | 18. किसान |
| 4. बठुदी | 19. कौरा |
| 5. बेदिया | 20. कौरवा |
| 6. बिझिया | 21. लोहार या लोहरा |
| 7. बिरहोर | 22. माहली |
| 8. विरजिया | 23. माल पहरिया |
| 9. चैरो | 24. मुन्डा |
| 10. चिक बराइक | 25. उरांव |
| 11. गोंई | 26. परहया |
| 12. गोराइत | 27. सेंथाल |
| 13. हो | 28. सोरिया पहाडिया |
| 14. करमाली | 29. सावर । |
| 15. खरिया | |

2. रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, संथाल परगना और मानभूम के जिलों में—
भूमिज ।

भाग 4—गुजरात

1. राजकोट डिवीजन और कच्छ जिले को छोड़ कर सभस्त राज्य में—

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1. बर्डा | 10. ढोर काथोडी या ढोर कातकरी और सोन काथोडी या सोन कातकरी सहित काथोडी या कातकारी |
| 2. बावचा या बामचा | 11. कोकणा, कोकणी, कुकणा |
| 3. भील जिनके अन्तर्गत भील, गरासिया, धोली भील, डुंगरी भील, डुंगरी, गरासिया, मेवासी भील, रावल भील, तडवी भील, भगालिया, भिलाला, पवरा बसावा और बसावे आते हैं | 12. कोली, ढोर टोकरे कोली, कोलचा या कोलघा |
| 4. चौधरा | 13. चोली वाला नायका, कपडिया नायका, मोटा नायका और नाना नायका सहित नायकडा या नायका |
| 5. तडवी, तेतारिया और वलवी सहित धाणका | 14. अडवीचिचार और फ्रांसे पारधी सहित पारधी |
| 6. धोडिया | 15. पटेलिया |
| 7. तलाविया या हलपति सहित दुबला | 16. पोमला |
| 8. मावची, पाडवी, बसावा, वसावे और वलवी सहित गामित या गामटा या गांवित | 17. राथवा |
| 9. गोंड या राजगोंड | 18. वारली |
| | 19. विठोलिया कोटवालिया या बरोडिया । |

2. डांगुस जिले में—

कुम्बी ।

3. सूरत जिले में—

- (क) अम्बरगांव तालुका में कोली मलहार, कोली महादेव या डोंगर कोली ;
(ख) अन्य तालुकों में चौधरी ।

4. राजकोट डिवीजन में सिद्धी ।

5. अलेच्छ, गीर और बराद के जंगलों में के नासेर क्षेत्र में—

- | | |
|-----------|-----------|
| 1. भरवाड़ | 3. रवरी । |
| 2. चारण | |

6. सुरेन्द्र नगर जिले में—

1. पाधर ।

7. कच्छ जिले में—

- | | |
|-----------|-------------|
| 1. भील | 4. पारधी |
| 2. ढोडिया | 5. बाघेरी । |
| 3. कोली | |

भाग 5—केरल

1. सभस्त राज्य में—

1. काडर्
2. इरुलर् या इरुलन्
3. मुतुवान्, मुदुगर या मुदुवन् ।

2. मालाबार जिले के सिवाय सभस्त राज्य में—

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. अरावालन् | 9. मलयन् |
| 2. हिल पुलया | 10. मलयरयर् |
| 3. कणिकारन् या काणिकर् | 11. मनान् |
| 4. कोच्चूवेलन् | 12. पल्लियान |
| 5. मलक्कुळन् | 13. पल्लियार |
| 6. मलयअर्थ | 14. उल्लाडन (पहाड़ी) |
| 7. मलयपंडारम् | 15. उरालि |
| 8. मल वेडन् | 16. विषवन । |

3. मालाबार जिले में—

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. आडियान् | 10. कूरचिचान् |
| 2. अरांडन | 11. कुरुमन् |
| 3. कमारा | 12. महामालासार |
| 4. काट्टुनायकन् | 13. मालासार |
| 5. कोनडा कापूस | 14. मालायीकन्डी |
| 6. कोण्डरेड्डि | 15. पल्लियान |
| 7. कोरग | 16. पाणियन् |
| 8. कोटा | 17. कुलयन् |
| 9. कुडीया या मेलाकूडी | |

4. (कासरगोड ताल्लुक को छोड़कर) मालाबार जिले में—
कुरुम्बा ।5. मालाबार जिले के कासरगोड ताल्लुक में—
माराटि ।

भाग 6—मध्य प्रदेश

1. भिंड, गिर्द, मुरेना, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, शाजापुर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर (सिरोज सब-डिवीजन को छोड़कर) भेलसा, इन्दौर, देवास, धार, झाबुआ और निमाड़ (म० भा०) के जिलों में—

- | | |
|-----------|--------------|
| 1. गोंड | 3. सेहरिया । |
| 2. कोर्कू | |

2. धार और झाबुआ के राजस्व जिलों में, निमाड़ के राजस्व जिले में सेंधवा, बड़बानी, राजपुर खरगोन, भीकन गांव और सहेश्वर की तहसीलों में और तरलाम राजस्व जिले की सहलाना तहसील में—

10. बरेला, पटेलिया और अन्य उप जत्तजातियों के सहित भील और भिलाला।

3. (1) बस्तर, छिदवाड़ा, सिवनी, मांडला, रायगढ़ और सरगुजा जिलों में, (2) बालाघाट जिले की बहर तहसील में, (3) बैतूल जिले की बैतूल और भेंसदेही

तहसीलों में, (4) विसालपुर जिले की विलासपुर और कटघरा तहसीलों में, (5) दुर्ग जिले की दुर्ग और संगरी तहसीलों में, (6) जबलपुर जिले की मुडवारा, पाटन और सिहोरा तहसीलों में, (7) होशंगाबाद जिले की होशंगाबाद और सुहागपुर तहसीलों और नरसिंहपुर जिले में, (8) निम्नाड जिले की हरसूद तहसील में, (9) रायपुर जिले की विद्वानवगढ़, धमतरी और महासमुन्द तहसीलों में—

- | | |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. आंध | झालिया |
| 2. बैगा | डोरला |
| 3. भैना | गायकी |
| 4. भारिआ-भूमिआ या भूईआर भूमियां पांडो सहित | गट्टा या गट्टी |
| 5. भतरा | गैटा |
| 6. भील | गौंड गोवारी |
| 7. भंजिया | हिल मारिया |
| 8. बिझवार | कंडरा |
| 9. बिरहुल या विरहोड़ | कलंगा |
| 10. तनवार | खटोला |
| 11. गढ़ाबा या गढ़वा | कोइतर |
| 12. गौंड इनके अन्तर्गत ये भी हैं | कोया |
| अरख या आख | खिरवार या खिरवारा |
| अगरिया | कुचा मारिया |
| असुर | कुचाकी मारिया |
| बड़ी मारिया या बड़ा मारिया | माडिया (मारिया) |
| भटोला | माना |
| भीमा | मन्नेवार |
| भूता, कोइला भूता या कोइलाभूती | मोघ्या या मोगिया या मौघ्या |
| भार | मुडिया (मुरिया) |
| बिसों नहान मारिया | नगारची |
| छोटा मारिया | नागवैशी |
| दंडामी मारिया | ओ । |
| धुरू या धूरवा | राज |
| धोबा | सोन्वारी झरेका |
| | थाटिया या थोटया |
| | वाडेमाडिया या व्हाडेमाडिया |
| 13. हलवा या हलवी | 23. मझवार |
| 14. कमार | 24. मूंडा |
| 15. कवर, कंमर, कौर, चेरवा, राठिया, तनवर या चत्ती | 25. नगेसिया या नगासिया |
| 16. खिरवार | 26. निहाल |
| 17. खड़िया | 27. धानेका और धनगद के सहित उरांव |
| 18. कोंध या खोंड या कांध | 28. परधान, पथारी और सरौती |
| 19. कॉल | 29. बहेलिया या बहेलिया, चिता, पारधी, लंगौली पारधी, फांस पारधी, शिकारी, टाकनकर और टाकिया सहित पारधी |
| 20. कोलम | 30. परजा |
| 21. बोपंची मौआसी, निहाल या नहुल और बौधी या बौडिया समेत कोरकू | 31. साओता या सोंता । |
| 22. कोडाकू समेत कोरवा | 32. संमर या संवरा । |

4. बतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रोवा, सीधी और शहडोल जिलों में—

- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| 1. अग्ररिया | 10. भवासी |
| 2. बैगा | 11. नट |
| 3. भील | 12. नट, नावदीगर, सपेरा और कूबूतर |
| 4. बिआर या बीआर | 12. पनिका |
| 5. भारिया और पालिहा सहित भूमिया | 13. पाव |
| 6. पथारी सहित गौड | 14. सहारिया |
| 7. कोदर सहित खरवार | 15. सौर |
| 8. कोल (दहेत) | 16. सौर |
| 9. माझी | |

5. रायसेन और सीहोर जिलों में—

- | | |
|-----------------|-----------------------------|
| 1. भील | 6. कोल |
| 2. भिलाला | 7. मोगिया |
| 3. गौड या डारोई | 8. पारधी |
| 4. कारकू | 9. सहारिया, सोसिया या सौर । |
| 5. कीर | |

6. भेलसा जिले के सिरोंज सब-डिवीजन में—

- | | |
|------------------|---------------------------------------|
| 1. भील | 4. गरासिया (राजपूत गरासिया को छोड़कर) |
| 2. भील मीना | 5. मीना |
| 3. दमोर, दमारिया | 6. सेहारिया, सहारिया । |

भाग 7—तमिल नाडु

1. सभस्त राज्य में—

- | | |
|---------|------------|
| 1. काडर | 2. इरुलर । |
|---------|------------|

2. कन्या कुमारी जिले और तिरुनेलवेलि जिले के कोटा ताल्लुका के सिवाय सभस्त राज्य में—

- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1. अडियन | 11. कुरुमान्स |
| 2. अरनाडन | 12. महामल्लेसर |
| 3. कम्मारा | 13. मल्लेसर |
| 4. काट्टुनायकन | 14. मलयेकंडी |
| 5. कोन्डा कपूस | 15. मुडूर या मुडूवन |
| 6. कोन्डा रेड्डी | 16. पलियन |
| 7. कोरागा | 17. पनियन |
| 8. कोटा | 18. पुलयन |
| 9. कुडिया या मेलाकुंडी | 19. शोलागा |
| 10. कुरिच्छन | 20. ठोडा । |

3. उत्तर आरकोट, सेलम और तिरुचिरापल्ली जिलों में—
मल्याली ।
4. कोयम्बतूर जिले और तिरुनेलवेलि जिले में (शेंकोटा ताल्लुक के सिवाय)—
कनियन या कन्यन ।
5. नीलगिरि जिले में—
कुरुम्बास ।
6. कन्या कुमारी जिले और तिरुनेलवेलि जिले के शेंकोटा ताल्लुक में—
 1. एरवल्लन
 2. हिल पुल्या
 3. कनिकरण या कनिककर
 4. कोचुवेलन
 5. मलक्कुरवन
 6. मलै अरैयन
 7. मलै पंडाराम
 8. मलै वैडन
 9. मलयन
 10. मलयरायर
 11. मन्नन
 12. मद्रुवन
 13. पल्लयन
 14. पल्लयर
 15. उल्लडन (पहाड़ी निवासी)
 16. उरली
 17. विशवन ।

भाग 7क—महाराष्ट्र

1. बुलढाना, आकोला, अमरावती, यवतमाल, बर्धी, नागरपुर, भंडारा, चान्दा, औरंगाबाद, परभानी, नान्देह, भौर, उस्मानाबाद और राजोरा जिलों को छोड़कर समस्त राज्य में—

1. बर्डी
2. बावचा या वामचा
3. भील जिनके अन्तर्गत भील गरासिया, धोली भील, डुंगरी भील, डुंगरी गरासिया, मेवासी भील रावल, तडवी भील, भगालिया, भिलाला, पावरा बसावा और बसावे आते हैं ।
4. चौधरा
5. तडवी, तैतारिया और बलवी सहित धाणका
6. धौडिका
7. तालाविया या हलपति सहित दुबला
8. मावची, पाडवी, बसावा, बसावे और बलवी सहित गामिट या गामटा या गावीट
9. गोंड राजगोंड
10. ढोर काथोडी या ढोर कातकरी और सोन काथोडी या सोन कातकरी सहित काथोडी या कातकरी
11. कोंकणा, कोकणी, कुकणा
12. कोली ढोर, टोकरे कोली, कोलचा या कोलघा
13. चोली वाला नायका, कडिया नायका, मोटा नायका और नाना नायका सहित नायकडा या नायक
14. अडवी चिंचेर और फांसे पारधी सहित पारधी
15. पटेलिया
16. पोमला
17. राथवा
18. बारली
19. बिठोलिया, कोतवलीया या वरोजिया ।

2. थाना जिले में—
कोली मलहार ।

3. (क) अहमदनगर जिले के—
अकोला, राहुरी और संगमनेर
तालुकाओं में
- (ख) कोलाबा जिले के—
करजात, खालापुर, अलीबाग,
महाड़ और सुधागढ़ तालुकाओं में
- (ग) नासिक जिले में—
नासिक, निफड, सिन्नर, चांदोर,
बगलान, इगतपुरी, दिनडोरी और
कलवण तालुकाओं में और सुरगाना
और पेट महालों में
- (घ) पुणे जिले में—
अम्बेगांव, जुन्नर, खेड, मावल
और मुलशी तालुकाओं और वेल्हे
महाल में
- (ङ) थाना जिले के—
थाना, मूरबाद, भिवंडी, बसै,
वाडा, शाहपुर, डहानू, पालवर,
जवाहर और मौखादा तालुकाओं
में।

कोली महादेव या डोंगर कोली ।

4. (क) अहमदनगर जिले के—
अकोला, राहुरी और संगमनेर
तालुकाओं में
- (ख) कोलाबा जिले के—
कर्जट, खलपुर, पेन, पनवेल और
सुधागढ़ तालुकाओं और माथेरान
में
- (ग) नासिक जिले के—
इगतपुरी, नासिक और सिन्नोर
तालुकाओं में
- (घ) पुणे जिले के—
अम्बेगांव, जुन्नर, खेड, मवाल
तालुकाओं में
- (ङ) थाना जिले के—
थाना, कल्याण, मूरबाद, भिवंडी,
बसै, वाडा, शाहपुर, पालघर,
जवाहर और मौखादा तालुकाओं
में ।

का-ठाकुर, का-ठाकुर मा-ठाकुर
सहित और मा-ठाकुर ठाकुर या
ठाकुर

5. (1) अमरावती जिले की मेलघाट तहसील में,
(2) चांदा जिले की गढ़चिरोली और सिरोंचा तहसीलों में, तथा
(3) यवतमाल जिले की केलापुर, वाली और यवतमाल तहसीलों में—

1. आंध
2. बैगा
3. भैना
4. भारिआ- भूमिया या भुईहार-
भूमिया, पन्डो सहित

5. भतरा
6. भील
7. भूजिया
8. बिभंवार

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| 9. बिरहुल या बिरहोड | मोयमा या भोगिया या |
| 10. धनवार | मोघया |
| 11. गढावा या गढवा | मुडिया (भूरिया) |
| 12. गोंड जिनके अन्तर्गत हैं— | नगारची |
| अरख या आरख | नागवंशी |
| अगरिया | ओझा |
| असुर | राज |
| बड़ी मारिया या बड़ा मारिया | सोंझारी झरेका |
| भटोला | थाटिया या थोट्या |
| भीम्मा | वाडे मारिया या बडे मारिया |
| भूता, कोइला भूत या कोइला | 13. हालबा या हलबी |
| भुती | 14. कमार |
| भर | 15. कवर या कंवर, कौर, चेरवा, |
| विसोनहार्न मारिया | राठिया तनवर या चत्री |
| छोटा मारिया | 16. खैरवार |
| दण्डामीमारिया | 17. खडिया |
| धुरु या धुरुआ | 18. कोंध या खोंड या कांध |
| धोबा | 19. कोल |
| दुलिया | 20. कोलम |
| डोरला | 21. बोची, मौसी, निहाल या |
| गायकी | नहुल और बौधी या बौडया |
| गट्टा या गट्टी | सहित कोरकू |
| गैटा | 22. कोडाकू सहित कारवा |
| गोंड गोवारी | 23. मझवार |
| हिल मारिया | 24. मुंडा |
| कण्डरा | 25. नगेसिया या नगासिया |
| कलंगा | 26. निहाल |
| खटोला | 27. धनका और धनगड सहित |
| कोइतर | उरांव |
| कोया | 28. परधान, पथारी और सरोती |
| खिरवार या खिरवारा | 29. बहेलिया या बहेलिया, चित- |
| कूचामारिया | पारधी, लंगोली पारधी, फांस |
| कुचाकी मारिया | पारधी, शिकारी, टाकनकर |
| माडिया (मारिया) | और टाकिया सहित पारधी |
| माना | 30. परजा |
| मन्नेवार | 31. साओता या सौता |
| | 32. सवर या सवरा । |

6. औरंगाबाद, परभानी, नान्देड, राजोरा, भीर और उस्मानाबाद जिलों में—

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| 1. आंध | 5. कोया (भिने कोया और राज- |
| 2. भील | कोया सहित) |
| 3. गोंड (नायकपोड और राजगोंड | 6. परधान |
| के सहित) | 7. थोटी । |
| 4. कोलम (मन्नेर वारलू सहित) | |

भाग 8—कर्नाटक

1. कुर्ग, बेलगांव, बीजापुर, धारवाड़, कनारा, दक्षिण कनारा, गुलबर्गा, रायचूर और बीदर जिलों और मैसूर जिले के कोलेगल तालुक को छोड़कर समस्त राज्य में—

- | | |
|---------------|----------------|
| 1. गौडलु | 6. कांडु कुरवा |
| 2. हविकपिक्कि | 7. मलइकुडी |
| 3. हसलारू | 8. मालेरू |
| 4. इरुलिगा | 9. सीलीगार । |
| 5. जेनु कुरवा | |

2. बेलगांव, बीजापुर, धारवाड़ और कनारा जिलों में—

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. बर्डी | 10. ढोर, काथोडि या ढोर काट-
कारी, और सोन काथोडि
या सोन काटकारी के सहित
काथोडि काटकारी |
| 2. बवचा या बमचा | 11. कोकना, कौकनी, कुकना |
| 3. भील जिनके अन्तर्गत भील
गरासिया, धोली भील, डुंगरी
भील, गरासिया, मेवासी, डुंगरी
भील, रावल भील, तड़वी भीला,
भगालिया, भिलाला, पवरा,
वासव और वसावे आते हैं | 12. कोली ढोर, ठाकरे कोली,
कोलचा या कोलघा |
| 4. चोधरा | 13. चोलीवाला नायक, कपाडिया
नायक, मोटा नायक, नाना
नायक के सहित नायकडा
या नायक |
| 5. तडवी, तेवीरिया, वलवि के
सहित धानका | 14. अडविचिचेर और पनसे पार्धी
के सहित पार्धी |
| 6. धोडिया | 15. पटेलिया |
| 7. तालविया या हलपति के
सहित दुबला | 16. पोमला |
| 8. मावचि, पडवि, वासव, वासवे
और वलवि के सहित गामिट
या गमटा या गाविट | 17. राथवा |
| 9. गोंड या राजगोंड | 18. वरली |
| | 19. विटोलिया, कोतवालिया या
वारोडिया । |

3. गुलबर्गा, बीदर और रायचूर जिले में—

- | | |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1. भील | 4. कोया (भिने कोया और राज-
कोया के सहित) |
| 2. चचु या चेंच वार | 5. थोटी । |
| 3. गोंड (नायकगोंड और राजगोंड
के सहित) | |

4. दक्षिण कनारा जिले और मैसूर जिले के कोलेगल तालुक में—

- | | |
|----------------|-----------------------|
| 1. आदियान | 9. कोरग |
| 2. अरंदन | 10. कोटा |
| 3. इरुलर | 11. कुडिया या मैलकुडी |
| 4. कादर | 12. कुरिच्छन |
| 5. कम्मार | 13. कुरुमानस |
| 6. कत्तुनायकन् | 14. महामालसार |
| 7. कोंडा कापूस | 15. मालसार |
| 8. कोंडारेडी | 16. मालयेकोडि |

- | | |
|-----------------------|------------|
| 17. मुदुगार या मुदुवन | 20. पुलवान |
| 18. पल्लियान | 21. शोलगा |
| 19. पनियान | 22. तोडा |

5. मैसूर जिले के कोलेगल तालुक में—

कनियान या कन्यान ।

6. दक्षिण कनारा जिले में—

मराटि ।

7. कुर्ग जिले में—

- | | |
|-----------|-----------|
| 1. कोरमा | 4. मराठा |
| 2. कुडिया | 5. मेडा |
| 3. कुस्ब | 6. एरवा । |

भाग 9—उड़ीसा

समस्त राज्य में—

- | | |
|-----------------------|-------------------------------|
| 1. बागडा | 31. नांगुली कन्ध या शीथा कन्ध |
| 2. बैगा | सहित खोंड, कोंड या कन्धा |
| 3. वणजारा या वणजारी | 32. किसान |
| 4. बाथुडी | 33. कोल |
| 5. भौत्तडा या घोत्तडा | 34. कोल्हा-कोल-लोहार |
| 6. भुइया या भूयां | 35. कोल्हा |
| 7. भूमिआ | 36. मल्हार सहित कोली |
| 8. भूमिज | 37. कोन्डादोरा |
| 9. भूजीआ | 38. कोरा |
| 10. बिजाल | 39. कोरुआ |
| 11. विमिया या विजोआ | 40. कुटीआ |
| 12. ब्रीरहोर | 41. कोया |
| 13. बोंडोपोरजा | 42. कुली |
| 14. चेन्वू | 43. लौधा |
| 15. दाल | 44. मादिआ |
| 16. देसुआ भूमिज | 45. माहालि |
| 17. धारुआ | 46. मांकिडी |
| 18. दिदयी | 47. मांकिरडिआ |
| 19. गदबा | 48. माटिआ |
| 20. गांडिया | 49. मिर्धा |
| 21. घारा | 50. मुडा, मुडालौहरा या मुडा- |
| 22. गोंड, गोंडो | महाली |
| 23. हो | 51. मुंडारी |
| 24. होलधा | 52. औमनात्या |
| 25. जातपु | 53. ओरांवू |
| 26. जुआंग | 54. पेरेंगा |
| 27. कंध गौड | 55. परोजा |
| 28. कावार | 56. पेंटिआ |
| 29. खडीआ या खडीयां | 57. राजुआर |
| 30. खरवार | 58. सांताल |

59. सर्वौरा, संवर, सौरा या सहरा
60. शबर या लोधा

61. साउन्ती
62. थारुआ ।

भाग 11—राजस्थान

1. अजमेर जिले, सिरौही जिले के आबू रोड तालुका और झालावाड़ जिले के सुनेल टप्पा के सिवाय समस्त राज्य में—

- | | |
|-------------------|---------------------------------------|
| 1. भील | 4. गरासिया (राजपूत गरासिया को छोड़कर) |
| 2. भील मीना | 5. मीणा |
| 3. डामोर, डामरिया | 6. सेरिया, सहेरिया । |

2. अजमेर जिलों में—

- | | |
|--------|---------------|
| 1. भील | 2. भील मीना । |
|--------|---------------|

3. सिरौही जिले के आबू रोड तालुका में—

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. वडी | 10. ढोर काथोड़ी या ढोर कातकारी और सोन काथोड़ी या सोन कातकारी के सहित काथोड़ी या कातकारी |
| 2. बावचा या वामचा | 11. कोकना, कोकनी, कुकना |
| 3. भील जिनके अन्तर्गत भील गरासिया, धोली भील, डुंगरी भील, डुंगरी गरासिया, मेवासी भील, रावल भील, तडवी भील, भगालिय, भिलाला पावरा, वसावा और वसावे आते हैं | 12. कोलीं ढोर, टोकरे कोली, कोलचा या कोलधा |
| 4. चोधरा | 13. चोलिवाला नायका, कपाडिया नायका, मोटा नायका, और नाना नायका सहित नायकडा या नायका |
| 5. तडवी, तैतारिया और बलवी सहित धाणका | 14. अडवीचिचेर और फांसे पारधी सहित पारधी |
| 6. धोडिया | 15. पटेलिया |
| 7. तलाविया या हलपती सहित दुबला | 16. पोमला |
| 8. भावची, पाडवी, वसावा, वसावे और वलवी सहित गामीत या गामाटा या गावीत | 17. राठवा |
| 9. गोंड या राजगोंड | 18. वारली |
| | 19. बीठोलिया, कोठोवालिया या वारोडिया । |

4. झालवाड़ा जिले के सुनेल टप्पा में—

- | | |
|-----------|------------|
| 1. गोंड | 3. सेहरिया |
| 2. कोर्कू | |

भाग 12—पश्चिमी बंगाल

1. समस्त राज्य में—

- | | |
|-----------------------------|----------|
| 1. हो | 5. मुंडा |
| 2. कोड़ा | 6. औरांब |
| 3. लोधा, खेड़िया या खाड़िया | 7. संथाल |
| 4. माल पहाड़िया | |

2. बिहार के पूर्णिया जिले से अन्तरित राज्यक्षेत्रों के सिवाय समस्त राज्य में—
भूमिज ।

3. बिहार के पूर्णिया जिले से अन्तरित राज्यक्षेत्रों और पुहलिया जिले के सिवाय समस्त राज्य में—

- | | |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. शेरपा, टोटो, दुकपा, कगाते,
तिब्बती और योलमो के
सहित भूटिया | 6. मध |
| 2. चाकमा | 7. माहली |
| 3. गारो | 8. मेच |
| 4. हाजंग | 9. झू |
| 5. लेपचा | 10. नागेशिया |
| | 11. राभा । |

4. बिहार के पूर्णिया जिले से अन्तरित राज्यक्षेत्रों और पुहलिया जिले में—

- | | |
|---------------|---------------------|
| 1. असुर | 12. गोइत |
| 2. बैगा | 13. करमाली |
| 3. बंजारा | 14. खाड़वार |
| 4. बथूड़ी | 15. खोंड |
| 5. बेदिया | 16. किसान |
| 6. बिझिया | 17. कोरवा |
| 7. बीरहड़ | 18. लोहारा या लोहरा |
| 8. बिजिया | 19. माहली |
| 9. चैरो | 20. पाढ़िया |
| 10. चिक बारैक | 21. सौरिया पहाड़िया |
| 11. गौंड | 22. सावर । |

भाग 13—हिमाचल प्रदेश

1. पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्रों के सिवाय समस्त राज्य में—

1. गद्दी
2. गुज्जर
3. जाद, लाम्बा, खम्पा और भोट या बोढ
4. कनौरा या किन्नारा
5. लाहौल
6. पंगवाला ।

2. लाहौल और स्पीती जिले में—

1. गद्दी
2. स्वांगला
3. भोट या बोढ

भाग 14—सण्णपुर

समस्त राज्य में—

- | | |
|-----------|----------|
| 1. आयमोल | 5. चोथे |
| 2. एनांल | 6. गंगते |
| 3. अंगामी | 7. हमार |
| 4. चिरु | 8. काबुई |

- | | |
|---------------------------------|-------------|
| 9. कच्चा नागा | 19. मायोन |
| 10. खोईराओ | 20. पाइटे |
| 11. कोएरंग | 21. पुरुम् |
| 12. कोम | 22. राल्टे |
| 13. लैमगैंग | 23. सेमा |
| 14. कोई मिजो (लुसाई) जन जातियां | 24. सिम्टे |
| 15. मराम् | 25. सूहटे |
| 16. मैरिंग | 26. तंगखुल |
| 17. माओ | 27. थाडो |
| 18. मोन्सैंग | 28. व्हाइफै |
| | 29. जाओ |

भाग 15—मेघालय

समस्त राज्य में—

- | | |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1. चाक्कमा | 5. हमार |
| 2. डिमासा (कछारी) | 6. खासी और जैन्तिया (खासी सिन्तैंग या प्नार, वार, भोई या लिंगाम सहित) |
| 3. गारो | |
| 4. हाजंग् | |

7. कोई कुकी जन जातियां जिनके अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं :—

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| (i) वियाते या बियेते | (XXiii) ल्हाजम |
| (ii) चंगसान | (XXiv) ल्होबुन |
| (iii) चंगलोई | (XXv) लुफैंग |
| (iv) दोगेल | (XXvi) मांजेल |
| (v) गमल्हो | (XXvii) मिसाऊ |
| (vi) गंगते | (XXviii) रियांग |
| (vii) गुइते | (XXix) सैरहैम |
| (viii) हैन्गंग | (XXX) सेल्लाम् |
| (ix) हौकिप या हैपित | (XXXi) सिग्सन |
| (x) हौलाई | (XXXii) सितल्हो |
| (xi) हेंगना | (XXXiii) सुक्ते |
| (xii) हौनसुंध | (XXXiv) थादो |
| (xiii) ह्वाखोवाल या रंखोल | (XXXv) थांगन्यू |
| (xiv) जंम्बे | (XXXvi) उइबू |
| (xv) ख्वोचंग | (XXXvii) व्हाइफै |
| (xvi) ख्वोत्लंग या खोतालंग | 8. लाखेर |
| (xvii) खेल्भा | 9. मान (ताई बोलने वाली) |
| (xviii) खोल्हु | 10. कोई मीजो (लुसाई) जन जातियां |
| (xix) किपगेन | 11. मिकिर |
| (xx) कूकी | 12. कोई नागा जन जातियां |
| (xxi) लेंथांग | 13. पावी |
| (xxii) ल्हांगम | 14. सिन्तैंग |

भाग 16--त्रिपुरा

समस्त राज्य में :—

- | | |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. लुसाई | (xv) रंगचन |
| 2. माग | (xvi) रखोल |
| 3. कृकी जिनके अन्तर्गत निम्न-
लिखित उप-जनजातियां भी
हैं :— | (xvii) थंगलुईया |
| (i) बाल्टे | 4. चाकमा |
| (ii) बेललहुत | 5. गारु |
| (iii) छाल्य | 6. चैमाल |
| (iv) फुन | 7. हलाम |
| (v) हेजांग | 8. खासिया |
| (vi) जंगतेई | 9. भुटिया |
| (vii) खरेंग | 10. मुन्ज, कौड़ सहित |
| (viii) खेफोग | 11. ओरांग |
| (ix) कुन्तेई | 12. लेप्चा |
| (x) लाइफ्रंग | 13. सन्थाल |
| (xi) लेनतेई | 14. भील |
| (xii) मिजेल | 15. त्रिपुरा यात्रिपुरी, टिप्पेरा |
| (xiii) नमते | 16. जमातिया |
| (xiv) पाइतु, पाइते | 17. नोआटिया |
| | 18. रियांग |
| | 19. उचाई |

संविधान (अण्डमान और निकोबार द्वीप) अनुसूचित जनजातियां

आदेश, 1959 से उद्धरण

सां० आ० 58

* * * * *

2. वे जन जातियां या जन जाति समुदाय, या जन जातियों या जन जाति समुदायों के भाग या उनमें के यूथजो इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं अण्डमान और निकोबार द्वीपों के संघ राज्यक्षेत्र के सम्बन्ध में; संविधान के प्रयोजनों के लिए वहां तक जहां तक कि उनके उन सदस्यों का सम्बन्ध है जो उन परिक्षेत्रों में निवासी हैं जो उस अनुसूची में उनके सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट हैं, अनुसूचित जन जातियां समझे जाएंगे।

अनुसूची

1. अण्डमान द्वीपों में—

- (1) अण्डमान निवासी जिनके अन्तर्गत चारियर या चारी, कोरा टावो या बो, येरे, केडे, वीय, वालाबा बोजी-भियाव, जवाई और कोव आते हैं।
- (2) जरावा।
- (3) ओंगे।
- (4) सेंटोनेली।

2. निकोबार द्वीपों में—

- (1) निकोबार निवासी।
- (2) शोम पेन।

(लोक सभा द्वारा 2 सितम्बर, 1976 को पारित रूप में)

5/9/76
(प्रकाश चन्द्र)
सहायक सार्वजनिक
विभाग (विधायी) कार्यालय
विधि और न्याय मंत्रालय
नई दिल्ली

1976 का विधेयक सं० 59-सी

[शेड्यूल्ड कास्ट्स एण्ड शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर्डर्स (अमेंडमेंट) बिल, 1976 का
हिन्दी अनुवाद]

अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) विधेयक, 1976

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में कतिपय जातियों और जनजातियों को सम्मिलित करने और उनसे उन्हें अपवर्जित करने के लिए, जहां तक कि ऐसे सम्मिलित या अपवर्जित किए जाने के कारण संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन करना आवश्यक हो जाता है वहां तक ऐसे पुनः समायोजन के लिए और उनसे संबंधित विषयों के लिए उपबंध करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के सत्ताईसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 है। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।
- 5 (2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "जनगणना प्राधिकारी" से भारत का महारजिस्ट्रार और पदेन जनगणना आयुक्त अभिप्रेत है ;

(ख) "आयोग" से संविधान के अनुच्छेद 324 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त निर्वाचन आयोग अभिप्रेत है ;

(ग) "परिसीमन अधिनियम" से परिसीमन अधिनियम, 1972 अभिप्रेत है ;

(घ) "परिसीमन आयोग" से परिसीमन अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित परिसीमन आयोग अभिप्रेत है ;

(ङ) "अन्तिम जनगणना" से भारत में 1971 में की गई जनगणना अभिप्रेत है ;

(च) "अनुसूचित जातियां आदेश" से संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा किया गया संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 अभिप्रेत है ;

(छ) "अनुसूचित जनजातियां आदेश" से संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा किए गए संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 तथा संविधान (अण्डमान और निकोबार द्वीप) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1959 अभिप्रेत हैं ;

(ज) "राज्य" से ऐसा राज्य अभिप्रेत है जो अनुसूचित जातियां आदेश और अनुसूचित जनजातियां आदेशों में सम्मिलित है और इसके अन्तर्गत अण्डमान और निकोबार द्वीप संघ राज्यक्षेत्र भी है।

अनुसूचित जातियां
आदेश का
संशोधन।

3. अनुसूचित जातियां आदेश, प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से और विस्तार तक इसके द्वारा संशोधित किया जाता है।

अनुसूचित जन-
जातियां आदेशों
का संशोधन।

4. अनुसूचित जनजातियां आदेश, द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से, और विस्तार तक इसके द्वारा संशोधित किए जाते हैं।

अनुसूचित जातियों
और अनुसूचित
जनजातियों की
जनसंख्या का
अवधारण।

5. (1) इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् यथाशीघ्र, प्रत्येक राज्य में, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या जैसी कि वह अन्तिम जनगणना के समय थी, जनगणना प्राधिकारी द्वारा अभिनिश्चित या प्राक्कलित की जाएगी।

(2) जहां धारा 3 या धारा 4 द्वारा किए गए संशोधनों के कारण,—

(क) किसी राज्य में किसी परिक्षेत्र में, जो उक्त धाराओं में निर्दिष्ट आदेशों की अनुसूचियों के भागों में से किसी भाग में किसी जाति या जनजाति के सम्बन्ध में है, इसलिये परिवर्तन किया जाता है ताकि ऐसी जाति या जनजाति के सम्बन्ध में बड़ा क्षेत्र विनिर्दिष्ट किया जा सके, वहां जनगणना प्राधिकारी अन्तिम जनगणना में और किसी पूर्वतन जनगणना में जिसमें वर्धित क्षेत्र के संबंध में उस जाति या जनजाति की जनसंख्या के आंकड़े अभिनिश्चित किए गए थे, यथा अभिनिश्चित उस जाति या जनजाति की जनसंख्या के आंकड़े हिसाब में लेगा और वह ऐसे आंकड़ों में उस अनुपात में वृद्धि या कमी करके जिसमें उस राज्य की या, यथास्थिति, खंड, 40

जिले, तालुक, तहसील, पुलिस थाने, विकास खंड या अन्य प्रादेशिक खण्ड की साधारण जनसंख्या में जिसके संबंध में ऐसी जाति या जनजाति उक्त संशोधनों द्वारा विनिर्दिष्ट की गई है, पूर्वोक्त पूर्वतन जनगणना और अन्तिम जनगणना के बीच वृद्धि या कमी हुई है, उस जाति या जनजाति की जनसंख्या का जो 1 अप्रैल, 1971 को थी, अवधारण करेगा;

(ख) किसी जाति या जनजाति में, जो किसी राज्य या उसके भाग के संबंध में कोई अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों समझी गई है, इसलिए परिवर्तन किया जाता है ताकि ऐसी जाति या जनजाति को ही उस राज्य या उसके भाग के संबंध में किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया जा सके, वहां जनगणना प्राधिकारी अन्तिम जनगणना में यथा अभिनिश्चित ऐसी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के आकड़े हिसाब में लेगा :

परन्तु जनगणना प्राधिकारी के लिए किसी अनुसूचित जाति या जनजाति की जनसंख्या का जो 1 अप्रैल, 1971 को थी, अवधारण करना उस दशा में आवश्यक नहीं होगा जिसमें उस जाति या जनजाति की जनसंख्या अन्तिम जनगणना में और पूर्वतन जनगणनाओं में से किसी जनगणना में अभिनिश्चित नहीं की गई थी और उस प्राधिकारी की राय में संख्या में कम है।

स्पष्टीकरण—जहां खंड (क) में निर्दिष्ट किसी वधित क्षेत्र के संबंध में किसी जाति या जनजाति की जनसंख्या के आंकड़े एक से अधिक पूर्वतन जनगणनाओं में अभिनिश्चित किए गए थे वहां जनगणना प्राधिकारी, उस खंड के प्रयोजनों के लिए, पूर्वतन जनगणना में यथा अभिनिश्चित ऐसी जाति या जनजाति की ऐसी जनसंख्या के आंकड़े हिसाब में लेगा जो समय की दृष्टि से अन्तिम जनगणना के आस-पास हैं।

(3) उपधारा (2) के अधीन अभिनिश्चित या अवधारित जनसंख्या के आंकड़े जनगणना प्राधिकारी द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचित किए जाएंगे।

(4) इस प्रकार अधिसूचित जनसंख्या के आंकड़े अन्तिम जनगणना के समय यथा अभिनिश्चित सुसंगत जनसंख्या के आंकड़े माने जाएंगे और पूर्व प्रकाशित आंकड़ों को अतिरिक्त करेंगे ; और इस प्रकार अधिसूचित आंकड़े अन्तिम होंगे और किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किए जाएंगे।

6(1) धारा 5 के अधीन किसी राज्य के संबंध में जनसंख्या के आंकड़ों के अधिसूचित किए जाने के पश्चात् आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह, संविधान के अनुच्छेद 81, 170, 330 और 332 के, परिसीमन अधिनियम की धारा 8 के और इस अधिनियम के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए, संसद् और विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1976 में, (ऐसे आदेश में दिए गए किसी निर्वाचन-क्षेत्र के विस्तार में परिवर्तन किए बिना), ऐसे संशोधन जो आवश्यक हों, उस राज्य की, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों को या अनुसूचित जनजातियों को उस आदेश में जिसका आयोग द्वारा इसके अधीन संशोधन किया जाए, यथा विनिर्दिष्ट आरक्षित स्थानों की संख्या के आधार पर समुचित प्रतिनिधित्व देने के प्रयोजन के लिए, करे और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की प्रथम अनुसूची और द्वितीय अनुसूची के बारे में यह समझा जाएगा कि तदनुसार उनका संशोधन किया गया है।

निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन-क्षेत्रों का पुनः समायोजन।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई संशोधन करने में, आयोग, जहां तक आवश्यक हो, परिसीमन अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) और खण्ड (घ) के उपबन्धों को ध्यान में रखेगा।

(3) आयोग—

(क) संशोधनों के लिए अपनी प्रस्थापनाओं को भारत के राजपत्र में, और सम्बद्ध राज्य के राजपत्र में, और ऐसी अन्य रीति से जो वह उचित समझता है, प्रकाशित करेगा ;

(ख) वह तारीख विनिर्दिष्ट करेगा जिस को या जिसके पश्चात् वह उन प्रस्थापनाओं पर आगे विचार करेगा ;

(ग) उन सभी आक्षेपों और सुझावों पर विचार करेगा जो उसे इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख के पूर्व प्राप्त हो गए हैं; और

(घ) तत्पश्चात् आदेश में आवश्यक संशोधन करेगा।

आयोग की प्रक्रिया
और शक्तियां।

7. (1) इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में, आयोग अपनी प्रक्रिया स्वयं अवधारित करेगा और उसे निम्नलिखित विषयों की बाबत धाद का विचारण करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी, अर्थात्:—

(क) साक्षियों को समन करना और हाजिर कराना ;

(ख) किसी दस्तावेज के पेश किए जाने की अपेक्षा करना ; और

(ग) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख की अभ्यपेक्षा करना।

(2) आयोग को किसी व्यक्ति से ऐसी बातों और विषयों के बारे में कोई जानकारी जो आयोग की राय में, आयोग के विचाराधीन किसी विषय के लिए उपयोगी या उससे सुसंगत है, देने की अपेक्षा करने की शक्ति होगी।

(3) आयोग को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 345 और 346 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण—साक्षियों को हाजिर कराने के प्रयोजन के लिए, आयोग की अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं भारत के राज्यक्षेत्र की सीमाएं होंगी।

संशोधनों का
प्रकाशन और
उनके प्रवर्तन की
तारीख।

8. (1) आयोग संसद और विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1976 में अपने द्वारा किए गए संशोधनों को भारत के राजपत्र में और सम्बद्ध राज्यों के राजपत्रों में प्रकाशित कराएगा।

(2) भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने पर, प्रत्येक ऐसे संशोधन को विधि का बल होगा और वह किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

(3) भारत के राजपत्र में ऐसे प्रकाशन के पश्चात् यथाशीघ्र, ऐसा प्रत्येक संशोधन लोक सभा और सम्बद्ध राज्यों की विधान सभाओं के समक्ष रखा जाएगा।

(4) उपधारा (5) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए लोक सभा या किसी राज्य की विधान सभा में किन्हीं प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व का ऐसा पुनः-समायोजन, जो संसद् और विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1976 में आयोग द्वारा किए गए किन्हीं संशोधनों के कारण आवश्यक हो गया है और इस प्रकार संशोधित ऐसे आदेश में उपबन्धित है, यथास्थिति, लोक सभा या विधान सभा के ऐसे प्रत्येक निर्वाचन के सम्बन्ध में लागू होगा जो ऐसे संशोधनों के उपधारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र में प्रकाशन के पश्चात् किया जाए और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में अन्तर्विष्ट प्रतिनिधित्व सम्बन्धी उपबन्धों को अतिष्ठित करते हुए इस प्रकार लागू होगा।

(5) पूर्वगामी उपधाराओं की कोई भी बात लोक सभा या किसी राज्य की विधान सभा में उस प्रतिनिधित्व पर प्रभाव नहीं डालेगी जो इस अधिनियम के अधीन आयोग द्वारा किए गए संशोधनों के उपधारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को अस्तित्व में है।

9. (1) आयोग, भारत के राजपत्र में और सम्बद्ध राज्य के राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, समय-समय पर,—

निर्वाचन आयोग की कतिपय अन्य शक्तियाँ।

(क) परिसीमन इस अधिनियम के अधीन यथा संशोधित संसद् और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1976 में किसी मुद्रण सम्बन्धी भूल को या किसी ऐसी गलती को जो अनवधानता से हुई भूल या लोप के कारण हुई हो, ठीक कर सकता है; और

(ख) जहां उक्त आदेश में वर्णित किसी जिले या किसी प्रादेशिक खण्ड की सीमाओं में या नाम में परिवर्तन किया जाता है, वहां उस आदेश को अद्यतन बनाने के लिए ऐसे संशोधन कर सकता है जो उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों।

(2) इस धारा के अधीन प्रत्येक अधिसूचना, उसके जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, लोक सभा और सम्बद्ध राज्य की विधान सभा के समक्ष रखी जाएगी।

10. इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अवधारण के लिए जनगणना प्राधिकारी द्वारा, या निर्वाचन-क्षेत्रों के पुनःसमायोजन के लिए आयोग द्वारा, की गई सभी बातें और कार्यवाहियाँ, जहां तक कि वे इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुरूप हैं, इन उपबन्धों के अधीन ऐसे की गई समझी जाएंगी मानो ऐसे उपबन्ध, ऐसी बातें या कार्यवाही किए जाने के समय प्रवृत्त थे।

अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व किए गए कार्यों का विधिमाम्य-करण।

प्रथम अनुसूची

(धारा 3 देखिए)

संविधान (अनुसूचित जातियाँ) आदेश, 1950 में,—

(क) पैरा 2 में, "17" अंकों के स्थान पर, "19" अंक रखे जाएंगे;

(ख) पैरा 4 के स्थान पर निम्नलिखित रखें, अर्थात् :—

"4. इस आदेश में किसी राज्य अथवा उसके किसी जिले या अन्य प्रादेशिक खण्ड के प्रति निर्देश का अर्थ यह लगाया जाएगा कि वह 1 मई, 1976 को यथागठित राज्य, जिले या अन्य प्रादेशिक खण्ड के प्रति निर्देश है।";

(ग) अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित रखें, अर्थात् :--

“अनुसूची

भाग 1--ग्राम्य प्रदेश

1. आदि ग्राम्य	31. मदासि कुरुव, मादरि कुरुव	
2. आदि द्विड	32. मादिग	5
3. अनामुक	33. मादिग दासु, मण्टीन	
4. आरे माला	34. महार	
5. अरुन्दतिय	35. माल	
6. अर्व माल	36. माल दासरि	
7. बारिकी	37. माल दासु	10
8. बावुरी	38. माल हन्ने	
9. बेड़ जगम, बुड़ग जंगम	39. माल जंगम	
10. बिड्ल	40. मालमस्ति	
11. बैगारा	41. माल साले, नेतकानि	
12. चचटि	42. माल सन्यासी	15
13. चलवादि	43. मांग	
14. चमार, मोची, मुची	44. मांग गारोडी	
15. चम्भार	45. मन्ने	
16. चांडाल	46. मस्ति	
17. डककल, डोककलवार	47. मातंगि	
18. दण्डासि	48. मेहतर	20
19. ढोर	49. मिताग्रयल्वार	
20. डोम, डोम्बार, पैडी, पानो	50. मुण्डल	
21. एल्लमल्वार, येल्लमालवाण्डलु	51. पाकी, मोती, थोटि	
22. घासी, हड्डी, रेल्लि चचन्डि	52. पम्बड, पम्बण्ड	25
23. गोडगिल्ली.	53. पमिडी	
24. गोडारी	54. पंचम, परय्य	
25. गोसंगी	55. ेल्लि	
26. होलेय	56. सामगार	
27. होलेय दासरि	57. सम्बन	30
28. जगलि	58. सप्पु	
29. जम्बुवुलु	59. सिन्धोल्लु चिन्दोल्लु	
30. कोलुपुलवाण्डलु		

भाग 2--ग्राम्य

1. बांस फोर	9. कैबतं, जालिया	35
2. भुईमाली, माली	10. लालवेगी	
3. वृत्तियाल बनिया, बनिया	11. माहर	
4. धुपी, धोबी	12. मेहतर, भंगी	
5. डुगला ढोली	13. मुची, ऋषि	
6. हीर	14. नामशूद्र	40
7. जलकेवठ	15. पटनी	
8. झाली, मालो, झालो-मालों	16. सूत्रधार	

भाग 3--बिहार

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1. बांतर | 11. दुसाध, धारी, धरही |
| 2. बाउरी | 12. धासी |
| 3. भोगता | 13. हलालखोर |
| 5 4. भुईया | 14. हरी, मेहतर, भंगी |
| 5. भूमिज (उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर खण्डों तथा संथाल परगना जिले को छोड़कर) | 15. कंजर |
| 10 6. चमार, मोची | 16. कुरारियार |
| 7. चौवाल | 17. लालबेगी |
| 8. दवगर | 18. मुसहर |
| 9. धोबी | 19. नट |
| 10. डोम, धनगड़ | 20. पान, सवासी |
| | 21. पासी |
| | 22. रजवार |
| | 23. तूरी |

15

भाग 4--गुजरात

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1. अगोर | 12. हल्लीर |
| 2. बाकड़, बण्ट | 13. हलसार, हसलार, हुलस्वार, हुलस्वार |
| 3. बावा-डेढ, डेढ-साधु | 14. होलार, वल्हार |
| 4. भाम्बी, भाम्भी, असादरु, असोदी, चमाडिया, चमार, चामभार, चामगार, हरलया, हरली खालपा, मचिगार, मोचीगार, मादर, मादिग, मोची, नालिया, तेलगु मोची, कामटी मोची, राणीगार, रोहिदास, रोहित, सामगार | 15. होलेय, होलेर |
| 5. भंगी, मेहतर, ओलगना रुखी, मलकाना, हलालखोर, लालबेगी, वाल्मीकि, कोरार, झाडमल्ली, | 16. लिंगाडेर |
| 6. चलवादि, चन्नय्य | 17. महार, तराल, धेगु मेगू |
| 7. चेन्ना दासर, होलेयदासर | 18. महायावंशी, धेड़, धेढ, वणकर, मारु वणकर, अन्त्यज |
| 8. डंगशिया | 19. मांग, मातंग मिनिमादिग |
| 9. ढोर, कक्कया, कंकया | 20. मांग-गारुडी |
| 10. गरमातंग | 21. मेघवल, मेघवाल, मेघवार |
| 11. गरोडा, गरो | 22. मुक्री |
| | 23. नाडिया, हाडी |
| | 24. पासी |
| | 25. सेनवा, शेनवा, चेनवा, सेडमा, रावत |
| | 26. शिमलिया |
| | 27. थोरी |
| | 28. तीरगार, तीरखन्द |
| | 29. तूरी |
| | 30. तूरी, बरोत, डेढ बरोत |

भाग 5--हरियाणा

- | | |
|--------------------------|------------------------------------------------------|
| 1. आद धर्मी | 7. बाजीगर |
| 2. वाल्मीकि चूड़ा, भंगी | 8. भंजड़ा |
| 40 3. बंगाली | 9. चमार, जटिया चमार, रेहगड़, रैगड़, रामदासी, रविदासी |
| 4. बराड़, बुराड़, बेराड़ | 10. चनाल |
| 5. बटवाल | 11. डागी |
| 6. बौरिया, बावरिया, | |

12. दड़ै	25. नट	
13. डेहा, डैया, डेआ	26. ओड	
14. धानक	27. पासी	
15. डोगरी, डोंगरी, सिग्गी	28. पेरना	
16. डूमना, महाशा, डूम	29. फेरेरा	5
17. गगड़ा	30. सनहाई	
18. गंडीला, गण्डील, गोन्डोला	31. सनहाल	
19. कबीरपंथी, जुलाहा	32. सांसी, भेड़कूट, मनेश	
20. खटीक	33. संसोई	
21. कोरी, कोली	34. सपेला	10
22. मरीजा, मरेचा	35. सरेड़ा	
23. मजहबी	36. सिकलीगर	
24. मेघ	37. सिरकीबन्द	

भाग 6-हिमाचल प्रदेश

1. आद धर्मी	28. हाली	15
2. बांढी, नागलू	29. हेसी	
3. बाल्मीकि, भंगी, चूहड़ा, चूड़ा, चूहड़े	30. जोगी	
4. बान्धेला	31. जुलाहा, जुलाहे, कबीरपंथी, कीर	
5. बंगाली	32. कमोह, दगोली	
6. बंजारा	33. करोक	20
7. बांसी	34. खटीक	
8. वरड़	35. कोरी, कोली,	
9. वराड़, वुराड़, बेराड़	36. लोहार	
10. वटवाल	37. मरीजा, मरेचा	
11. बौरिया, बावरिया	38. मजहबी	25
12. बाजीगर	39. मेघ	
13. भंजड़ा, भंजड़े	40. नट	
14. चमार, जटिया चमार, रेहगड़, रैगड़, रामदासी, रविदासी, रामदासिया, मोची	41. ओड	
15. चनाल	42. पासी	
16. छिम्बे, धोवी	43. पेरना	30
17. डागी	44. फेरा, फेरेरा	
18. दड़ै	45. रेहाड़, रेहाड़ा	
19. दर्राई, दरयाई	46. सनहाई	
20. दाउले, दावले	47. सनहाल	
21. धाकी, तूरी	48. सांसी, भेड़कूट, मनेश	35
22. धानक	49. संसोई	
23. धावगरी, धुआई	50. सपेला	
24. धोगरी, धांगरी, सिग्गी	51. सरड़े, सरेड़ा, सराड़े, सिरयाड़े, सरेहड़े	
25. डूम, डूमना, डुमना, डुमने, महाशा	52. सिकलीगर	40,
26. गगड़ा	53. सिपी	
27. गंधीभा, गण्डील गोण्डोला	54. सिरकीबन्द	
	55. तेली	
	56. ठठियार, ठठेरा,	

भाग 7— कर्नाटक

1. आदि आन्ध्र
2. आदि द्रविड़
3. आदि कर्नाटक
- 5 4. अदीय (कुर्ग जिले में)
5. आगेर
6. आजिला
7. अनामुक
8. आरे माल
- 10 9. अरुथथियार
10. अरुमाल
11. बैरा
12. वाकड़
- 15 12क. वंट (बेलगांव, बीजापुर, धार-
वाड़ और उत्तरी कनारा जिलों में)
13. वकुडा
14. बालगाई
15. वण्डो
- 20 16. वंजारा, लम्बाणी
17. वथडा
18. वेड़ जंगम, धुडग जंगम
19. वेल्लरा
20. भंगी, मेहतर, ओलगाना, रुधी,
मलकाना, हलालखोर, लालवेगी,
25 वाल्मीकि, कोरार, झाडमाली
21. भंवी, भंभी, असादरू, आसोदी,
चमडिया, चमार, चम्भार, चाम-
गार, हरलया, हरली, खलपा,
मचिगार, मोचिगार, मादार,
30 मादिग, मोची, मुची, तेलगु-
मोची, कामटि-मोची, राणीगार,
रोहिदास, रोहित, सामगार
22. भोवी
23. विदला
- 35 24. व्यागरा
25. चक्किलियान
26. चलवादी, चल्वादी, चन्नैया
27. चांडाल
28. चेन्नादासर, होलियदासर
- 40 29. दक्कल, दक्कलवार
30. दक्कलिया
31. डोर, कक्कया, कन्कया
32. डोम, डोम्बर, पैडी, पानो
33. एल्लमलवार, येल्लम्मलवाण्डलु
- 45 34. गंटी चोर
35. गारोडा, गरो
36. गोड्डा
37. गौसंगा
38. हल्लीर
39. हलसार, हसलार, हुलस्वार, हलस्वार
40. हंदी जोगी
41. हस्ला
42. होलार, बलहार
43. होलाय, होलेर, होदिय
44. होलियदासरी
45. जगली
46. जम्बुवुलु
47. कडैयन
48. कल्लादि
49. कैम्पमारी
50. कोनुपुलवाण्डलु
51. कूसा
52. कोरच
53. कोरम
54. कोटेगार, मैत्री
55. कुडुम्बन
56. कुरवान्
57. लिगाडेर
58. मचला
59. मदारी
60. मादिग
61. महार, तराल, धेगु मेगु
62. माहयावंशी, धेड़, वणकर, मारु-
वणकर
63. मैला
64. माल
65. मालदासरी
66. माल हन्नई
67. मालजंगम
68. मालमस्ती
69. मालसाले, नेतकानि
70. माल सन्यासी
71. मांग, मातंग, मिनिमादिग
72. मांग गारुडी, मांगगारोडो.
73. मन्ने
74. मशतो
75. माविलन
76. मेघवाल, मेघवार
77. मांगेर
78. मुक्की
79. मुंडाला
80. नाडिया, हाडी
81. नलकेडय
82. नलकेयव
83. नायाडि

84. पाले
85. पल्लन्
86. पम्वाडा
87. पंचम
88. पन्नियाडि
89. परइयान, परय्या
90. परवन
91. राणीयार
92. सामगार

93. सम्बन
94. सपरी
95. सिल्लेकियथस
96. सिधोलू, चिदोलू
97. मुडुगाडुसिद्ध
98. थोटि
99. तीरगार, तीरवन्द
100. वल्लुवन

5

भाग 8—केरल

1. आदि आन्ध्र
2. आदि द्रविड़
3. आदि कर्नाटक
4. आजिला
5. अरुन्थथियार
6. अय्यनवर
7. बैरा
8. वकुडा
9. वंडी
10. वथडा
11. वेल्लारा
12. भरतर
13. वीयन [राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 (1956 का 37) की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा यथा विनिर्दिष्ट मलावार जिले में समाविष्ट क्षेत्रों को छोड़कर]
14. चक्किलियान
15. चमार, मुची
16. चांडाल
17. चेरुमन
18. डोम्बन
19. गवार
20. गोडागली
21. गोड्डा
22. गोसंगी
23. हस्ला
24. होलेय
25. कडैयन
26. कक्कलन
27. कल्लाडी
28. कणक्कन, पदन्न
29. करिम्पालन
30. कवर
31. कूसा
32. कूटन, कूडन
33. कुडुम्बन
34. कुरवन, सिद्धनार
35. मैला
36. मलयन [राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 (1956 का 37) की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा यथा विनिर्दिष्ट मलावार जिले में समाविष्ट क्षेत्रों में]
37. मण्णन
38. माविलन
39. मोगेर
40. मुण्डाला
41. नलकेयव
42. नलकाडय
43. नायाडी
44. पदन्न
45. पल्लन
46. पल्लुवन
47. पाम्वाडा
48. पाणन
49. पंचम
50. परैयन, परयन, सांबवर
51. परवन
52. पतियन
53. पेरुमण्णन
54. पुलयन, चेरुमर
55. पुलय वेटुवन
56. पुतिरई वण्णन
57. राणीयार
58. सामगार
59. सम्बन
60. सेम्मान
61. तण्डान
62. थोटि
63. वल्लोन
64. वल्लुवन
65. वण्णन
66. वैलन
67. वेटन
68. वेट्टुवन

10

15

20

25

30

35

40

45

50

भाग 9—मध्य प्रदेश

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. औषलिया | 29. कातिया, पथरिया |
| 2. वागरी, वागड़ी | 30. खटीक |
| 3. बहना, बाहना | 31. कोली, कोरी |
| 5 4. बलाही, बलाई | 32. कोतवाल (भिड, धार, देवास,
गुना, ग्वालियर, इन्दौर,
झाबुआ, खरगोन, मन्दसौर,
मुरैना, राजगढ़, रतलाम,
शाजापुर, शिवपुरी, उज्जैन
और विदिशा जिलों में) |
| 5 5. बांछडा | 33. खगार, कनेरा, मिरधा |
| 6. वरहर, बसोड | 34. कुचवंधिया |
| 7. बरगुन्डा | 35. कुम्हार (छतरपुर, दतिया,
पन्ना, रीवा, सतना, शहडोल,
सीधी और टीकमगढ़ जिलों
में) |
| 8. बसोर, बुरुड, बांसोर, बांसोडी,
बांसफोड, बसार | 36. महार, मेहरा, मेहर |
| 10 9. वेड़िया | 37. सांग, सांग गारोडी, सांग गारुडी,
दंखनी सांग, सांग महाशी,
मदारी, गारुडी, राधे सांग |
| 10 10. बेलदार, सुनकर | 38. मेघवाल |
| 11. भंगी, मेहतर, बालमीक, लालवेगी,
धरकार | 39. मोघिया |
| 15 12. भानुमती | 40. मुसखान |
| 13. चडार | 41. नट, कालबेलिया, सपेरा,
नवदिगार, कुबुतर |
| 14. चमार, चमारी, बेखा, भांवी
जाटव, मोची, रैगड़, नोना,
रोहिदास, राभनामी,
सतनामी, सूर्यवंशी, सूर्यरामनामी,
अहिरवार, चमार मंगन, रैदास | 42. पारधी (भिड, धार, देवास,
गुना, ग्वालियर, इन्दौर,
झाबुआ, खरगोन, मन्दसौर,
मुरैना, राजगढ़, रतलाम,
शाजापुर, शिवपुरी, उज्जैन
और विदिशा जिलों में) |
| 20 15. चिदार | 43. पासी |
| 16. चिकवा, चिकवी | 44. रुज्जर |
| 17. चित्तार | 45. सांसी, सांसिया |
| 25 18. दहाइत, दहायत, दहात | 46. सिलावट |
| 19. देवर | 47. झमराल |
| 20. धानुक | |
| 21. धेड, धेड़ | |
| 22. धोवी (भोपाल, रायसेन और
सिहोर जिलों में) | |
| 30 23. डोहोर | |
| 24. डोभ, डुभार, डोमे, डोभर,
डोरिस | |
| 25. गांडा, गांडी | |
| 35 26. घासी, घसिया | |
| 27. होलिया | |
| 28. कंजर | |

भाग 10—महाराष्ट्र

- | | |
|----------------|---------------------------------|
| 1. अगेर | 6. वाकड़, वंट |
| 40 2. अनामुक | 7. बलाही, बलाई |
| 3. अरे माल | 8. बसोर, बुरुड, बांसोर, बांसोडी |
| 4. अर्धभाल | 9. बेड जंगम, बुडम जंगम |
| 5. बहना, बाहना | 10. बेडर |

11. भंवी, भंभी, असादरू, असोदी, चमाडिया, चमार, चमारी, चंभार, चामगार, हरलय्या, हरली, खलपा, मचीगार, मोचीगार, मादर, मादिग, मोची, तेलगु मोची, कामटी मोची, राणीगार, रोहिदास, नोना, रामनामी, रोहित, समगर, सामगार, सतनामी, सूर्यवंशी, सूर्यरामनामी
12. भंगी, मेहतर, ओलगना, रुखी, मलकाना, हलालखोर, लालवेगी, वाल्मीकि, कोरार, झाडमाली
13. विदल्पा
14. व्यागरा
15. चलवादि, चन्नैया
16. चेन्नादासर, होलाय दासर, होलय दासरी
17. डवकल, डोककलवार
18. ढोर, कक्कय्या, कन्कय्या, डोहोर
19. डोम, डुमार
20. एल्लमलवार, येल्लम्पलवाण्डलु
21. गांडा, गांडी
22. गरोडा, गरो
23. घासी, घसिया
24. हल्लीर
25. हलसार, हसलार, हुल्लवार, हलस्वार
26. होलर, वलहार
27. होलाय, होलेर, होलैय, हॉलिया
28. कैंकडी (अकोला, अमरावती, भंडारा, बुलढाना, नागपुर, वर्धा और यवतमाल जिलों में और राजुरा तहसील को छोड़कर चन्द्रपुर जिले में)
29. कातिया, पथरिया
30. खंगार, कनेरा, मिरधा
31. खटीक, चिकवा, चिकवी
32. कोलुपुलवाण्डलु
33. कोरी 5
34. लिंगाडेर
35. मादगी
36. मादिग
37. महार, मेहर, तराल, धेंगु मेगु 10
38. माहयावंशी, घेड़, वणकर, मारूवणकर
39. माल
40. मालदासरी
41. माल हन्नै 15
42. माल जंगम
43. माल मस्ति
44. मालसाले, नैतकानि
45. माल सन्यासी
46. मांग, मातंग, मिनिमादिग, दंखनी 20
मांग, मांग-महाशी, मदारी, गारुडी, राधे मांग
47. मांग गारोडी, मांग गारुडी
48. मन्ने
49. मशती 25
50. मेघवाल, मेघवार
51. मिता अय्यलवार
52. मुक्ती
53. नाडीया, हाडी
54. पासी 30
55. सांसी
56. शेनवा, चेनवा, सेडमा, रावत
57. सिंधौलू, चिंदोलू
58. तीरगार, तीरवन्द
59. तुरी 35

भाग 11- मणिपुर

1. धुपी, धोवी
2. लोई
3. मुची, रविदास
4. नामशूद्र
5. पाटनी
6. सूत्रधार
7. यैथिवि

भाग 12-मेघालय

1. वांसफोड़
2. भुईमाली, माली
3. वृत्तियालवनिया, वनिया
4. धुपी, धोवी

5. डुगला, ढोली
6. हीरा
7. जलकेवट
8. शालो, शालो, शालो-शालो
9. कैवाँ, जालिया
10. लालपेगी

11. गहरा
12. मेहतर, भंगी
13. मुची, ऋषि
14. नागशूद्र
15. पाटनी
16. सूतधार

भाग 13--उड़ीसा

- | | | |
|----|------------------------------|--------------------------------|
| 10 | 1. आदि आन्ध्र | 40. ईरीका |
| | 2. अमान्त, अभात | 41. जमनी |
| | 3. ओधेलिया | 42. कंडरा, कंडारा |
| | 4. वडक | 43. कारुग्रा |
| | 5. वाघेरी, वाघुटी | 44. कटिआ |
| | 6. वाजीर | 45. केला |
| | 7. वारी | 46. खडाल |
| 15 | 8. वारीकी | 47. कोडालो, खोडालो |
| | 9. वागोर, वुरुड | 48. कोरी |
| | 10. वाउरी | 49. कुम्भारी |
| | 11. वाउटी | 50. कुहगा |
| | 12. वावुरी | 51. लवाण |
| 20 | 13. वेडिया, वेजिया | 52. लाहेरी |
| | 14. वेलदार | 53. मदारी |
| | 15. भाट | 54. मादिग |
| | 16. भोई | 55. महूरिया |
| | 17. चचटी | 56. भाला, शाला, भालो, शाला |
| 25 | 18. चकवी | 57. भांग |
| | 19. चभार, मोची, मुची, सतनापी | 58. भांगण |
| | 20. चांडाल | 59. मेहरा, गहार |
| | 21. चन्डाई भारू | 60. मेहतर, भंगी |
| | 22. चेहग्रा, छेलिया | 61. मेवार |
| 30 | 23. दंडारी | 62. मुंडपोट्टा |
| | 24. देवर | 63. मुरहर |
| | 25. धनवार | 64. नगारची |
| | 26. धोवा, धोवी | 65. नागशूद्र |
| | 27. डोग, डोम्बो, डुरीया डोग | 66. पंडी |
| 35 | 28. दोगघा | 67. पण्डा |
| | 29. गंडा | 68. पामीडी |
| | 30. घंटरघड़ा, घंटरा | 69. पाण, पाणो |
| | 31. घासी, घसिया | 70. पंचम |
| | 32. घोगिया | 71. पाणिका |
| 40 | 33. घुगुरिया | 72. पंका |
| | 34. गोडागली | 73. पाणतन्ति |
| | 35. गोडारी | 74. पाप |
| | 36. गोडरा | 75. पासी |
| | 37. गोखा | 76. पटिआल, पाटीकर, पात्रतन्ति, |
| 45 | 38. गोराईत, कोराईत | पटुआ |
| | 39. हाडडी, हाडी, हरी | 77. रजना |

- | | | |
|---------------------|-----------------------|---|
| 78. रेल्ली | 86. सियाल | |
| 79. सवाखिआ | 87. टमाडिया | |
| 80. सभासी | 88. टमुडिया | |
| 81. सनेई | 89. तानला | |
| 82. सपरी | 90. तियार, तियोर | |
| 83. सोतिया, सांतिया | 91. तुरी | 5 |
| 84. सिधरिया | 92. उजीआ | |
| 85. सिंदूरिया | 93. वालमीके, वाल्मीकि | |

भाग 14--पंजाब

- | | | |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|----|
| 1. आद धर्मी | 18. गंडीला, गण्डील गोण्डोला | |
| 2. वाल्मीकि, चूड़ा, भंगी | 19. कवीरपंथी, जुलाहा | 10 |
| 3. वंगाली | 20. खटीक | |
| 4. वरड़, वुरड़, वेरड़ | 21. कोरी, कोली | |
| 5. वटवाल | 22. मरीजा, मरेजा | |
| 6. वौरिया, वावरिया | 23. मजहबी | 15 |
| 7. वाजीगर | 24. मेघ | |
| 8. भंजड़ा | 25. नट | |
| 9. चमार, जटिया चमार, रेहगड़,
रैगड़, रामदासी, रविदासी | 26. ओड | |
| 10. चनाल | 27. पासी | |
| 11. डागी | 28. पेरना | 20 |
| 12. दई | 29. फेरैरा | |
| 13. डेहा, डैया, डेआ | 30. सनहाई | |
| 14. धानक | 31. सनहाल | |
| 15. डोगरी, डांगरी, सिग्गी | 32. सांसी, भेड़कुट, मनेश | |
| 16. डूचना, महाशा, डूम | 33. संसोई | 25 |
| 17. गगड़ा | 34. सपोला, | |
| | 35. सरैड़ा | |
| | 36. सिकलीगर | |
| | 37. शिरकीवन्द | |

भाग 15--राजस्थान

- | | | |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. आदि धर्मी | 14. भंगी, चूड़ा, मेहतर, अलौगाना,
रुखी, मलकाना, हलासखोर,
लालवेगी, वाल्मीकि, वाल्मीकि,
कोरार, झाडमाली | 30 |
| 2. अहेरी | 15. विदाकिया | |
| 3. वादी | 16. वोला | 35 |
| 4. वागरी, वागड़ी | 17. चमार, भंभी, वंभी, भंवी,
जटिया, जाटव, जाटवा, मोची,
रैदास, रोहिदास, रेगड़,
रैगड़, रामदासिया, अमादरू,
असोदी, चमाडिया चम्भार,
चामगार, हरलप्या, हराली,
खलपा, मचिगार, मोचीगार, | 40 |
| 5. वैरवा, वेरवा | | |
| 6. वाजगर | | |
| 7. वलाई | | |
| 8. वांसफोर, वांसफोड़, | | |
| 9. वावरी | | |
| 10. वर्गी, वर्गी, विर्गी | | |
| 11. वावरिया | | |
| 12. वेडिया, वेरिया | | |
| 13. भांड | | |

- मादर, मादिग, तेलगु मोची,
कान्टी मोची, राणीगार,
रोहित, सामगार
18. चांडाल
19. दवगर
20. धानक, धानुक
21. धानकिया
22. धोवी
23. ढोली
24. डोम, डूम
25. गांडिया
26. गरांचा, गांचा
27. गरो, गरुड, गुर्डा, गरोडा
28. गवारिया
29. ढोधी
30. जीनगार
31. कालवेलिया, सपेरा
32. कामड़, कामड़िया
33. कंजर, कुंजर
34. कपाड़िया सांसी
35. खंगार
36. खटीक
37. कोली, कोरो
38. कूचवन्द, कुचवन्द
39. कोरिया
40. मदारी, वाजीगर
41. महार, तराल, धेगुमेगु
42. माहयावंशी, ढेड़, डेड़ा, वणकर,
मारु वणकर
43. मजहवी
44. मांग, मातंग, मिनिमादिग
45. मांग गारोड़ी, मांग गारुडी
46. मेघ, मेघवाल, मेघवल, मेंघवार
47. मेहर
48. नट, नुट
49. पासी
50. रावल
51. सालवी
52. सांसी
53. सांतिया, सतिया
54. सरभंगी
55. सरगड़ा
56. सिगीवाला
57. थोरी, नायक
58. तीरगार, तीरवन्द
59. तुरी

भाग 16--तमिलनाडु

- 25 1. आदि आन्ध्र
2. आदि द्रविड़
3. आदि कर्नाटक
4. आजिला
5. अरुंततियार
- 30 6. अय्यनवर (कन्याकुमारी जिले में और तिरुनेलवेली जिले के शेन्कोट्टा तालुक में)
7. वैरा
8. वकुड़ा
9. वण्डी
10. वेल्लरा
11. भरतर (कन्याकुमारी जिले में और तिरुनेलवेली जिले के शेन्कोट्टा तालुक में)
- 40 12. चक्कलियन्
13. चलवादि
14. चमार, मुची
15. चाण्डाल
16. चेरुमान
17. देवेन्द्रकुलयन
18. डोम, डोम्बारा, पैड़ी, पानो
19. डोम्बन
20. गोडागली
21. गोड्डा
22. गोसंगी
23. हलिय
24. जग्गाली
25. जम्बुलु
26. कडइयन
27. कक्कलन (कन्याकुमारी जिले में और तिरुनेलवेली जिले के शेन्कोट्टा तालुक में)
28. कल्लादि
29. कनवकन, पाडन्ना (नीलगिरि जिले में)
30. करिम्पालन
31. कावरा (कन्याकुमारी जिले में और तिरुनेलवेली जिले के शेन्कोट्टा तालुक में)
32. कोलियन
33. कूसा
34. कूटन, कूडन (कन्याकुमारी जिले में और तिरुनेलवेली जिले के शेन्कोट्टा तालुक में)

- | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| 35. कुडुम्बन | 57. परवन (कन्याकुमारी जिले में और तिरुनेलवेली जिले के शेन्कोट्टा तालुक में) | |
| 36. कुरवन, सिद्धनार | 58. पथियन (कन्याकुमारी जिले में और तिरुनेलवेली जिले के शेन्कोट्टा तालुक में) | 5 |
| 37. मदारी | 59. पुलयन, चेरमार | |
| 38. मादिग | 60. पुदिरै वन्नन | |
| 39. मैला | 61. राणीयार | |
| 40. माल | 62. सामगार | 10 |
| 41. मन्नन (कन्याकुमारी जिले में और तिरुनेलवेली जिले के शेन्कोट्टा तालुक में) | 63. सम्बन | |
| 42. माविलान | 64. सगरी | |
| 43. मोगर | 65. सेम्मन | |
| 44. मुण्डाला | 66. तण्डन (कन्याकुमारी जिले में और तिरुनेलवेली जिले के शेन्कोट्टा तालुक में) | 15 |
| 45. नलकेयव | 67. थोटि | |
| 46. नायाड़ी | 68. तिरुवल्लुवर | |
| 47. पडन्नन (कन्याकुमारी जिले में और तिरुनेलवेली जिले के शेन्कोट्टा तालुक में) | 69. वेल्लन | |
| 48. पगाडै | 70. वल्लुवन | 20 |
| 49. पल्लन | 71. वन्नन (कन्याकुमारी जिले में और तिरुनेलवेली जिले के शेन्कोट्टा तालुक में) | 20 |
| 50. पल्लुवन | 72. वातिरियन | |
| 51. पमवाड़ा | 73. वेलन | 25 |
| 52. पानन (कन्याकुमारी जिले में और तिरुनेलवेली जिले के शेन्कोट्टा तालुक में) | 74. वेटन (कन्याकुमारी जिले में और तिरुनेलवेली जिले के शेन्कोट्टा तालुक में) | 25 |
| 53. पंचम | 75. वेट्टियान | |
| 54. पन्नाड़ी | 76. वेट्टुवन (कन्याकुमारी जिले में और तिरुनेलवेली जिले के शेन्कोट्टा तालुक में) | 30 |
| 55. पन्निथांडी | | |
| 56. परैयन, परयन, साम्बवर | | |

भाग 17--त्रिपुरा

- | | | |
|-------------------|---------------|----|
| 1. वागड़ी | 17. कनुध | |
| 2. भुईमाली | 18. केवट | 35 |
| 3. भुनर | 19. खादित | |
| 4. चमार, मुची | 20. खारिया | |
| 5. डण्डासी | 21. कोच | |
| 6. धेनुअर | 22. कोयर | |
| 7. धोवा | 23. कोल | 40 |
| 8. डूम | 24. कोरा | |
| 9. घासी | 25. कोटाल | |
| 10. गौर | 26. महिष्यदास | |
| 11. गुर | 27. माली | |
| 12. जालिया कैवर्त | 28. मेहतर | 45 |
| 13. कहार | 29. मुसहर | |
| 14. कालिन्दी | 30. नामशूद्र | |
| 15. कान | 31. पाटनी | |
| 16. कण्डा | 32. सबर | |

भाग 18—उत्तर प्रदेश

1. अग्ररिया	34. धरामी	
2. बधिक	35. धसिया	
3. बादी	36. गोंड	
4. बहैलिया	37. ग्वाल	
5. बैगा	38. हवूडा	5
6. बैसवार	39. हरी	
7. बजनिया	40. हेला	
8. बाजगी	41. कलावाज	
9. बलहार	42. कंजर	10
10. बलाई	43. कपड़िया	
11. बाल्मीकि	44. करवल	
12. बंगाली	45. खैराहा	
13. बनमानुष	46. खरवार (बनवांसी को छोड़कर)	
14. बांसफोड़	47. खटीक	15
15. बरवार	48. खोरोट	
16. बसोड़	49. कोल	
17. बावरिया	50. कोरी	
18. बेलदार	51. कोरवा	
19. बेरिया	52. लालवेगी	20
20. भत्तू	53. मझवार	
21. भुईया	54. मझहवी	
22. भुईयार	55. मुसहर	
23. बोरिया	56. नट	
24. चमार, धुसिया, झुसिया, जाटव	57. पंखा	25
25. चेरो	58. परहिया	
26. दवगर	59. पासी, तरमाली	
27. धंगड़	60. पाटरी	
28. धानुक	61. रावत	
29. धरकार	62. सहारया	30
30. धोवी	63. सिनीढिया	
31. डोम	64. सांसिया	
32. डोमर	65. शिल्पकार	
33. दुसाध	66. तुरैहा	

भाग 19—पश्चिमी बंगाल

1. वागड़ी, दुले	12. चौपाल	
2. बहैलिया	13. दवगर	
3. वायती	14. दामाई (नेपाली)	
4. वंतर	15. धोवा, धोवी	
5. वौरी	16. दोवाई	40
6. बेलदार	17. डोम, धंगड़	
7. भोगता	18. दोसाध, दुसाध, धारी, धारही	
8. भुईमाली	19. घासी	
9. भुइया	20. गोनरही	45
10. बिन्द	21. हलालखोर	
11. चमार, चर्मकार, मोची, मुची, रविदास, रुईदास, ऋषि	22. हरी, मेहतर, मेहतोर, भंगी	
	23. जालिया, कैवर्त	

- | | | | |
|--------|-----------------|-----|------------------------|
| 24. | झालो मालो, मालो | 43. | माल |
| 25. | कादर | 44. | मल्लाह |
| 26. | कामी (नेपाली) | 45. | मुसहर |
| 27. | कांदरा | 46. | नामशूद्र |
| 5 28. | कंजर | 47. | नट |
| 29. | कावरा | 48. | नूनिया |
| 30. | करेंगा, कोरंगा | 49. | पलिया |
| 31. | कौर | 50. | पान, सवासी |
| 32. | केवट, केयोट | 51. | पासी |
| 10 33. | खैरा | 52. | पाटनी |
| 34. | खटीक | 53. | पोद, पोन्द्रा |
| 35. | कोच | 54. | राजवंशी |
| 36. | कोनाई | 55. | राजवार |
| 37. | कोनवार | 56. | शङ्की (नेपाली) |
| 15 38. | कोटाल | 57. | सुनरी (साहा को छोड़कर) |
| 39. | कुरारियर | 58. | तियर |
| 40. | लालवेगी | 59. | तूरी ।” । |
| 41. | लोहार | | |
| 42. | महार | | |

20

द्वितीय अनुसूची

(धारा 4 देखिए)

अध्याय 1

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 में,—

(क) पैरा 3 के स्थान पर निम्नलिखित रखें, अर्थात् :—

25

“3. इस आदेश में किसी राज्य अथवा किसी जिले या अन्य प्रादेशिक खण्ड के प्रति निर्देश का अर्थ यह लगाया जाएगा कि वह 1 मई, 1976 को यथा गठित राज्य, जिले या अन्य प्रादेशिक खण्ड के प्रति निर्देश है ।” ;

(ख) अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित रखें, अर्थात् :—

30

“अनुसूची

भाग 1—आन्ध्र प्रदेश

- | | | | |
|-------|-----------------------------|-----|------------------------------|
| 1. | अन्ध | 11. | कोट्टनायकन |
| 2. | बगटा | 12. | कोलम, मन्नरवलू |
| 3. | भील | 13. | कोंडा दोरा |
| 35 4. | चेंचु, चेंचुवार | 14. | कोंड कापु |
| 5. | गड्डुवा | 15. | कोंडारेड्डि |
| 6. | गोंड; नायकपोड, राजगोंड | 16. | कोंड, कोडि, कोधू, देस्य |
| 7. | गौडू, (अभिकरण भूखण्डों में) | | कोंड, डोंगरिया कोंध, कट्टिया |
| 8. | हिल रेड्डि | | कोंड, टिकरिया कोंड, येनिटी |
| 40 9. | जातपु | | कोंड |
| 10. | कम्भर | | |

17. कोटिया, बेंथोओरिया, वर्तिका,
धूलिया, डुलिया, होल्वा,
पैको पुटिया,
सन्रोण सिधोपैको
18. कोया गोड, राजा, राण
कोया, लिंगधारी कोया
(साधारण) कुट्टू कोया, भिणे
कोया, राज कोया
19. कुलिया
20. माली (आदिलावाद, हैदरावाद,
करीम नगर, खम्माम, महवूव-
नगर, मँडर, नलगोंडा,
निजामावाद और वारंगल जिलों
को छोड़कर)
21. मन्न दौरा,
22. मखा दौरा, नूका दौरा
23. नायक (अभिकरण भूखण्डों में)
24. परधाण
25. पोजी, पेरंगीपेर्जा
26. रड्डि घोरा
27. रोगा, रेणा
28. सवार, कापू सवार, मलिया
सवार, खुट्टा सवार 5
29. सुगाली, लम्वाडी
30. धोटि, (अदिलावाद, हैदरा-
वाद, करीमनगर, खम्माम,
महवूवनगर, मेडक, नलगोंडा,
निजामावाद और वारंगल
जिलों में) 10
31. वाल्मीकि (अभिकरण भूखण्डों में)
32. येनाडी
33. येरकुला 15

भाग 2--आसाम

1. स्वशासी जिलों में:—

1. चाकमा (xviii) खोलह
2. डिमासा कछारी (xix) किप्मेन
3. गारो (xx) कुकी 20
4. हाजंग (xxi) लेथांग
5. ह्यार (xii) लहाधम
6. खासी, जयन्तिया, सिरतेंग,
पनार, वार, भोई, लिंगनागम (xxiii) लहाजेम
7. निम्नलिखित के सहित कोई कूकी
जनजातियां :— (xxiv) ल्होचुन
- (i) बियाते, बियेते (xxv) लुफेंग 25
- (ii) चांगसान (xxvi) माजेल
- (iii) चंगलोई (xxvii) मिसाऊ
- (iv) दोंगले (xxviii) रिआंग
- (v) गमल्हो (xxix) सैहैम
- (vi) गांगटे (xxx) सेलनाम 30
- (vii) गुहले (xxxii) सितल्हो
- (viii) हान्नेंग (xxxiii) सुवहे
- (ix) हौकिप या हौपित (xxxiv) थाडो
- (x) हौलाई (xxxv) थांग्यू 35
- (xi) हेंगना (xxxvi) उइडू
- (xii) हंमुध (xxxvii) व्हाइफे
- (xiii) हांग्खवाल, रंग्खल
- (xiv) जंग्वे
- (xv) खवौचूंग
- (xvi) खवौलंग, खोतालंग
- (xvii) खेलमा
8. लाखेर
9. (ताई बोलने वाली) मान
10. कोई मिजो (लुशाई) जन जातियां 40
11. मिकिर
12. कोई नागा जनजातियां
13. पावी
14. सितेंग ।

2. स्वशासी जिलों को छोड़कर आसाम राज्य में :—

- | | |
|---------------------|-------------------|
| 1. कछार में बर्मन | 5. कछारी, सोन्वाल |
| 2. बड़ो, बड़ो कछारी | 6. लालुंग |
| 3. ड्योरी | 7. मेच |
| 4. होजाई | 8. मिरी |
| 5 | 9. राभा |

भाग 3—बिहार

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1. असुर | 15. करमाली |
| 2. बेगा | 16. खरिया |
| 3. बनजारा | 17. खरवार |
| 10 4. बटुडी | 18. खोंड |
| 5. बेदिया | 19. किसान |
| 6. भूमिज (उत्तरी छोटानागपुर और दक्षिण छोटानागपुर खण्डों और संथाल परगना जिले में) | 20. कोरा |
| 7. विशिया | 21. कोरवा |
| 15 8. विरहोर | 22. लोहार, लोहरा |
| 9. विरजिया | 23. माहली |
| 10. चैरो | 24. माल पहरिया |
| 11. चिक बराइक | 25. मुन्डा |
| 20 12. गोंड | 26. उरांव |
| 13. गोराइत | 27. परहया |
| 14. हो | 28. संथाल |
| | 29. सोरिया पहाडिया |
| | 30. सावर |

भाग 4—गुजरात

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. बर्डा | 11. गमित, गम्ता, गविट, मची, पदवी |
| 25 2. वावचा, वाभचा | 12. गौंड, राजगोड |
| 3. भरवाड़ (अलेच्छ, गीर, वराड़ा के जंगलों के नैसों में) | 13. कथोडी, कटकारी, डोर, कथोडी, डोर कटकारी, सोन कथोडी, सोन कटकारी |
| 4. भील, भील गरासिया, धोली भील, डुंगरी भील, डुंगरी गरासिया, मेवासी भील, रावल भील, तडवी भील, भगालिया, भिलाला, पावड़ा, वसावा, वसावे । | 14. कोकणा, कोकणी, कुक्णा |
| 30 5. चारण (अलेच्छ, वराड़ा और गीर के जंगलों के नैसों में) | 15. कोली (कच्छ जिले में) |
| 6. चौधरी (सूरत और वलसाद जिलों में) | 16. कोली डोर, टोकरे कोली, कोल्चा, कोल्घा |
| 7. चौधरा | 17. कुन्वी, (डांगस जिले में) |
| 40 8. धनक, तडवी, तैतारिया, वलवी | 18. नायकाडा, नायेका, चोलीवाला नायक, कपाड़िया नायक, मोटा नायक, नाना-नायक |
| 9. धोडिया, | 19. पाधर |
| 10. दुबला, तलाविया, हलपति | 20. पराधी (कच्छ जिले में) |
| | 21. पर्धी, अदविचिन्वेर, फ्रानसे पर्धी (अभरेली, भावनगर, जामनगर, जूनागढ़, कच्छ, राजकोट और सुरेन्द्रनगर जिलों को छोड़कर) |

- | | | |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 22. पटेलिया | 26. सिद्दी (अमरेली, भावनगर,
जासनगर, जूनागढ़, राजकोट
और सुरेन्द्रनगर जिलों में) | |
| 23. पोमला | 27. वाघेरी (कच्छ जिले में) | |
| 24. खरी (अलेच्छ, वराहा और
गीर, के जंगलों के नैसों में) | 28. वारली | 5 |
| 25. राथवा | 29. विटोलिया, कोटवालिया,
वरोडिया | |

भाग 5--हिमाचल प्रदेश

- | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----|
| 1. भोट, बोड़ | की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट
राज्यक्षेत्रों को छोड़कर) | 10 |
| 2. गद्दी [पंजाब पुनर्गठन अधिनियम,
1966 की धारा 5 की उपधारा
(1) में विनिर्दिष्ट, लाहौल
और स्पीती जिले से भिन्न
राज्यक्षेत्रों को छोड़कर] | 4. जाद, लाम्बा, खम्पा | |
| 3. गुज्जर (पंजाब पुनर्गठन अधि-
नियम, 1966 की धारा 5 | 5. कनौरा, किन्नारा | |
| | 6. लाहौला | |
| | 7. पंगवाला | |
| | 8. स्वांगला | 15 |

भाग 6--कर्नाटक

- | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. अदियन | 19. काथोडी, काटकारी, डोर कथोडी,
डोर काटकारी, सोन कथोडी,
सोन काटकारी | |
| 2. बर्डी | 20. काट्टनायकन् | 2 |
| 3. बवचा, वम्चा | 21. कोंकण, कोंकणा, कुवणा | |
| 4. भील, भील गरासिया, धोली
भील, डुंगरी भील, डुंगरी
गरासिया, मेवासी भील, रावल
भील, तड़वी भील, भगालिया,
भिलाला, परवा, वासव,
वासवे | 22. कोली घोर, टोकरा कोली,
कोल्चा, कोल्घा | |
| 5. चेचू, चेंचवार | 23. कोंडा कापूस | |
| 6. चोधारा | 24. कोरग | 25 |
| 7. दुवला, तालाविया, हूलपति | 25. कोटा | |
| 8. गामिट, गमटा, गाविट, मावचि,
पदवी, वाल्वी | 26. कोया, भिने कोया, राजकोया | |
| 9. गोंड, नायकपोड, राजगोंड | 27. कुडिया, मैलकुडी | |
| 10. गोव्डालू | 28. कुरुव (कुर्ग जिले में) | |
| 11. हक्कीपिक्की | 29. कुरुमान | 30 |
| 12. हासालारु | 30. मद्दा सालासार | |
| 13. इरुलर | 31. मलाई कुडी | |
| 14. इरुलिगा | 32. सालासार | |
| 15. जेनु कुरुवा | 33. सालायेकान्डी | |
| 16. काडू कुरुवा | 34. सालेरु | 35 |
| 17. कम्मर (दक्षिणी कनारा
जिला और मैसूर जिले के
कोलेगल तालुक में) | 35. मराठा (कुर्ग जिले में) | |
| 18. कनियान, कन्यान (मसर जिले
के कोलेगल तालुक में) | 36. मराठी (दक्षिणी कनारा जिले में) | |
| | 37. मेडा | |
| | 38. नायकडा, नायक, चौलीवाला,
नायका, कपाडिया नायक,
मोटा नायक, नाना नायक | 40 |
| | 39. पल्लिवाड | |
| | 40. पानियान | |

1966 का 31

1966 का 31

41. पार्धी अडविचिन्चेर, पनसे रायो
42. पटेलिया
43. राथावा
44. शोलगा
45. सोलीगार

46. टोडा
47. वरली
48. विटोलिया, कोतवालिया,
वारोडिया
49. येरावा

5

भाग 7--केरल

1. आडियन्
2. अरांडन्
3. अरावालन्
4. हिल पुलया
5. इरुलर्, इरुलन्
6. कादर
7. कमारा [राज्य पुर्नगठन अधि-
नियम, 1956 (1956 का
37) से धारा 5 की उपधारा
(2) में यथा विनिर्दिष्ट
मालावार जिले के क्षेत्रों
में]
8. कणिकारन्, काणिकर्
9. काट्टिनायकन्
10. कोच्चुवेलन
11. कोनडा कापूस
12. कोंण्डरेडि
13. कोरग
14. कोटा
15. कुडीया, मेलाकुडी
16. करच्चिचान्
17. कुरुमन्
18. कुरुमन्

19. महामालासार
20. मलय अर्पन
21. मंलय पंडारम्
22. मलवेडन
23. मलकुर्वन
24. मालासार
25. मलयन [राज्य पुर्नगठन अधि-
नियम, 1956 (1956 का
37) की धारा 5 की उप-
धारा (2) द्वारा यथा विनि-
दिष्ट मलावार जिले में
समाविष्ट क्षेत्रों में]

10

26. मलयरयर्
27. मनान्
28. माराटि (कन्नोर जिले के होसडुग
ओर कासरगोड तालुक में)
29. मुतुवान, मुदुगर, मुदुवन
30. पल्लेयान
31. पल्लियान]
32. पल्लियार
33. पाणियन्
34. उल्लाडन
35. उरालि

20

25

भाग 8--मध्य प्रदेश

1. अगरिया
2. आन्ध
3. वैगा
4. भैना
5. भारिया, भूमिया, भुईआर
भूमिया, भूमिया, भारिया,
पालिहा, पांडो
6. भतरा
7. भील, भिलाला, वरेला, पट-
लिया
8. भील मीना
9. भंजिया
10. विआर, वीआर
11. विजवार
12. विरहुल, विरहोड़
13. दमोर, दामरिया

14. धनवार
15. गडवा, गडवा
16. गोंड, अरख, आरख, अगरिया,
असुर, वड़ी मारिया, वड़ा
मारिया, भटोला, भीमा, भुता,
कोइलाभुता, कोइलाभुती, भार,
विसोनहान्न, मारिया, छोट
मारिया, दंडामी मारिया, धुरु,
धुरवा, धोवा, धुलिया, डोरला,
गायकी, गट्टा, गट्टी, गैटा,
गोंड, गोवारी, हिल मारिया,
कंडरा, कलंगा, खटोला, कोइ-
तर, कोया, खिरवार, खिरवारा,
कुचा मारिया, कुचाकी मारिया,
माडिया, मारिया, माना, मन्न-
वार, भोप्या, मोगिया, माध्या,

30

35

40

45

- मुडिया, मुरिया, नगारची,
नागवंशी, ओझा, राज, सोन्झारी,
झरेका, थाटिया, थोटया, वाडे-
माडिया, वडेमाडिया, दराई,
- 5 17. हलवा, हलवी
18. कमार
19. कारकू
20. कवर, कंवर, कौर, चेरवा,
राठिया तनवर, छत्री
- 10 21. कीर (भोपाल, रायसेन और
सिहोर जिलों में)
22. खैरवार, कोंदर
23. खरिया
- 15 24. कांघ, खोंड, कांघ
25. कोल
26. कौलम
27. कोरकू, वोपची, मवासी, निहाल,
नाहुल, वौंधी, वौंडेया
- 20 28. कोरवा, कोडाकू
29. मांझी
30. मझवार
31. मवासी
32. बीना (विदिशा जिले के सिरोंज
सब-डिवीजन में)
- 25 33. मुंडा
34. नगोसिया, नगासिया
35. उरांव, धानका, धनगड
36. पनिका (छतरपुर, दतिया,
पन्ना, रीवा, सतना शहडोल,
सीधी और टीकमगढ़ जिलों
में)
- 30 37. पाव
38. परधान, पथारी, सरीती
39. पारधी (भोपाल, रायसेन तथा
सिहोर जिलों में)
- 35 40. पारधी, वहेलिया, वहेल्लिया,
चित्ता पारधी लंगोली पारधी,
फांस पारधी, शिकारी,
टाकनकर टाकिया [(1)
वस्तर, छिदवाड़ा, मंडला
रायगढ़, सिवनी और सरगुजा
जिलों में (2) बालाघाट जिले
की बेहर तहसील में (3) वैतूल
जिले के वैतूल और भैंसदेही
तहसीलों में (4) विलासपुर
जिले की विलासपुर और
कटहोरा तहसीलों में (5) दुर्ग
जिले की दुर्ग और संजरी
तहसीलों में (6) राजनन्द गांव
जिले के चौकी मानपुर और
महाला राजस्व निरीक्षकों के
क्षेत्रों में (7) जबलपुर जिले
के मुखारा, पाटन और सिहोर
तहसीलों में (8) होशंगाबाद
जिले की होशंगाबाद और मुहाग-
पुर तहसीलों और नरसिंहपुर
जिले में (9) खंडवा जिले की
हरमुद तहसील में (10) राय-
पुर जिले की विद्रा नवगढ़,
धमतरी और महासमुन्द तह-
सीलों में]
41. परजा
42. सहारिया, सहरिया, सेहरिया,
सहरिया, सोसिया, सौर
43. साओता, सौता
44. सौर
45. सावर, सवरा
46. सौर

भाग 9—महाराष्ट्र

1. आंध
2. बैगा
3. बर्डा
4. वावचा, वामचा
5. भैना
6. भारिआ भूमिया, भुईहार-
भूमिया, पान्डों
- 40 7. भतरा
8. भील, भील गरासिया, धोली
भील, डुंगरी भील डुंगली गरा-
सिया, मेवासी, भील, रावल
भील, तडवी भील, भगालिया,
भिलाला, पावरा, वसावा, वसावे
9. भूजिया.
10. विज्ञवार
11. विहल विरहोड
- 45

12. चौधरा (अकोला, अमरावती, भंडारा, बुल्ढाना चन्द्रपुर, नागपुर, वर्धा, यवतमाल, औरंगाबाद, और, नान्देड, उस्मानाबाद और परवानी जिलों को छोड़कर)
13. धाणका, तडवी, तैतारिया, बलवी
14. धनवार
15. धोडिया
16. दुबला, तालविया, हलपति
17. गामिट, गामटा, गाविट, मावचि पडवि
18. गोंड, राजगोंड, अरख, आरख, अगारिया, असुर, बड़ी मारिया, बड़ा मारिया, भटोला, भीमा, भुता, कोइलाभुता, कोइलाभुती, भर, विसोनहान मारिया, छोटा मारिया, दंडामीरू मारिया, धुरु, धरवा, धोत्रा, धुलिया, डोरला, गायकी, गट्टा, गट्टी, गैटा, गोंड गोवारी, हिल मारिया, कंडरा, कलंगा, खटोला, कोइतर, कोया, खिरवार, खिरवारा, कुचा मारिया, कुचाकी मारिया, मढिया मारिया, माना, मन्नेवार, मोधया, मोगिया, मौत्रया, माडिया, लारिया, नगारची, नायकपाड, नागवंशी, ओझा, राज, सोन्धारी, झरेका, थाटिया थोटया, वाडे-मारिया, वाडेमारिया
19. हलवा, हलवी
20. कमार
21. काथोडि, काटकारी, ढोर काथोडि, ढोर काटकारी, सोन काथोडि, सोन काटकारी
22. कवर, कंवर, कौर, चेरवा, राठिया, तनवर, छवी
23. खैरवरा
24. खडिया
25. कोकणा, कोकणी, कुकणा
26. कोल
27. कोलम, मन्नेवरलू
28. कोली ढोर, टोकरे कोली, कोलचा, कोलधा 5
29. कोली महादेव, डोंगर कोली
30. कोली मल्हार
31. कौंध, खौंड, कांध
32. कारकू, वापची, मौवासी, निहाल, नाहुल, वोधी, वौधया 10
33. कोया, भिन्ने कोया, राजकोया
34. नगेचिया, नगासिया
35. नायकडा, नायक, नायका, चोलीवाला, नायक, कपाडिया नायक, मोटा नायक, नाना नायक 15
36. ओरांव, धनगड
37. परधान, पथारी, सरौती
38. पारधी, अडविचिचेर, फंस पारधी, लंगोली पारधी, वहेलिया, वहेल्लिया चित पारधी, शिकारी, टनकनकर, टकिया 20
39. परजा
40. पटलिया
41. पोमला 25
42. राधवा
43. सावर, सावरा
44. ठाकुर, ठाकर, का-ठाकुर, का-मठाकर, मा-ठाकुर, मा-ठाकर
45. थोटि (औरंगाबाद, भीर, नान्देड, उस्मानाबाद, और परभानी जिलों और चन्द्रपुर जिले की राजुरा तहसील में) 30
46. वारली
47. विटोलिया, कोतवालिया, वरो-डिया 35

भाग 10—मणपुर

1. आयमोल
2. एनाल
3. अंगामी
4. चिह
5. चौथे
6. गंगते
7. हमार
8. कानुई
9. कच्चा नागा
10. खोइराओ 40
11. कोयरंग
12. कोम
13. लैमगैंग
14. माओ

- | | | | | |
|-----|------------------|----------|-----|---------|
| 15. | मराम् | | 22. | राल्टे |
| 16. | पौरिंग | | 23. | सेमा |
| 17. | कोई मिजो (लुसाई) | जन | 24. | सिम्टे |
| | जातियां | | 25. | सूहटे |
| 5 | 18. | मोन्सैंग | 26. | तैंगखुल |
| | 19. | मायोन | 27. | थाडो |
| | 20. | पाइटे | 28. | व्हाइफै |
| | 21. | पुध्म | 29. | जाओ |

भाग 11—मेघालय

- | | | | | |
|----|---------|---------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|
| 10 | 1. | चाक्कमा | (Xix) | किपगेन |
| | 2. | डिमासा, कठारी | (XX) | कूकी |
| | 3. | गारो | (XXi) | लैथांग |
| | 4. | हाजंग | (XXii) | ल्हांगम |
| | 5. | हमार | (XXiii) | ल्हाजम |
| 15 | 6. | खासी, जैन्तिया, सिन्तोंग,
प्यार, वार, भोई, लिगाम | (XXiv) | ल्हीवुन |
| | 7. | कोई कुकी जन जातियां जिनके
अन्तर्गत निम्नलिखित भी
हैं :- | (XXV) | लुफोंग |
| 20 | (i) | वियाते, वियेते | (XXVi) | मांजेल |
| | (ii) | चंगसान | (XXvii) | मिसाऊ |
| | (iii) | चंगलोई | (XXviii) | रियांग |
| | (iv) | दौगेल | (XXix) | सैरहैम |
| | (v) | गमल्ही | (XXX) | सेल्नाम |
| 25 | (vi) | गंगते | (XXXi) | सिग्सन |
| | (vii) | गुइते | (XXXii) | सितल्हौ |
| | (viii) | हैन्ग | (XXXiii) | सुक्ते |
| | (ix) | हौकिप, हैपित | (XXXiv) | थादो |
| | (x) | हौलाई | (XXXV) | थांग्म्यू |
| 30 | (xi) | हैंगना | (XXXVi) | उइबू |
| | (xii) | हौनसुध | (XXvii) | व्हाइफै |
| | (xiii) | ह्वाग्खोवाल, रंग्खोल | 8. | लाखेर |
| | (xiv) | जंग्मे | 9. | मान (ताई बोलने वाली) |
| | (xv) | ख्वौचंग | 10. | कोई मीजो (लसाई) जन
जातियां |
| 35 | (xvi) | ख्वोत्लंग, खोतालंग | 19. | मिकिर |
| | (xvii) | खेलमा | 12. | कोई नागा जन जातियां |
| | (xviii) | खोल्टु | 13. | पावी |
| | | | 14. | सिंतोंग |

भाग 12—उड़ीसा

- | | | | | |
|----|----|------------------|-----|------------------|
| 40 | 1. | वागडा | 8. | भूमिज |
| | 2. | वैगा | 9. | भूजीआ |
| | 3. | वणजारा, वणजारी | 10. | बिजाल |
| | 4. | वाथुडी | 11. | बिन्निआ, बिन्नीआ |
| | 5. | भौत्तडा, धोत्तडा | 12. | वीरहोर |
| | 6. | भुइया, भूयां | 13. | वांडोपोरजा |
| 45 | 7. | भूमिआ | 14. | चेन्चू |

15. दाल	39. कोरुआ	
16. देसुआ भूमिज	40. कुटीआ	
17. धारुआ	41. कोया	
18. दिदयी	42. कुली	
19. गादवा	43. लोध्रा	5
20. गांडिया	44. मादिआ	
21. धारा	45. माहालि	
22. गोंड, गोंडो	46. मांकडी	
23. हो	47. मांकिरडिआ	
24. होलवा	48. माटिआ	10
25. जातपु	49. मिर्धा	
26. जुआंग	50. मुंडा, मुंडालोहरा, मुंडा-महाली	
27. कंध गोड	51. मुंडारी	
28. कावार	52. ओमनात्या	
29. खडीआ, खडीयां	53. ओरांक	15
30. खरवार	54. पेरेगा	
31. खोंड, कोंड, कन्ध, नांगुली कन्धा; शीथा कन्धा	55. परोजा	
32. किसान	56. पेंडिआ	
33. कोल	57. राजुआर	
34. कोल्हा लोहार, कोल-लोहार	58. सांताल	20
35. कोल्हा	59. सवोरा, सवर, सौरा, सहरा	
36. कोली, मल्हार	60. शवर, लोध्रा	
37. कोन्डादोरा	61. साउन्ती	
38. कोरा	62. थारुआ	

भाग 13—राजस्थान

25

1. भील, भील गरासिया, धोली भील, डुंगरी भील, डुंगरी गरासिया, मेवासी भील, रावल भील, तडवी भील, भगालिया, भलाला, पावरा वसवा, वसावे	6. काथोड़ी, कातकरी, डोर काथोड़ी, डोर कातकरी, सोन काथोड़ी, सोन कातकरी	
2. भील मीना	7. कोकना, कोकनी, कुकणा	
3. डामार, डामरिया	8. कोली, डोर, टोकरे कोली कोलचा कोलधा	30
4. धाणका, तड़वी, तैतारिया, वलवी	9. मीना	
5. गरासिया (राजपूत गरासिया से भिन्न)	10. नायकडा, नायक, चोलिवाला नायक, कपाडिया नायक, मोटा नायक, नाना नायक	35
	11. पटेलिया	
	12. सेहारिया, सेहरिया, सहा- रिया	

भाग 14—तमिलनाडु

1. अडियन	6. कम्मारा (कन्याकुमारी जिला और तिरुनेलवेलि जिले के शिकोटा त.लुक को छोड़कर)	40
2. अरनाडन		
3. एरवल्लन		
4. इरुलर	7. कनिकरण, कनिकर (कन्याकुमारी जिले में और तिरुनेलवेलि जिले	35
5. काडर		

- के शेन्कोटा तालुक में)
8. कनियन, कन्यन
9. काट्टुनायकन
10. कोचुवेलन
11. कोन्डा कपूस
12. कोन्डारेड्ड
13. कोरागा
14. कोटा (कन्याकुमारी जिले में और तिरुनेलवेलि जिले के शिकोटा तालुक को छोड़कर)
15. कुडिया, मेला कुडी
16. कुरिच्छन
17. कुरुमान्स (नीलगिरि जिले में)
18. कुरुमान्स
19. महा मल्लेसर
20. मन्नै अरैयन
21. मालै पंडाराम
22. मलै बौडन
23. मलक्कुरवन
24. मल्लेसर
25. मल्याली (धर्मपुरी, उत्तरी अर्काट, पुडुकोट्टाई, सलेम, दक्षिणी अर्काट और तिरुचिरापल्ली जिलों में)
26. मलयेकंडी
27. मान्नन
28. मुडुगर, मुडुवन
29. मदुवन
30. पाल्लयन
31. पलियन
32. पल्लयर
33. पनियन
34. शोलागा
35. टोडा (कन्याकुमारी जिले में और तिरुनेलवेलि जिले के शिकोटा तालुक को छोड़कर)
36. उरली

20

भाग 15—त्रिपुरा

1. भील
2. भुटिया
3. चैमाल
4. चाकमा
5. गारु
6. हलाम
7. जमातिया
8. खासिया
9. कुकी जिनके अन्तर्गत निम्न-लिखित उप-जनजातियां भी हैं :—
(i) वाल्टे
(ii) बेललहुत
(iii) छाल्य
(iv) फुन
(v) हेजांग
(vi) जंगतेई
(vii) खरेंग
(viii) फीग
- (ix) कुन्तेई
(x) लाइफंग
(xi) लेनतेई
(xii) मिजेल
(xiii) नमते
(xiv) पाइतु, पाइते
(xv) रंगचन
(xvi) रंखोल
(xvii) थंग्लुईया
10. लेप्चा
11. लुसाई
12. माग
13. मुन्डा, कौड़
14. नोआटिया
15. ओरांग
16. रियांग
17. सन्थाल
18. त्रिपुरा, त्रिपुरी, टिपेरा
19. उचाई

40

भाग 16—पश्चिमी बंगाल

1. असुर
2. बैगा
3. वेदिया, विदिया
4. भूभिज
5. भूटिया, शेरपा, टोटो, दुकपा,
6. कगाते, तिब्वती, योलमो
7. वीरहड़
8. विर्जिया
9. चाकमा

45

9. चेरो
10. चिक वारक
11. गारो
12. गोंड
13. गोड़त
14. हाजंग
15. हो
16. करमाली
17. खाड़वार
18. खौंड
19. किसान
20. कोड़ा
21. कोरवा
22. लेप्चा
23. लीधा, खेड़िया, खाड़िया

24. लोहारा, लोहरा
25. मघ
26. माहली
27. महली
28. माल पहाड़िया
29. मेच
30. म्रू
31. मुंडा
32. नागेसिया
33. ओरांव
34. पाढ़िया
35. राभा
36. सन्थाल
37. सौरिया पहाड़िया
38. सावर ।” ।

अध्याय 2

संविधान (अन्डमान और निकोबर द्वीप) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1959 में,—

(क) पैरा 2 में “जो उन परिक्षेत्रों में निवासी हैं जो उस अनुसूची में उनके सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट हैं” शब्दों के स्थान पर “उस संघ राज्य-क्षेत्र में निवासी हैं” शब्द रखे जाएंगे; 20

(ख) अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित रखें अर्थात् :—

- | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|
| “अनुसूची | 2. जरावा | |
| 1. अन्डमान निवासी, चारियर, चारी, कोरा; टावो वो येरे, कोडे, वीय, वालावा, बोजीगियाव, जवाई, कोल | 3. निकोबर निवासी | |
| | 4. ओंगे | 25 |
| | 5. सेंटीनेली | |
| | 6. शोम पेन ।” । | |